बोल के लब आज़ाद है तेरे ...

''मध्यप्रदेश में हो रहे बलात्कारों की परिस्थिति पर एक विश्लेषण''

इसलिए राह संघर्ष की हम चुनें

जनपहल

मध्यप्रदेश

बोल के लब आजाद है तेरे....

मध्यप्रदेष में हो रहें बलात्कारों की परिस्थिति पर एक विष्लेषण

l:iknd & जनपहल एवं एक्षनएड

dk;ky; irk –

जनपहल
ई– 3/216, अरेरा कालौनी
भोपाल (म.प्र.)
फोन नंबर – 0755 – 4094789
Email - Janpehel.mp@gmail.com

एक्षनएड
ई–3/4बी. अरेरा कालोन
भोपाल (म.प्र.)
फोन नंबर – 0755 – 4290208
www.actionaid.org

dkih jkbV – कापीलेफ्ट (जनपहल व एक्षनएड का संदर्भ अपेक्षित)
QkVk – कवर फोटो

i:dk'kd – जनपहल मध्यप्रदेष
en:d – महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट, मानसरोवर, भोपाल
मो. – 9826364676

अनुक्रमणिका

भाग	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	पृष्ठभूमि	३
भाग १	हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहियें	४-१४
भाग २	संख्यायें क्या बोलती है	१४-२३
भाग ३	संविधान और कानून की दृष्टि से महिलाओं के अधिकार	२४-३०
भाग ४	बलात्कार से जुड़े मिथक और तथ्य	३१-३५
भाग ५	मध्य प्रदेश में बलात्कार पर किये गये अध्ययन का विश्लेषण एवं निष्कर्ष	३६-४३
भाग ६	सिफारिश और सुझाव	४४-४९
lyXud		
सलग्नक १	केस अध्ययन	५०-७८
सलग्नक २	वर्ष २०११ मे महिलाओं पर अपराध के मामलें	७९
सलग्नक ३	महिलाओं के विरुध्द अपराध	८०

पृष्ठभूमि

(दिसम्बर 2012) निर्भया की त्रासदीपूर्ण मौत के बाद से बलात्कार ओर यौन उत्पीडन जैसे मुद्दे लगातार हमें भयभीत महसूस कर रहे है। हालांकि उसने अपनी शारीरिक क्षति से हार मान ली, लेकिन वास्तव में पूरे देश को जागृत कर दिया। केवल वही एक शिकार नहीं बनी, परन्तु समाज में ऐसी कई महिलाएं है जो ऐसी विपत्तियों को झेल रही है या इस आशंका के साये में जी रही है कि उनके साथ कुछ गलत न हो जाए। एन.सी.आर.बी. 2011 के अनुसार म.प्र. शर्मनाक रूप से बलात्कार की घटनाओं में देष में शीर्ष पर है, जहां हर दिन नौ महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं, जिनमें चार नाबालिग होती है।

बलात्कार का उपयोग समाज में पुरूषवादी यौनिक प्रभुसत्ता को स्थापित कर महिलाओं को उनकी स्थिति दिखा कर सत्ता स्थापित की जाती है। इसका ईस्तमाल सामन्तवादी व पूँजीपतियों द्वारा महिलाओं को कमजोर बनाने व दंडित करने हेतु किया जाता रहा है, और बहुत से युद्ध आधारित हिंसा देखे तो बलात्कार के रूप में की जाती है।

ऐतिहासिक रूप से देखे तो महिला अधिकार आन्दोलन ने 1980 के दशक में बलात्कार–विरोधी अन्दोलन से जुड़ने के पश्चात। राष्ट्रीय स्तर पर महत्व कायम किया। मथुरा (गरीब आदिवासी की एक नाबालिग लडकी), रमीजा बी और माया त्यागी के साथ हुए बलात्कार ने पितृसत्तामक परिदृष्य को विभिन्न रूप से प्रदर्शित किया, जिसमें पुलिस हिरासत में बलात्कार, व गरीबों, अछूतों और अल्पसंख्याकों के साथ बलात्कार शामिल है। इससे राज्य में पितृसत्ता व वर्ग–विभाजन भी पर्याप्त रूप से परिलक्षित होते हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति *अभिरक्षित हिंसा* शामिल है। इन घटनाओं का राष्ट्रव्यापी असर देखने को मिला और लोगों (महिला संगठनों) द्वारा बलात्कार सम्बन्धी कानूनों में बदलाव व इस मुद्धे पर लोगों तक जानकारी फैलाने की मांग बहुत मजबूती से रखी गई, जिसके लिए आज भी बडे स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। महिला अन्दोलन के प्रयासों के फलस्वरूप कानून एंव नीति–निर्धारण में कई बदलाव किये गये। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है– विशाखा दिषानिर्दष। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भंवरीदेवी एवं बलात्कार विरोधी महिला अन्दोलन के हित में समर्पित किया, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के विरूद्ध एक कानूनी हथियार बन चुका है।

यह बहुत स्पष्ट है कि यहां प्रस्तावित सिफारिसें और सुझाव महिलाओं के प्रति होने वाली समस्त प्रकार की हिंसा की ओर इंगित करते है, न की केवल बलात्कार को। बुरी नजर से देखना, छेडना, धक्का देना, अपशब्द कहना, छूना, तेजाब फेंकना और इसमें अन्य प्रकार की महिला हिंसा जैसे शामिल है।

उपरोक्त मुद्दे को बडे पैमाने पर समाज के बीच ले जाने और लिंग–आधारित हिंसा की जड़ों तक पहुंचने हेतु जन पहल एवं एक्शनएड इस पुस्तिका के माध्यम से प्रदेष स्तरीय अवलोकन एवं अनुशंसाए प्रस्तावित रहें हैं।

हम आहत महिला के मुद्धों को सम्बोधित करने हेतु सरकारी प्रणाली में बदलावों की एक कडी प्रस्तावित कर रहे है। यह स्पष्ट है कि ये कम समय में होने वाले बदलाव हैं, उन महिलाओं के लिए जिन पर यौनिक हिंसा हुई है। अधिक समय के दौरान, हमें एक न्यायपूर्ण विश्व समाज की स्थापना की ओर बढ़ना चाहिए जहां महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हो।

हम सभी औरतों की बहादुरी को सलाम करते हैं।

सारिका सिन्हा

भाग - १

!! हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहियें !!

दुष्यंत कुमार

Baaga 1

!! हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये !!

दुष्यंत कुमार

ge cM+ vlqjf{kr lekt vkSj le; esa th jgs------------------------

यह एक ऐसा समय है जब अखबार अथवा टी.वी. महिलाओं के प्रति हिसा और बलात्कार[1] की कहानियों से भरे पडे है। एक ऐसा समय जब इस विरोध का सामना पूरी तरह निष्क्रीय तंत्र से हो रहा है। ऐसा समय जब हिंसा के लिए महिंलाओं को ही जवाबदार ठहराया जा रहा है।

दिल्ली में हाल ही में एक युवती के साथ हुए बर्बर सामूहिक बलात्कार और इसके बाद हुए अनेको बलात्कार की खबरों ने हमें सच्चाई के प्रति झकझोर कर दिया है। क्या महिलाओं के प्रति हिंसा और भेद भाव बढ रहे है ? क्या उन्होंने नया रूप ले लिया है ?

ऐसा नहीं है कि चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा छाया है। इस अंधेरे के पीछे हमें बेहतर पहलू को भी देखना चाहिए। पिछले महीने जनता ने भारी संख्या में सडकों पर उतर कर विरोध जताया और सुरक्षा बलों द्वारा पानी की तेज धार,ऑसू गैस उपयोग किये जाने के बावजूद डटी रही। ये लोग मुख्यत सैध्दान्तिक रूप में महिला हिंसा का विरोध कर रहे थे, न कि महिलाओं के रखवाले के रूप में। अब देखना है कि यह रोष महिलाओं के लिए बराबरी की मांग को लेकर था या दोषियों के लिए मृत्युदंड और रासायनिक नपुंसकता की सजा पर आधारित था। हालांकि उत्साहपूर्वक प्रतिक्रियाए देखने को मिली, पर साथ ही ऐसी प्रतिक्रिया भी हुई व जिसका अधिक प्रचार नहीं हुआ, जेसे जवान लडकियों को घरों में बंद रखना चाहिए, उन्हें घूमने–फिरने नहीं देना चाहिए, उनके साथ हमेशा कोई पुरूष या रिश्तेदार होना चाहिए और कुछ जगह यह भी कहा गया कि उन्हें परीक्षाएं देने से भी रोका जाना चाहिए।

प्रसिद्ध बुद्धिजीवी एरिस्टाटल का तर्क था कि वह प्रकृति न कि संस्कृति है जिसने पुरूष को अधिक बलशाली बनाया है। बदकिस्मती से, समय गुजरने के साथ भी परिस्थितियों में अधिक बदलाव नहीं आया है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे है जो यह मानती चली आ रही है कि पुरूष और महिला समान नही है और महिलाओं को सुरक्षा प्रधान रूप से उनकी सतीत्व की सुरक्षा है। यह भी इसिलिए क्योंकि वे जैविक रूप से भिन्न है।

या तो हम नियमों को बदलते रह सकते है या फिर इस समस्या की जडो ंतक पहॅुचने का प्रयास कर सकते है।

इस लेख का उद्धेश्य बलात्कार और मृत्युदंड के पार कुछ गढ मुद्धों को सामने लाना है तथा महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों का विश्लेषण करना है।

fir`lRrk% ;kfu iq#"kksa dh lRrk&D;k ;g U;k;laxr gS \

पितृसत्ता एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की जनक है। हमारे समाज ने महिलाओं को उनके प्रति हिंसा के अनुभव को लेकर न केवल मूक बना दिया गया है, बल्कि परम्परा ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को हिंसा को स्वीकार करना, झेलना और तर्कसंगत मानना भी सिखा दिया है। इस सबके पीछे मूल कारण है पितृसत्ता।

---

[1] बलात्कार यह शब्द पितृसत्तात्मक है क्योकि प्रचलन में होने के कारण हम इस शब्द का उपयोग कर रहें हैं।

आसान शब्दों में पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जो महिलाओं को नीचा और पुरुषों को उॅचा करार करती है। इसे पुरूष–शाही या पुरुषवाद भी कहा जा सकता है, और व्यवस्था इस तथ्य पर आधारित है कि पुरूष नारी से श्रेष्ठ है। इससे यह सुनिश्चत होता है कि उत्पादन के संसाधनों, प्रजनन महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित कर तथा वंश वृद्धि और निर्णय करने में पुरूषों का अधिक नियंत्रण है।

पितृसत्ता की जडे जीव–विज्ञान में समाहित है। मूल यह है कि चूंकि नर और नारी जैविक रूप से भिन्न है, इसलिए उनकी भूमिकाएं भी अलग–अलग है और वे असमान है। अतएव पुरूष रक्षा करने वाले, पालन करने वाले तथा सार्वजनिक रूप से कार्य करने वाले है। वहीं औरतें दूसरे दर्जे की और निजी जीवन तक सीमित रहने वाली हैं। कुछ देशों में यह स्थिति भिन्न हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखे तो संपूर्ण तंत्र इस प्रकार कार्य करता है कि नारी के पास पुरूष के मुकाबले कम क्षमता रहे। पितृसत्ता के अंतर्गत पुरूषों का महिलाओं पर व्यवस्थागत शासन कई तरह से देखने में आता है, जैसे असमान अवसर, पुरस्कार , दण्ड और यौन–क्रिया में भेदभाव के जरिये असमान अपेक्षा सिखाना। पितृसत्ता अर्थात् समान दर्जे ओहदे की महिला के मुकाबले पुरूषों का व्यक्तिगत और राजनैतिक रूप से अधिक शक्तिशाली होना। शक्ति का यह असंतुलन पितृसत्ता का केन्द्र तो है लेकिन उसकी सीमा नहीं।

पितृसत्ता का उदय अकस्मात नहीं हुआ और न ही यह व्यवस्था हमेशा से कायम है। नारीवादी इतिहासकार गर्डा लर्नर के अनुसार, यह व्यवस्था करीब तीन हजार से पांच हजार वर्ष पूर्व चलन में आई। दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद उनका निष्कर्ष है कि सबसे पहले औरतों को गुलाम बनाया गया। प्रसिद्ध प्रगतिशील वामपंथी बुद्धिजीवी फेडरिक एंग्लस ने वर्ग–असमानता के अपने अध्ययन के दोरान अपनी पुस्तक ''परिवार, निजी सम्पत्ति ओर राज्य का उदय (1885)'' में लिखा कि वंश–पराम्परा और अतिरिक्त के उदगम के युग में ''माता के अधिकारों की भी ऐतिहासिक हार हुई। वंश–परम्परा के शक्तिशाली में उद्‌भव के बाद पैतृक एवं व्ययस्था हुई। राहुल सांकृत्यावन की पुस्तकों मं दर्शाई गयी शैल चित्रों की कृतियां भी इस बात को गवाह है।

पितृसत्ता नारी व पुरूष को अपनी भूमिकाए निभाने की आवश्यकता को जन्म देती हैं। इन गुणों/विशेषताओं को मर्दानगी और जनानगी के रूप में जाना जाता है। मर्दानगी के अंतर्गत महिलाओं का दमन करना, अन्य पुरूषों के साथ प्रतियोगिता और समलैंगिकता का भय शामिल है। इससे यह संदेश भी जाता है कि पुरूषों की यौन उत्तेजना नियंत्रित नहीं की जा सकती है और यह महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपना बचाव करें। सामाजिक परिपेक्ष्य में ओरतों से यह आशा भी की जाती है कि वे कोमल भावनाओं का प्रदर्शन करें, तो औरतों को पोषण देने वाली, मृदु, भावनात्मक आदि होना चाहिए, वहीं पुरूषों को उत्पादक, प्रतियोगी, आदि होना चाहिए। इन लिंग आधारित गुणों के अनुसार पेशो/व्यवसाय को आंका जाता है। सामाजिक कार्य, शिक्षण, गृह कार्य एवं देख–रेख नर्सिंग छोटे दर्जे के काम है, जबकि व्यापार कार्यवाही, न्यायाधीश या पेशेवर फुटबाल खिलाडी होना बेहतर माने जाते है।

हालांकि पितृसत्ता सभी स्तरों पर कार्य करती है, जाति, वर्ग नस्ल और धर्म भी ऐसी अन्य असमानताएं भी है, जो किसी व्यक्ति की पहचान और स्तर को परिभाषित करती है। इन सभी के मिले–जुले प्रभाव से व्यक्ति का समाज में ओहदा और पहचान निर्धारित होती है। अतएव, यह कहना गलत होगा कि सभी औरते सभी पुरूषों से कमतर होती हैं। हमारे देश में जाति/वर्ग और धर्म को ध्यान में रखना आवश्यक है जो किसी व्यक्ति को असुरक्षित बना सकती है। यदि हम आंकडों को देखे तो पाएंगे कि दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का सर्वाधिक शोषण होता है। तथाकथित निचली वर्गो में यह शक्तिहीन प्रदर्शित होती हैं क्योकि शासन भी शक्तिशाली का ही सर्मथन करता है।

पितृसत्ता की व्यवस्था इस प्रकार गढी गई है कि सामाजिक संस्थान जेसे परिवार, शिक्षण संस्थाए, कानून मीडिया, शासन, वित्तीय संस्थान और धर्म भी इन मूल्यों को गहन रूप से लागू करते है। इसे प्रचारित होने की बहुलवता दो तरफा करने के दो तरिके है :

- पहली है विचाराधारा। अर्थात सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास इस प्रकार के है जो महिला को कमजोर घोषित करते है। अतः विवाह के प्रतीक धारण करने पर औरत को महान बताया जाता है,

जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि औरत प्रतिबद्ध है। पुत्र सम्मान के माध्यम है और पुत्रियां सदा ही दरिद्रता की सूचक होती है। शिक्षण संस्थान एवं पारिवारिक व्यवस्था बच्चों में भेद–भाव की भावना को और पुष्ट करते हैं। भाषा भी अपने आप में पितृसत्ता की एक अहम वाहक है। इस व्यवस्था को 'भगवान' ने बनाया है ऐसा कहकर तर्क–वितर्क की शक्ति क्षीण हो जाती है।

- दूसरा पहलू है संसाधनों का अधिग्रहण। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार महिलाए जो विश्व की आधी जनसंख्या है; 10 प्रतिशत से भी कम भूमि पर अधिकार रखती है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से संसाधन छीन लिये जाते है और वे पुरूषों पर आश्रित रहने के लिए बाध्य होती है। इस व्यवस्था से पुरूषों को वित्तीय रूप से भी लाभ होता है। इस व्यवस्था से पुरूषों को वित्तीय रूप से भी लाभ होता है। 1995 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अनुमान के मुताबिक औरतों द्वारा किया जाने वाला घरेलू कार्य 1 ट/लियन. डांलर था।

अधिकतर समाज पितृसत्तात्क होते है, इसलिए लिंग आधारित हिंसा वैश्विक हे। दक्षिण एशियाई समाज में यह समस्या व्यापक है और वहां महिलाओं को पत्नी, मां, बेटी या बहन के अलावा कोई पहचान नही हैं।

जैसा कि पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जैल सिंह ने कहा, ''मॉं, बेटी और बहन के अलावा अन्य सभी महिलाए भोग की चीज है। भारत में लिंग आधारित चयन कर सकते है। पिछली एक सदी में 3.5 करोड महिलाए जन्म के पहले ही विलुप्त हो गई। महिलाओं के साथ भेद–भाव पालने से लेकर कब्र तक व्याप्त है। लडकियों को लडकों के मुकाबले कम भोजन, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा दी जाती है, और उनमें से अधिकतर तो कभी किशोरावस्था का अनुभव नहीं कर पाती और न ही अपनी चाहतों व सच्चे व्यक्तित्व को कभी खोज पाती हैं। वे लडकियों से अचानक पत्नी, किसी की चल–सम्पत्ति रूपी गुलाम बन जाती हैं, जिनका खुद के शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता।

efgyk fgalk & D;k ;g fir`lRrk e: t#jh g\

यह जानना अति आवश्यक है कि महिलाओं के प्रति हिंसा पितृसत्ता का एक हथियार है और इसीलिए सर्वागी व ढांचागत है। ऐसे समाज में यह मात्र संयोग नहीं है कि कोई महिला को दण्डित/उत्पीड़ित करें और कोई प्रतिक्रिया न हो। महिला को उसकी जगह बताने और समाज में व्यवस्था कायम करने के लिये हिंसा की जाती है। एक ऐसी व्यवस्था जो असमानता व पुरूषों के लाभ पर आधारित है। अंतः पितृसत्ता के अंतर्गत महिलाओं को मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित कर पुरूष अपनी शक्ति प्रदर्शन को एक स्वीकार्य मानदण्ड मानते है।

यदि हिंसा न भी हो तो हिंसा का भय बडी संख्या में औरतों को बांधे रखता है। सामाजिक मापदण्ड उन औरतों को महिमा–मण्डित और उत्साहित करते है, जो अपनी भूमिका वफादारी से निभाती है और उन औरतो का दुष्प्रचार करते हैं जो अपनी भूमिका निभाने से इनकार करने का साहस करती है। पितृसत्ता के हथियार के रूप में 'बलात्कार' व 'बलात्कार की संस्कृति' जरुरी है। अधिकतर यह औरतों को उनकी जगह बताने के लिये किया जाता है, हॉलांकि जरूरी नहीं कि यह अपराधी द्वारा इसी उद्धेश्य के साथ किया गया हो। इसे एक वैयक्तिक अपराध की तरह न देखने हुए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की रोशनी में विश्लेषित करना चाहिए।

^cykRdkj^ % fir`lRrk dk vf/kdkj-------

क्योंकि पितृसत्ता में ओरत का सतीत्व सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए इस पर आने वालें खतरों से निपटने की जिम्मेदारी उस औरत व उसके परिवार की हे। यहां समस्या यह है कि औरत ऐसे समाज में रहने का बोझ उठा रही है जो पुरूष से आक्रामक होने की आशा करता है, लेकिन औरत पर स्वयं को बचाने का जिम्मा है, जिसके कारण उसे खास तरीके से रहना जरुरी है।

बलात्कार के अलावा बलात्कार की संस्कृति (लगातार बने रहने वाला भय कि ओरत का किसी भी समय कही भी बलात्कार हो सकता है) एक बहुत चितांजनक विषय है। सभी यह जानते है कि बलात्कार गलत है, फिर कोई इसे कारता ही क्यों है ? क्या यह एक वैयक्तिक अपराध है या संस्कृतियों और सीमाओं से परे मर्दानगी और सत्ता का तथ्य है ?

महिलाएं अकेले जोखिम क्यों उठाती है, अक्सर यह मान लिया जाता है कि यह उन्हीं की भूल है। यदि वे किसी पुरूष साथी के साथ होती है तो इसका यह तात्पर्य निकाला जाता है कि उनका चरित्र कमजोर है। उन्हें अपने पहनावे को लेकर सावधान रहना चाहिऐ क्योंकि इससे पुरूष उत्तेजित हो सकते है। हमारे मानस में यह जडो ंतक बैठा है कि औरतें स्वयं ही बलात्कार को आमंत्रित करती है। यदि कोई महिला किसी बलात्कारी पर आरोप लगाने का साहस दिखाती है तो उसे यह साबित करना जरुरी है कि उसने स्वयं बलात्कार को आमंत्रित नहीं किया। हम पूर्व में ऐसे कई फैसले देख चुके है, जिसमें फैसला बलात्कारी के पक्ष में गया है, क्योंकि महिला ने पर्याप्त विरोध नहीं किया।

इस विषय का विष्लेषण गहन है। जब औरते उनके लिये बनाये गये व्यक्तिगत माहौल से निकलकर पुरूषों के प्रभुत्व वाले सार्वजनिक माहौल में आती है, तो इसमें कोइ आश्चर्य नहीं कि उनके साथ बालत्कार घटित होता है। बलात्कार औरतों की इस सोच का परिणाम है कि वे भी पुरूषो की बराबरी कर सकती है। जैसा कि दिल्ली में हाल ही में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कई नेताओं और धार्मिक प्रधानों ने बलात्कार से बचने के उपाय बताये वे यह हैः– औरतें अपने पिता या पति की निगरानी में रहे, मान्य तरीकों से कपडें पहने व व्यवहार करें और पुरूषों की बराबरी करने की कोशिश न करें। यह स्पष्ट है कि बलात्कार का भय एक सामाजिक–सांस्कृतिक हथियार है, जिसका प्रयोग औरतों को नियंत्रित करने एवं उनके व्यवहार को परिभाषित करने के लिये किया जाता है।

विडम्बना यह है कि महिलाए अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। यह तथ्य कि वे परिवार के लोगों की आज्ञा माने, स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अमान्य बनाता है। औरतों को पुरूषों की जरूरत के आगे झुकना पडता है, जो मर्दानगी के रूप में अनियंत्रित उत्तेजना प्रदर्शित करते हैं। महिला आन्दोलन के दौरान जब औरतें बलात्कार सम्बन्धी कानून में बदलाव की मांग कर रही थी, तब उन्होंने वैवाहिक बलात्कार को भी बलात्कार का एक रूप मानने की बात कही। इस बात पर उन्हें उनके सहयोगियों द्वारा ही तीव्र विराधे का सामना करना पडा। वर्तमान में शर्मनाक हादसों के बीच ही खाप पंचायत ने घोषण की कि लडकियों की शादी की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष कर देनी चाहिए क्योंकि अब वे जल्दी 11 वर्ष रजस्वला है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बयान से पलटने के पूर्व कहा कि ''पहले के समय में खासकर मुगल काल में लोग अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते थे, जिससे ऐसी आपदाओं का सामना न करना पडे। वर्तमान में ऐसी ही स्थिति हरियाणा में उभर रही है। इस सुझाव/सूत्र में कई खामियां है। क्या विवाह बलात्कार को रोक सकते है। यह सर्वविदित है कि विवाहित महिलए भी इसकी शिकार होती है। क्या शीघ्र विवाह की परम्परा मुगलों द्वारा हिन्दू महिलाओं पर किये अत्याचारो ंके कारण बनी? ये सूत्र भी समाज के वर्गो में व्याप्त सामान्य सामाजिक समझ का हिस्सा है। (राम पूनियानीः बलात्कार, पितृसत्ता और चयनित)

लेखन तो इस सच्चाई के बारे में क्या किया जा सकता है कि महिलाए इतने बडे खतरे में है और कानून का भी थोडा ही सहारा है ?

क्या घरों के भीतर रहा जाए?

हमेशा किसी पुरूष की सुरक्षा में रहा जाए (यह भी पितृसत्ता के तहत कडे विरोध के अंतर्गत आता है)?

शायद यही सब करना ठीक रहेगा। यदि महिलाओं का अपने दम पर दुनिया में अकेले निकलना सुरक्षित नहीं है तो यही ठीक रहेगा कि वे घर में ही छुप कर बैठ जाए और समानता व आजादी जेसे मूखतापूर्ण विचारों को छोड दें। ऐसा प्रतीत होता है कि बलात्कार की संस्कृति प्रितृसत्ता का एक और युद्ध तंत्र है। औरतों पर आरोप लगाकर हम एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां वे अपनी मर्जी से

कहीं नहीं जा सकती। उनका ऐसा व्यवहार जिसे पितृसत्ता की व्यवस्था स्वीकार नहीं करती, उसे उनकी बदकिस्मती का कारण बताया जाता है। इसके पीछे यह उद्धेश्य जान–बूझ कर या अनजाने में है कि उसे डरा औश्र शर्मिदाकर उचित व्यवहार की सीख देना।

यह भी बडा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबदस्ती की इस संस्कृति में औरतों को प्रेम के विषय में चुप कर दिया गया है और उनकी शक्ति को पूरी तरह भुला दिया गया है। फूको यौनिकता का इतिहास में कहते है कि यौनिकता का दमन खुली चर्चा का विषय नहीं है। शक्तिशाली पितृसत्तात्मक संस्थानों द्वारा स्थापित एक दायरा है जो नियंत्रण और रोकथाम/नियम के माध्यम से नैतिक आचरण को परिभाषित करता है। इन सभी नियमों की भीड में महिलाओं की भावनाओं, विचारों और मत के लिए कोई स्थान नहीं है।

cykRdkj dh lLdfr dk ipyuhdj.k%&gekj le>nkj i:"k vkj efgyk, d;k dgr g\

करीब एक महीना पूर्व दिसम्बर 2012 में दिल्ली में 6 लोगों द्वारा एक बस में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसे शारीरिक रूप से घायल किया गया और लोहे की छडी द्वारा चोट पहुॅचाई गई। हिंसा की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और जनता सडकों पर निकल आई। इससे बलात्कार और पितृसत्ता पर बहस के लिए एक शुरूआत हुई। पहले मांग थी बलात्कारियों का बधियाकरण/मृत्यदण्ड। दूसरा नजरिया था महिलाओं की सही कपडों के माध्यम से सुरक्षा, पुरूष साथी के साथ सुरक्षा एवं बेहतर आधारभूत उपाय (जैसे सी.सी.टी.वी. कैमरे, उन्नत मोबाईल फोन तकनीक, मिर्च छिडकने वाली बोतल) आदि। तीसरा और सबसे प्रतिगामी नजरिया अफसरों, राजनेताओं और धार्मिक–व्यापारी नेताओं का था। इन्होने अपनी प्रतिक्रिया में उसे युवती पर आरोप लगाया कि उसने रात को एक पुरूष साथी (जो उसका सम्बन्धी नहीं था) के साथ बाहर जाकर सारी हदे तोड दी।

इन्हें एक एक कर देखते है। हमारे गृह मंत्री ने बलात्कार के लिये मृत्युदण्ड पर सर्वसम्मति चाही है। हमारे एक सांसद को लगता है कि बलात्कार मृत्यु से भी बुरा है। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बलात्कार नारीत्व की पवित्रता को अंग करता है, नारी के तथाकथित सम्मान को नष्ट करता है और एक परम यौन कर्म के रूप में नारी की शुचिता/सम्मान का हनन होता है। अतः इसके लिये कठोर दण्ड देना चाहिए। मृत्युदण्ड से कम कुछ नहीं क्योंकि बलात्कार हत्या से भी जघन्य है। यदि इसके लिये हमें बहस करनी पडे तो इसका यह अर्थ होगा कि यह पितृसत्ता ओर उसके मूल्यों को प्रबल बना रहे है। हमें बलात्कार को औरत के शरीर को पहुचाई गई गंभीर क्षति के रूप में देखना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नही। हमें इससे सम्बंधित नैतिकता को दूर करना चाहिए।

बहस का दूसरा मुद्दा यह है कि यदि हत्या और बलात्कार के लिए एक समान दण्ड है तो अपराधी महिला की हत्या भी कर सकता है, क्योंकि उसे दण्ड तो एक समान ही मिलना है। यदि वह महिला को जीवित छोड देता है तो इस बात की सम्भावना है कि महिला उसको पहचान कर उसे पकडवा दे। अतः मृत्युदण्ड से शायद महिलाओं के प्रति हिसा में बाकायदा बढोत्तरी हो सकती है।

जिन देशों में मृत्युदण्ड का प्रावधान है (जैसे अमरीका से लेसोथो तक) वहा यौन उत्पीडन मामलों में कमी नही आई है। इस प्रकार के कठोर कानूनों से हमारी व्यवस्था और मूल्य अधिक बर्बर हो जाएं। सब लालू यादव ने बलात्कार के लिये मृत्युदण्ड की मांग की तो वे अरब देषो का अनुकरण करना चाहते थे। शायद वे महात्मा गांधी की बात पूरी तरह भूल गये कि ‘‘एक ऑख के बदले आंख के सिद्वांत से तो पूरी दुनिया ही अधी हो जाएंगी।

दूसरे तर्क के आधार पर हम समस्या की जडो तक नहीं पहुच सकते। इससे तो महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व उन्हीं पर आ जाता है जो उन्हें सभ्य पहनाने के लिये प्रेरित करता है। और बेहतर तकनीक से लैस होने की भी मांग करता है। इससे पुरूष सुरक्षा करने वालों के तौर पर स्थापित होत है और महिलाए दूसरे दर्जे की नागरिक के रूप में।

तीसरा तर्क बहुत ही जघन्य और तीव्रता से फैलने वाला है। इस पर विचार और विमर्श करने की जरूरत है।

जब एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ (न कि नेता, क्योंकि अब दोनों का मतलब एक नहीं रह गया है) ने कहा कि सामूहिक बलात्कार की शिकार एक जिंदा लाष की तरह है, तो उनका तात्पर्य था कि अपनी पवित्रता खोने के बाद उस युवती को मर जाना चाहिए था। बलात्कार होने के बाद जीने का क्या फायदा?

म.प्र. के एक वरिष्ठ भाजपा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को उनके प्रति होने वाले अपराधों को रोकने हेतु लक्ष्मण–रेखा पार नहीं करनी चाहिए। इस वक्तव्य में कोई गूढ अर्थ छुपा है।वह बलपूर्व क यह कह रहे थे कि अपनी भूमिका/कर्तव्य से हटने के प्रयास हिंसा को निमत्रण दे सकते है। तो अपने दम पर ही जोखिम उठाए।

एक अन्य जाने माने धार्मिक नेता (जो व्यापार और स्कूल चलाने के लिए जाने जाते है ये स्कूल बच्चों के यौन उत्पीडन के चलते समाचार बन चुके है) ने युवती पर यह दोष गढ दिया कि उसने बलात्कारियों से अपना भाई/पिता बनने के लिये गुजारिश नहीं की, और उसके उपर आई विपदा के लिये वह स्वयं जिम्मेदार थी। इस बात के दो मायने है; पहला यह कि यदि आप किसी को अपना भाई, पिता (सुरक्षा करने वाला) कहते है तो वहआपा बलात्कार नहीं करेगा। दूसरा यह कि वह रात में एक पुरूष साथी के साथ सडक पर इसीलिए दोषी ठहराई जाती है।

आर.एस.एस. सुप्रीमों का कथन अलग ही दृष्य दिखाता है। उन्होने कहा कि बलात्कार ऐसी घटना है जो भारत में नही इंडिया में घटती है। उनके लिये इंडिया का मतलब शहरी क्षेत्र और भारत अर्थात ग्रामीण इलाके है। उनके अनुसार शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनाई गई पाश्चात्य जीवन शैली ही महिलाओं के प्रति बढते अपराधों के लिये जिम्मेदार है। शायद वे इस बात से अनभिज्ञ है कि तथ्य कुछ और ही कहते है। एन.सी.आ.बी 2011 के अनुसार भारत में होने वाले हर 5 में से 4 बलात्कार ग्रामीण क्षेत्रो में होते है।

शायद उन्हें संपूर्ण राष्ट भारत अथवा भारत के उपनगरीय क्षेत्रों में होने वाले दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों बलात्कार के मामले की जानकारी भी नहीं है। समाचार पत्र इन खतरों से भरे पडे है। शायद उन्हें हमारी प्रचीन महिला का गान करना अधिक आसान लगता है। एक ऐसी महिला जिसमें प्रचानी काल में महिलाओं पर कोई हिंसा नहीं होती थी क्योंकि वे अपनी सीमा नहीं लांघती थी। यह एवं सुव्यवस्थित तरीके सक गढ गया मिथक है कि प्राचीन भारत में औरतों को सम्मानजनक स्थान हासिल था। पौराणिक भारतीय काल की लम्बी अवधि क दोरान महिलाओं की स्थिति बदलती रही लेकिन उनका दूसरे दर्जे का स्थान कायम रहा। अर्थात पौराणिक काल के दौरान अपने पति की मृत्यु के बार ओरतों को स्वयं का प्राथमिक बलिदान देना होता था, जो बाद में विधवाओं को जलती चिता में झोंके जाने में तब्दील हो गया। संभावित है कि इसी अवधि में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गये है जिनमें महिलाओं की स्थिति की विस्तार से चर्चा है, जिसमें वह अपनी पवित्रता साबित करने के लिये स्वयं का बलिदान नहो अथवा भाइयों के बीच औरतों को बाटे जाने की बात है।

आधुनिकीकरण को बहुत लोगों द्वारा सतही रूप से देखा जाता है और सामाजिक संबंधों की गहराई में उतरे बिना प्रचीन परम्पराओं को महिला मण्डित किया जाता है। हम भूतकाल की निंदा नहीं कर रहे है, लेकिन उसे सामाजिक परिपेक्ष्य, उतपादन व्यवस्था, शिक्षा के स्तर आदि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पूर्व काल का अन्धा महिला मण्डल या अन्धा विरोध, दोनों ही सही निष्कर्ष सें भटका देते है। आधुनिकीकरण को स्थूल रूप में देखा जाना एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जिससे सामाजिक समीकरणों का निर्माण किया जा सके। एक प्रकार से इसी का सार संग्रह मनुस्मृति में है।

उपरोक्त वक्तव्यों पर ध्यान दिया जाए तो गहराई तक बैठी हुई पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति सामने आती है, जहां औरतों को सीमा के उल्लंघन के लिये दोषी ठहराया जाता है ऐसा करने वाले अन्य लोगों के प्रति

भी ऐसी ही कठोरता की गांरटी है। यहां यह स्थापित होता है कि बलात्कार सबसे जघन्य अपराध है जो किसी व्यक्ति पितृसत्ता व्यवस्था के अनुसार कोई महिला के साथ घटित हो सकता है, इसलिये सभी एहतिया बरती जानी चाहिए और यदि कोई इसका शिकार बन ही गया तो उसे इस विषय में चुप रहना चाहिए।

cykRdkj ij iqufopkj% Hkkjrh; ukjhoknh vkUnksyu

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देश के लोग सड़कों पर उतर आए। ऐतिहासिक रूप से, महिला आन्दोलन इस मुद्दे पर निरंतर मांग कर रहा है और बलात्कार की व्यापक परिभाषा पर बातचीत जारी है। यह ना केवल यौन उत्पीड़न बल्कि बल–प्रयोग और दुर्व्यवहार को भी चिन्हित करता है। बलात्कार से जुड़े कानूनों में बदलाव किये गये हें। यह आन्दोलन आपातकाल के बाद शुरू हुआ जब कई अन्यों के साथ मथुरा (एक आदिवासी लड़की), रमीजा बी (हैदराबाद के एक रिक्शा चालक की पत्नी) और माया त्यागी (एक तथाकथित डकैत की पत्नी) के साथ हिरासत में बलात्कार हुआ। पिछले कई वर्षों के दौरान बलात्कार का इस्तेमाल साम्प्रदायिक दंगों और युद्धों में किया गया, जिससे हम वर्तमान कानूनी व्यवस्था में बदलाव पर विचार करने के लिए मजबूर है।

1980 में जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मथुरा बलात्कार प्रकरण में जब अपना फैसला सुनाया तो उसका देशव्यापी कड़ा विरोध हुआ। मथुरा 6 नाम की एक आदिवासी लड़की का बलात्कार दो पुलिस कर्मियों ने थाने में ही किया, जबकि उसके रिश्तेदार थाने के बाहर रोते–बिलखते रहे। कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब एक महिला वकील ने घटना के तुरन्त बाद 1972 में प्रकरण दायर किया। सत्र न्यायालय में मथुरा पर आरोप लगाया कि वह एक 'कमजोर नैतिकता' वाली महिला है और दोनों पुलिस कर्मियों को छोड़ दिया गया। उच्च न्यायालय ने दोषियों को 7.5 साल के कारावास की सजा दी, लेकिन इस फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सब कुछ मथुरा की सहमति से हुआ क्योंकि उसने किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी न ही किसी को सूचित किया।

इसके नतीजन 1980 में राष्ट्रव्यापी बलात्कार विरोधी आन्दोलन ने मथुरा बलात्कार प्रकरण फिर से खोलने की मांग की और साथ ही बलात्कार सम्बन्धी कानूनों में भी बदलाव की बात की। विशिष्ट वकीलों8, तथा इस आन्दोलन के इर्द–गिर्द महिलाओं के नए समूह बन गये। उन्होंने जन संभाए आयोजित की, पोस्टर अभियान चलाये, नाटकों का प्रदर्शन किया, अपनी मांगों के समर्थन में हजारों हस्ताक्षर जुटाये, रैलियां निकाली, विद्यालयों और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे, एवं जनता को बलात्कार की शिकार औरतों के उपचार के लिये प्रेरित किया। शुरूआत मध्यम वर्ग की, शिक्षित व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने की, बाद में राजनैतिक दल और जन संगठन की हुजूम में शामिल हो गए।

1978 में एक बुर्काधारी महिला रमीजा बी का हैदराबाद के नलाकुना पुलिस थाने मे ंचार पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया। जब उसके पति ने पुलिस का विरोध किया तो उन्होंने उसे पीट–पीट कर मार डाला। इसके फलस्वरूप पूरे आन्ध्रप्रदेश में पुलिस–विरोधी दंगे शुरू हो गये। 18 पुलिस थाने जला दिये गए और 26 लोगों की पुलिस द्वारा गोली बारी में मौत हो गई। मदद के लिये सेना को बुलाना पड़ा और एक न्यायिक जांच (मुक्तादार कमिशन) बैठाई गई। हैदराबाद पुलिस (डी.आई.जी. से लेकर संलग्न सिपाही तक) ने पूरी कोशिश करी कि रमीजा बी को 'वेश्या' और उसके पति को दलाल साबित कर दिया जाए। उन्होंने गवाही के लिये अन्य 'वेश्याओं' और दलालों का इंतजाम भी किया, रमीजा बी की गांव में बिताई जिंदगी की जानकारी जुटाई और पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़खानी की। मुक्तादार कमिशन ने इन सभी सबूतों को खारिज करते हुए पुलिस को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया।[2]

---

[2] देखें विभूति, सुजाता, पदमा (बलात्कार के विरूद्ध मंच) : ''बलात्कारविरोधी आन्दोलनऔर ाारत में स्वशासी महिला संगठनों के मुद्दे'' मिरैन्डा डेविस (संकलनकर्ता)ः तसीरी दुनिया– दूसरा लिंग, जेड़प्रेस, चौथाप्रकाशन, 1987.

16 जून 1980 को बागपत में माया त्यागी को पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से उत्पीड़ित करने के बाद निर्वस्त्र कर घुमाया गया। बाद में उसके पति को भी डकैत घोषित कर दिया गया। एकल व्यक्ति वाला पी.एन. रॉय आयोग 10 जांच हेतु बैठाया गया जिसने अति पितृसत्तात्मक रिपोर्ट तैयार की। हॉलांकि रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि माया तयागी को पीटा गया और उसमें छड़ भी घुसाई गई लकिन इसे बलात्कार नहीं माना गया।

यह गौरतलब है कि यह आयोग बलात्कार को किस तरह परिभाषित करता है ? क्या माया त्यागी के शरीर पर की गई बर्बरता बलात्कार नहीं थी? गाड़ी में बैठी एक अकेली औरत को छूना और अभद्र शब्द कहना, उसे घसीट कर बाहर निकालना, उसके स्तनों को उघाड़ना व छूना और उसके शरीर में छड़ घुसा देना– क्या यह बलात्कार नहीं है? तो फिर बलात्कार क्या है? माया त्यागी के सामने ही उसके पति और शुभ चिंतकों को मार दिया गया क्योंकि एक पुलिसकर्मी ने उसका बलात्कार करनाचाहा और उसके पति ने इसका विरोध किया। पुलिस वालों ने सोचा कि एकांत में बलात्कार करना आसान रहेगा, इसलिए उसे खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की गयी। माया त्यागी लगातार विरोध करती रही और इसके फलस्वंरूप उस पर आक्रमण तेज कर दिया। जब वे कमिशन के अनुसार सब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, हालांकि यहाँ जो कुछ कहा गया है वह कमीशन पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट से लिया गया है।

कमीशन की रिपोर्ट पुलिस व जनता और पुरूष व महिला के बीच के स्वास्थय सम्बन्धों की समझ के सांथ छलावा नही करती। बल्कि यह रिपोर्ट छुपी हुई दमन की प्रवृत्तियो को उजागर करती है। वर्तमान विचारधारा को दिखाती है तथा सरकार को समर्थ्रन देनें की रिपोर्ट के लेखक की उत्सुक्ता प्रर्दशित करती है। यह रिपोर्ट जिस रूप में अखबारों में सामने आयी हैं, उससे यह दमन को समर्थन देने वाला दस्तावेज लगती है। हॉलाकि प्रथम–दृष्टया यह एक "वास्तविक भयमुक्त" फैसला लगता है जिसमें पुलिस की डकैतों के साथ झूठी मुठभेड़ को उजागर किया गया है और स्थानीय लोगों द्वारा माया त्यागी को अपमानित करना भी झूठा करार दिया गया है। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों के पास समय ही नहीं है कि वे इस रिपोर्ट द्वारा दिखावटी सच के पीछे फैलाये जा रहे झूठ के बारे में सोचें।

cykRdkj d: dkuu e: l/kkjk ij ppk,[3]

बलात्कार के कानून में सुधारों की माँगे विभिन्न मुद्दों को हुआ, जैसे यौन–विषयों की सामाजिक संरचना जो औरतों के बारे में कानून और समाज की अवधारणाओं को परिलक्षित करती है, बलात्कार की शिकार महिला का पूर्व यौन–इतिहास, अपराधी न्याय प्रणाली की प्रक्रिया (प्रथम जाँच रिपोर्ट – एफ.आईकृआर.), तहकीकात, चिकित्सा परीक्षण, भारत में हिरासत में रखी गई औरतों के अधिकारी। दो पुस्तिकाओं में सामूहिक बलात्कार पर नारिवादियों और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं की बहस व चर्चाएँ, हिरासत में बलात्कार परिवार में बलात्कार, गवाही/सबूतों को बोझ आदि को दर्शाया गया है।[4]

जब नवम्बर 1980 में मुम्बई में "भारत में नारी मुक्ति आन्दोलन का परिपेक्ष्य" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, तो बलात्कार पर प्रस्तावित बिल सबसे विवादित मुद्दा रहा। नारीवादियों के बीच गहन चर्चा के बाद यह निश्चित हुआ कि महिला–संगठनों की मांगे इस प्रकार होनी चाहिए :

1. किसी महिला से उसके निवास स्थान पर ही पूछ–ताछ की जा सकती है।
2. किसी पुलिस अफसर द्वारा पूछ–ताछ के दौरान महिला को यह अनुमति होनी चाहिये कि वह अपने

---

[3] बलात्कार के कानूनों के विरूद्ध एक अभियान : विभूति पटेल

[4] देखें, कानूनविदों की सामूहिक : "बलात्कार और कानून", मुम्बई, 1980 एवं सुदेश वैद्य, अमिया राव और मोनिका जुनेजा : "बलात्कार, समाज और शासन", लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता का संगठन, नई दिल्ली, 1980.

3 विभूति पटेलः ''भारत में औरतों की आजादी'' नवीन नाम विश्लेषण नं. 153, 1985

7 तुकाराम और गणपत विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार 1979 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली।

8 नीरा देसाई एवं विभूति पटेलः भारतीय महिलाऐं– अंतर्राष्ट्रीय दशक में बदलाव एवं चुनौतियां, 1975, संगम प्रकाशन, 1990

10.magtheweekly.com

साथ किसी पुरूष सम्बन्धी, मित्र अथवा महिला सामाजिक कार्यकर्ता को रख सकें।

3. जिस महिला को हिरासत में रखा गया हो उसे महिलाओं के लिये अलग से बतायी गई हवालात में ही रखा जाये। यदि ऐसी हवालात उपलब्ध न हो तो औरतो को महिला/बाल गृह में रखा जाये जो महिलाओं की सुरक्षा और कल्याणर्थ हो
4. बलात्कार की शिकार महिला की चिकित्सा रिपोर्ट में उसमें बताये गये निष्कर्ष के कारण भी लिखे होने चाहिये। यह रिपोर्ट शीघ्रता से मजिस्ट्रेट तक पहुँचाई जानी चाहिये जिससे उसमें बदलाव की संभावना न रहे।
5. बलात्कार के प्रकरण की सुनवाई के दौरान इसकी शिकार हुई महिला का पूर्व यौन – इतिहास सबूतों के तौर पर न रखा जाए।
6. यदि कोई पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो इसे एक अपराध माना जाना चाहिये।
7. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अनुसार किसी महिला की जाँच के दौरान सहमति पूरी तरह से स्वैच्छिक और स्वतंत्र हो – इसे मथुरा के प्रकरण हेतु बदला जाए।
8. भारतीय प्रमाण अधिनियम की धारा 111 अ में सबूत का भार का प्रावधान है। इसे बदला जाना चाहिये और यह जोड़ा जाना चाहिये कि बलात्कार के जिन प्रकरणों में अपराधी एक सरकारी कर्मचारी, पुलिस अफसर, किसी जेल, अस्पताल या हवालात का अधीक्षक अथवा प्रबन्धक है, जहाँ यौन–क्रिया की गई साबित होती है और महिला शपथ लेकर कहती है कि उसकी मर्जी से यह क्रिया नहीं हुई, तो न्यायालय यह मानेगा कि इसमें महिला की सहमति नहीं थी। [5]

इस आखिरी बिन्दु पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया क्योंकि कईन नारीवादियों को यह लगा कि बलात्कार के सभी प्रकरणों में सबूत का भार दोषी पर होना चाहिये न कि पीड़ित पर। ऐसा इन कारणों से है – अपराध की प्रकृति, महिलाओं पर पुरूषो का प्रभुत्व और असहमति को साबित करने की असंभावना, सिवाय इसके कि वह यह कहे कि उसकी सहमति नहीं थी। वहीं दूसरी ओर, जन आंदोलनों से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल व्यापार – संघ के पुरूषो सदस्यों व दलित, आदिवासी और किसान संगठनों के पुरूष कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्वार्थी तत्वों द्वारा शिकार बनाने में किया जा सकता है।

dk;LFky ij ;ku mRihMu % महिला अधिकारों की बहुलता का उपेक्षित कार्यान्वयन

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंन्धित कानून अथवा संदर्शिका उस लम्बी लड़ाई का नतीजा है जो भँवरी देवी और महिला आन्दोलन ने लड़ी। इसके फलस्वरूप विशाखा संदर्शिका का निर्माण हुआ। भँवरी देवी एक ग्राम स्तर की सामाजिक कार्यकर्ता या यूँ कहें कि एक विकास कार्यक्रम की साथिन थी जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम गाँवों में बाल–विवाह और बहु–विवाह के विरूद्ध लड़ रहा था। इस प्रयास का एक हिस्सा होने के नाते भँवरी ने स्थानीय प्रशासन की सहायता से रामकरन गुज्जर की एक वर्ष से भी कम उम्र की बेटी की शादी रूकवाने का प्रयास किया। हाँलाकि शादी तो हो गई लेकिन भँवरी ने गुर्जर परिवार से दुश्मनी मोल ले ली। उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया और सितम्बर 1992 में रामकरन गुर्जर समेत पाँच लोगों ने भँवरी देवी के साथ उसके पति के सामने ही सामूहिक बलात्कार अपमान से भरे हुए बीते। गाँव के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के एकमात्र पुरूष डॉक्टर ने भँवरी का परीक्षण करने से इनकार कर दिया और जयपुर के एक डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बिना बलात्कार का जिक्र किये मात्र उसकी आयु की पुष्टि कर दी। पुलिस थाने में महिला सिपाहियों ने रात भर भँवरी पर ताने कसे। आधी रात के बाद पुलिसकर्मियों ने भँवरी को सबूत के तौर पर अपना लहँगा छोड़ कर घर लौट जाने का कहा। उसके पास पहनने के लिये सिर्फ अपने पति की खून से सनी धोती थी। पुलिस थाने में रात गुज़ार लेने की उनकी विनती ठुकरा दी गई।

न्यायालय ने दोषियों को रिहा कर दिया, लेकिन भवँरी आगे की लड़ाई लड़ने और न्याय पाने के लिये कृतसंकल्प थी। उसने कहा कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हैं और वे पुरूष हैं। जिन्हें अपने किये

[5] विभूति पटेल : "जरूरतें और अधिकार : भारत में महिलाओं के आन्दोलन के अनुभव", संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, 1984.

कृत्यो पर शर्म आनी चाहिये। उसकी जुझारू प्रवृत्ति ने अन्य साथिनों और देश भर के महिला संगठनों को प्रेरित किया और आने वाले महीनों में उन्होंने भँवरी को न्याय दिलाने के लिये एक संयुक्त अभियान चालू किया।[6]

घोर अन्याय से विस्मित और भँवरी देवी के अथक प्रयासों से प्रेरित होकर साथिनों और महिला समूहों ने सामूहिक प्रयास की शुरूआत की। उन्होंने विशाखा के संयुक्त मोर्चे के तले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कदम उठाने की मांग की। भंवरी को पुरूषों का क्रोध सिर्फ अपने कार्य के कारण ही झेलना पड़ा था। परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के फैसलो के रूप में 1997 में सामने आया जिसे विशाखा संदर्शिका के नाम भी जाना जाता है। विशाखा संदर्शिका भारत में औरतों की स्थिति के लिये बेहतर साबित हुई। आखिरकार कार्यस्थल पर औरतों द्वारा सहे जाने वाले विद्वेष को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, ऐसा विद्वेष जिसका परिणाम अक्सर यौन उत्पीड़न के रूप में होता है।[7]

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यौन उत्पीड़न के[8] दायरे में ये सभी आते हैं– किसी भी तरह का अनचाहा शारीरिक, शाब्दिक, गैर–शाब्दिक व्यवहार जो यौन प्रकृति का हो। इस संदर्शिका ने अब एक बिल का रूप ले लिया है, हालांकि इसके अंशो पर बहस की जा सकती है।

orZeku vo/kkj.kk

कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। हाल ही में जन सामान्य ने सड़कों पर उतर कर बलात्कार के कानून में बदलाव की मॉग जताई है। जस्टिस वर्मा कमिशन के पास इस कानून में बदलाव के प्रस्तावो की बाढ़ आ गई है। राज्य बलात्कार को एक राजनैतिक मुद्दे की तरह देख रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से इसे चुनावी नजरिये से तौल रहे हैं और महिलाओं के लिये हेल्प लाइन, नवाचार और अन्य योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इन सभी का स्वागत है, लेकिन ये सब लघु अवधि के उपाय हैं और केवल लक्षणों पर केन्द्रित है न कि समस्या की जड़ो पर। इस रपट लिखते वक्त जस्टिस वर्मा आयोग की अनुषंसाएं आ चुकी है जो कि नारीवाद तथा प्रगतिषील है।

fu"d"kZ & महिलाओं के प्रति भेद–भाव एक सामाजिक संरचना का भाग है। राजनैतिक, वित्तीय, सामाजिक व्यवस्थाएँ इसे और भी मजबूत करती हैं। यह स्वयं से पूछने का समय है कि क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जो महिलाओं के शोषण और अत्याचारों पर आधारित हों? यह चरम समय है जब हमें समाज और अपने परिवार के साथ सम्बन्धों में बदलाव लाने के विषय में सोचना होगा। वह क्रोध जो सड़कों पर दिखाई देता है उसे भीतर की ओर मोड़ने की भी आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को सामाजिकता को बदलने की जरूरत हैं। उन्हे भेद भाव की भूमिकाओं में ढालने की पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है हमारी संस्कृति व मापदण्डों का विश्लेषण भी होना चाहिये।

सामाजिक न्याय के लिये शासन को जिम्मेदार बनाना होगा। अपने मत को लादने वाले नेताओं और उनके दकियानूसी विचारों को छोड देना होगा। मीडिया को अधिक सतर्क रहना होगा और महिलओं को 'दबंगयीकरण' व 'वस्तुकरण' बंद करना होगा। औरतों के बहु–स्तरीय और बहु–क्षेत्रीय भेदभाव के बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पक्षपात लगातार बना हुआ है। छः दशक गुजर गये जब हमारे संविधान ने समानता की नींव रखी थी, लेकिन औरत अब भी दोयम दर्जे की नागरिक है।[9]

समय आ गया है कि हम जागें और भय के इस वातावरण को उखाड़ फेकें।

---

[6] मौन की राजनीति : संहिता से उद्धत

[7] Infochangeindia.org

भाग - २

संख्यायें क्या बोलती है ?

Baaga 2

l[;k,¡ D;k cksyrh gS\

भारत में महिला दुष्कर्म की खबरें समाचार पत्रों में विचारषील ढंग से कम महत्व के साथ और उत्तेजना से अधिक छापी जाती हैं। शोषित महिला तथा उसके परिवार की इज्जत में कमी आने तथा पवित्रता की अवधारणा को इसका श्रेय है। दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यको को सत्ताधारी द्वारा बेइज्जत किए जाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। बलात्कार पुरूष का हाथियार माना जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के एक तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार रजिस्टर्ड किए गए दुष्कर्म मामलों की शुरूआती संख्या जो 1971 में 2487 थी वह 2011 में 24206 हो गई। छः दषक – 1953 से 2011 तक हत्याओं के मामलों में जहॉं 250% की वृद्धि हुई, वही बलात्कार में 873% का इजाफा हुआ है।

योजनाबद्ध रूप से दुष्कर्म पीड़ितों की उपेक्षा के 50वे एवं 60वे दषक के आंकडे प्राप्त नहीं हैं। सन् 1971 के बाद से एनसीआरबी ने दुष्कर्म के आंकडे एकत्रित करना शुरू किए। राष्ट्रीय स्तर पर सजायाफ्ता वाले दुष्कर्म के आंकडे हत्या अपराधों की अपेक्षा कम पाए गए (28%) जबकि 2011 में हत्या की दर 35.5% रही और उसी वर्ष में दुष्कर्म का आंकडा 26.4% था।

Hkkjr e n"de d edne ,o nk"k fl) dju oky vkdM

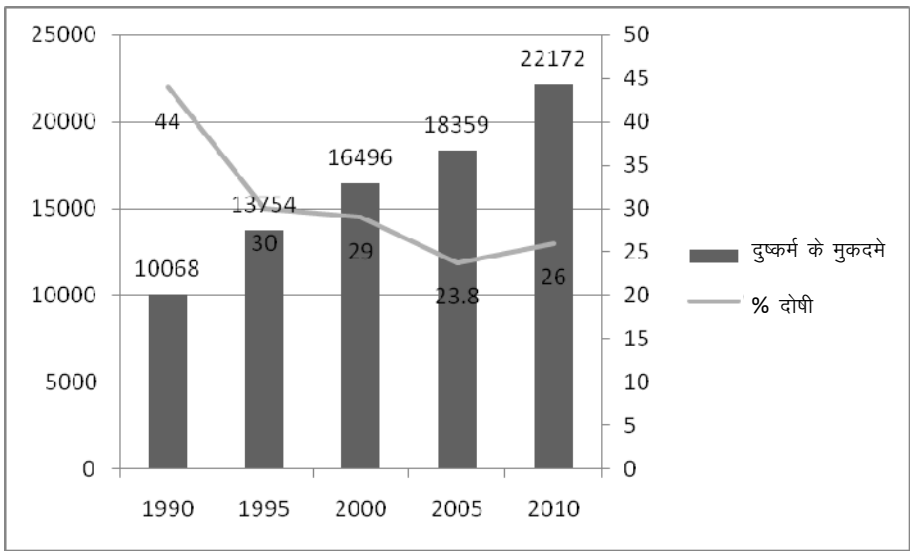

egRoi.k rF; &

1. भारत में वर्ष 2010 में कुल रिपोर्ट किए गए मामले 22172 थे और उनमें से 26% दोषी पाए गए।
2. भारत में विगत 5 वर्षों में कुल 109979 दुष्कर्म के मामले रजिस्टर किए गए।
3. भारत में गत 2 दषकों में दोषी पाए जाने वाले मामलों में 44% से 26% गिरावट आई।
4. देष में 1 लाख की जनसंख्या पर दुष्कर्म की दर 1990 में 1.2 थी जो बडकर वर्ष 2011 तक 2.0 हो गई है।

एक महत्वपूर्ण विषलेषण के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महिलाओं की षिक्षा तद्नुसार नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। युवतियाँ, युवकों के मुकाबले अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती हैं और अच्छी नौकरियाँ प्राप्त करती हैं। मध्यप्रदेष में कार्य सहभागिता में पुरूषों की अपेक्षा महिलाएँ बेहतर स्तर पर हैं। कृषि श्रम में महिलाओं का योगदान 85% से अधिक है। पुरूष के पलायन करने पर जब महिलाएँ कृषि कार्य करती हैं तो शोषण की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जैसे ही महिलाएँ शहरों के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने आती हैं तो महिला दुष्कर्म एवं शोषण की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो जाती है। पूंजीवादी, वैष्विकरण के कारण धार्मिक कट्टरता बढ़ी है जो जबतब स्त्रीओं के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब स्त्रीयों की स्वतंत्र पहचान बनती है और उनमें अधिक आत्म विष्वास पैदा होता है यह पुरूषत्व के लिए चुनौती माना जाता है। इसकी प्रतिक्रिया हिंसा होती है। महिला दुष्कर्म उसी का एक रूप है।

e/;çns'k ij ,d utj

एनसीआरबी के आंकडों (1991–2011) के अनुसार पिछले 2 दषकों से राज्य ने दुष्कर्म के मामलों मे सबसे अधिक घटनायें हुई है।

सिर्फ पिछले 1 वर्ष में 3406 दुष्कर्म की घटनाओं का पंजियन किया गया यानि प्रत्येक 24 घंटों मे 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ।

पिछले वर्ष की पहली छह माह (जनवरी से जुलाई 2012) में 1927 दुष्कर्म के मामलों का पंजियन किया गया – जोकि वर्ष 2010 एवं 2011 के उसी समय से 6.11 प्रतिषत ज्यादा है। वर्ष 2011 में देष में दुष्कर्म के कुल मामलों में से राज्य के 14 प्रतिषत दुष्कर्म के मामलों सामने आए।

शहरों के आंकलन में मध्यप्रदेष की राजधानी, भोपाल में 100 दुष्कर्म के मामलों का पंजियन हुआ जोकि महानगरों दिल्ली (453) एवं मुंबई (221) से बाद तीसरें स्थान पर है। राज्य का आद्योगिक शहर इन्दौर 5वें स्थान पर है जहाँ 91 दुष्कर्म के मामलों का पंजियन हुआ।

एनसीआरबी के अुनसार, मध्यप्रदेष में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में दुष्कर्म के ज्यादातर मामलों का पंजियन किया गया एवं किषोरवस्था में दुष्कर्म के अधिकत्म 1195 घटनाओं का पंजियन किया गया। इनमें से 886 लडकियाँ 14 से 18 वर्ष के अन्दर एवं 309 लडकियाँ 10 से 14 वर्ष के अन्दर थी।

इस वर्ष की शुरूआत में राज्य के गृह मंत्री श्री उमाषंकर गुप्ता ने विधान सभा में यह स्वीकार किया कि पिछले 2 सालों में राज्य में 3176 अव्यस्क बच्चीयों के साथ दुष्कर्म किया गया है जोकि 4 अव्यस्क बच्चियाँ प्रतिदिन के हिसाब से है।

वर्ष 2011 के अर्न्तगत मध्यप्रदेष में छेडछाड के 6665 मुकदमों का पंजियन किया गया जो स्वार्धिक है। राज्य में दुष्कर्म के मामले बहुत ज्यादा एवं उसकी तुलना में दोष सिद्ध होने के मामले बहुत कम हैं। यह आंकडा वर्ष 2011 में 23.6 प्रतिषत था।

rqyukRed fo'ys"k.k & e/;çns'k ,oa Hkkjr

1. मध्यप्रदेष में कुल 3396 दुष्कर्म के मुकदमों को दायर किया गया। सगे–सम्बंधीयों के साथ यौन सम्पर्क को मिलाकर कुल 3406 दुष्कर्म के मुकदमों को दायर किया गया।
2. इन 3396 मामलों में से 67 वारदात 10 वर्ष से कम उम्र की लडकियों के साथ, 309 वारदात 10 से 14 वर्ष की लडकियों के साथ, 882 वारदात 14 से 18 वर्ष की लडकियों के साथ, 1567 वारदात

18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ, 546 वारदात 30 से 50 वर्ष की महिलाओं के साथ एवं 27 वारदात 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के साथ हुई।

3. मध्यप्रदेष के 3406 घटनाओं में से 303 घटनाएं के लिए भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर मे हुई कुल 10% है। भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर में महिलाओं के विरूद्ध 2094 वारदाते दर्ज की गई।

4. इन 303 दुष्कर्म के मामलों में से 7 वारदातें 10 वर्ष से कम उम्र की लडकियों के साथ, 19 घटनायें 10 से 14 वर्ष की लडकियों के साथ, 82 वारदातें 14 से 18 वर्ष की लडकियों के साथ, 144 घटनायें 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ, 45 मामले 30 से 50 वर्ष की महिलाओं के साथ एवं 6 मामले 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के साथ हुए।

5. भारत में सगे–सम्बंधीयों द्वारा किए गए दुष्कर्म के 267 मामलों में से 10 मामले मध्यप्रदेष में हुए जोकि कुल का 3.7% है। यह आंकडे देष में उस धारणा को चुनौती देते हैं जो यह मानता है कि दुष्कर्म करीबी रिष्तेदार या सगे–सम्बंधीयों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

6. प्रतिषत के आंकडों में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों में भोपाल में 27.7%, ग्वालियर में 34.4%, इन्दौर में 34.7% एवं जबलपुर में 34.7% हुए।

7. वर्ष 2011 में हिरासत सम्बन्धी दुष्कर्म का कोई भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन अभी एक ऐसा मामला जाँच स्तर पर है। इन आंकडों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए जहाँ पर दलित एवं आदिवासी महिलाओं को यौन उत्पीडन एवं दुष्कर्म के मामलों को सरकारी महकमें के द्वारा झेलना पढता है।

n"de d ekeyk dk ftyk ,o lHkkx Lrjh; fo'y"k.k

1. दुष्कर्म के मामले (जिला)

   निम्न टेबल दुष्कर्म के मामलों को दर्षाता है

2. ithÑr n"de d ekey

Ø-	Jsh.kh	ithÑr ekey
1	चम्बल	95
2	शहडोल	160
3	होषंगाबाद	225
4	रीवा	231
5	ग्वालियर	264
6	उज्जैन	331
7	सागर	374
8	इन्दौर	439
9	भोपाल	475
10	जबलपुर	537

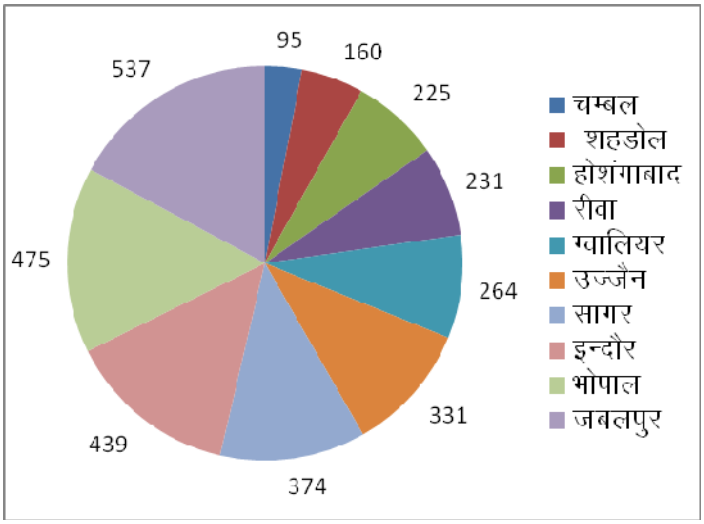

मध्यप्रदेष का डाटा वर्ष 2011 के अनुसार (वेबसाइट – www.mppolice.gov.in)

मध्यप्रदेष के सागर जिले में दुष्कर्म के 131 मामलों को पंजीकृत किया गया जो अधिकतम है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर दलित का प्रतिषत ज्यादा है।

मध्यप्रदेष के मण्डल जिसमें सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामलों को रिपोर्ट किया गया वह जबलपुर है जहाँ पर 537 मामले रजिस्टर हुए। इस पूरे मण्डल को 'पेसा' (आदिवासी अधिकृत) ब्लाक ने चिन्हित किया है जो आदिवासीयों का बहुत बडा घर है।

अगर हम पेसा जिलों पर ध्यान केन्द्रित करें तो यह हमें महिलाओं पर होने वाली ज्यादतीयों के बारे में वृस्तृत जानकारी देता है –

1. झाबुआ – 33
2. मण्डला – 61
3. धार – 103
4. बडवानी – 34
5. खरगौन – 39
6. बैतूल – 120
7. श्योपुर – 13
8. अलीराजपुर – 24

अगर हम कुल आंकडों पर नजर डाले तो स्पष्ट रूप से यह समझ जाएँगें कि 14% दुष्कर्म के मामले पेसा जिलों में हुए हैं.

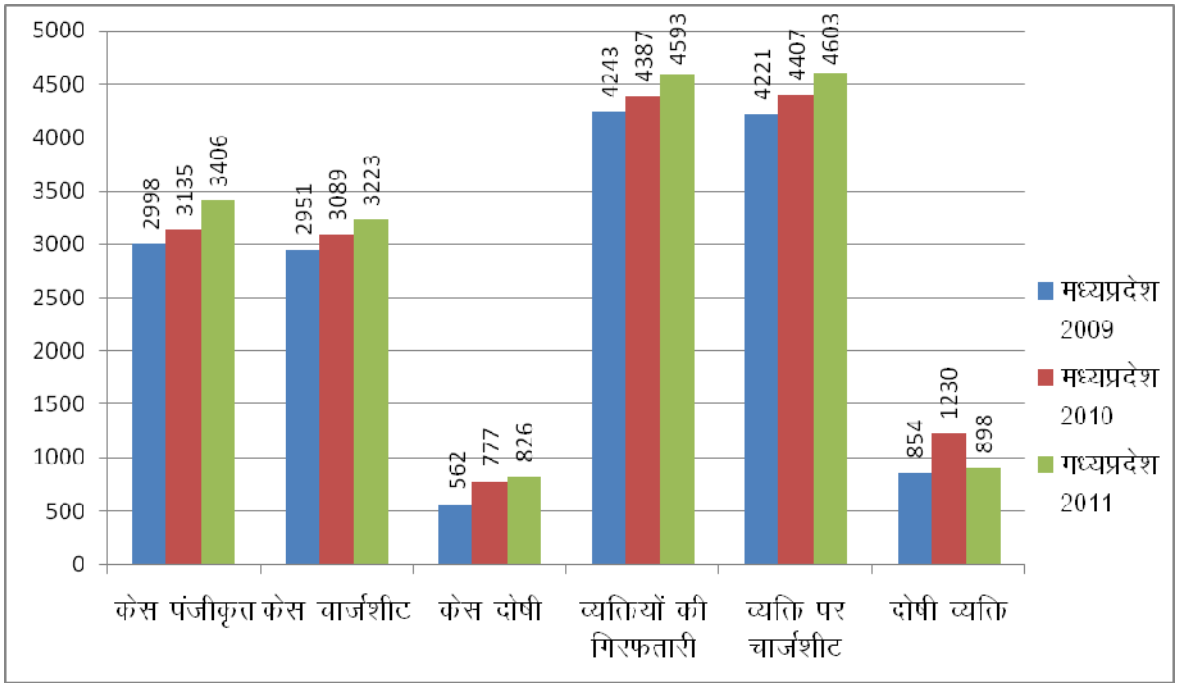

e/;çn'k e n"de d ekeyk dk rhu lkyk dk rqyukRed fo'y"k.k ¼2009 & 2011½

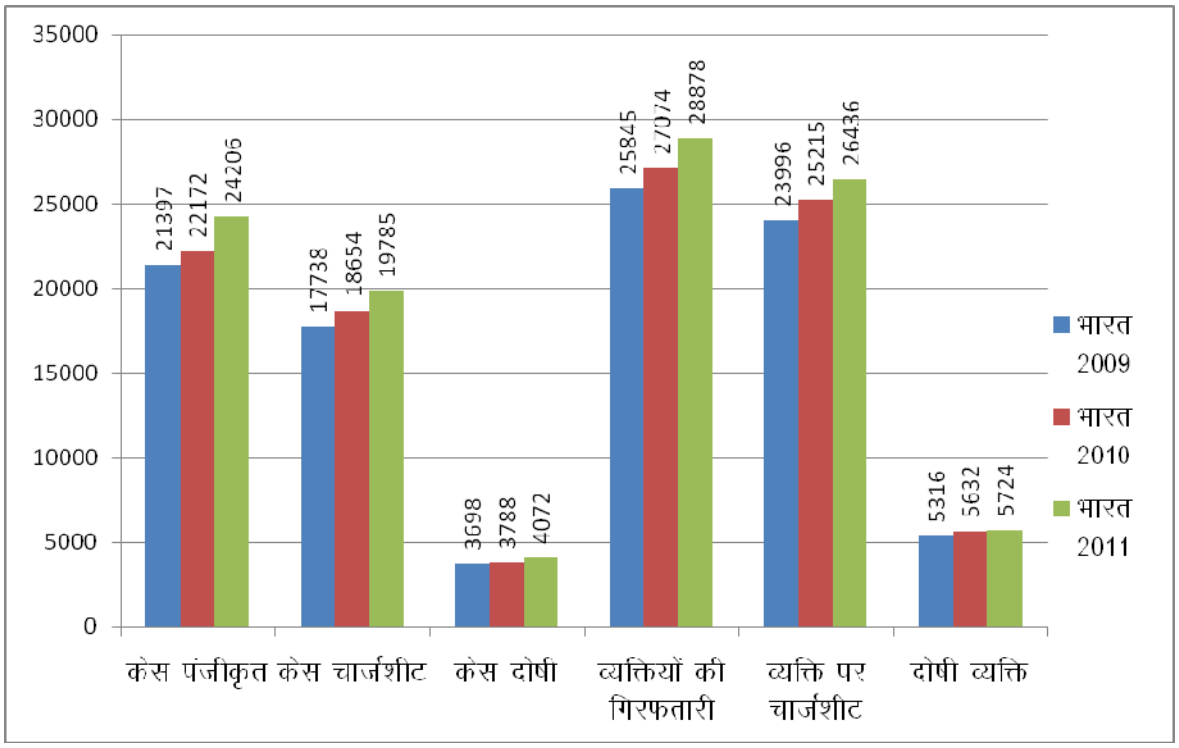

Hkkjr esa n"deZ ds ekeyksa dk rhu lkyksa dk rqyukRed fo'ys"k.k ¼2009 & 2011½

वर्ष 2009 और 2011 के बीच में मध्यप्रदेष में दुष्कर्म के 9539 केस दर्ज हुए। इन तीन वर्षों में सबसे ज्यादा वर्ष 2011 में 3406 मामले प्रतिवेदित हुए, वर्ष 2010 में 3135 मामले एवं वर्ष 2009 में 2998 मामले प्रतिवेदित हुए। वर्ष 2009 और 2011 के बीच में मध्यप्रदेष में दुष्कर्म के मामलों में 13.6% की वृद्धि हुई जो कि राष्ट्रीय आकडे 13.12% से ज्यादा थी।

e/;çns'k esa efgykvksa ij fgalk

मध्यप्रदेष में दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले (3406), यौन उत्पीड़न (6665) एवं लड़कियों को बेचने (45) के मामले सामने आए जो कि राष्ट्रीय आंकडों का 14.1%, 15.5% एवं 56.3% है।

भारत में वर्ष 2011 में बच्चों के साथ ज्यादती के कुल 7112 मामले पंजिकृत हुए जोकि वर्ष 2010 के कुल आंकडे 5484 की तुलना में 29.7% ज्यादा थे। मध्यप्रदेष में दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले 1262 पंजिकृत हुए जो उत्तर प्रदेष के 1088 मामलों और महाराष्ट्र के 818 मामलों से ज्यादा हैं। यह तीनों राज्यों को मिलाकर भारत के कुल दुष्कर्म के आंकड़ों का 44.5% है।

e/;çns'k esa efgyk n"deZ dk fo'ys"k.k

एक प्रारम्भिक विष्लेषण ने महिला दुष्कर्म पर निम्नानुसार प्रकाष डाला है –

दुर्घटनाओं ने इस मिथक को तोडा है कि दुष्कर्म अजनबी करते हैं। निम्नांकित ग्राफ से दुष्कर्मियों की स्थिति स्पष्ट होती है।

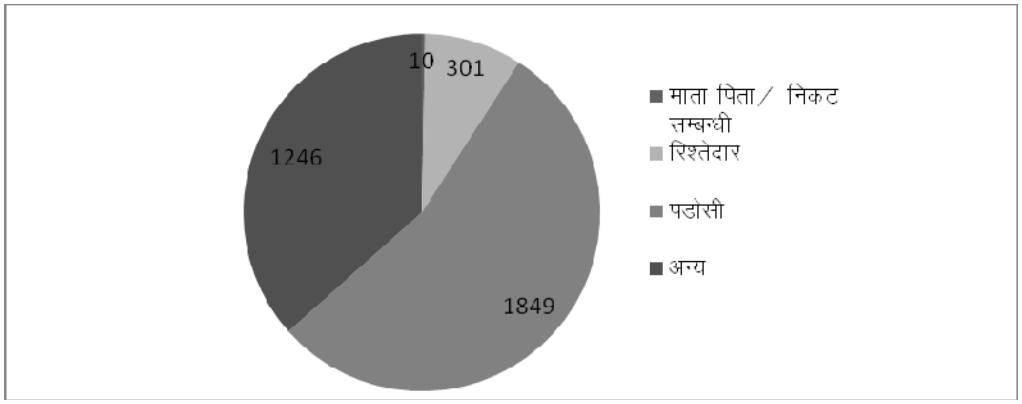

महिलाओं के साथ 43% हिंसा उनके परिवारों अथवा उनके पतियों के एक व्यक्ति द्वारा की गई।

18.8% महिलाओं ने दुष्कर्म – हमलों का सामना किया

10.6% दुष्कर्म में जीवित रहीं

15.6% का अपहरण हुआ

3.8% दहेज के कारण मारी गई

Lkaefgd n"de & i:"k ncxrk dh pje lhek

यहाँ सामूहिक बलात्कार का विषेष उल्लेख करना आवष्यक है क्योंकि यह समूहों द्वारा किया जाता है जहाँ सीमा से परे पुरुष एक–दुसरें को उकसातें है और महिला पर नृषंस हिंसा की जाती है। सार्वजनिक जगहों पर इसका विवरण बड़े अष्लील ढंग से होता है। यह शर्मनाक है कि सामूहिक दुष्कर्मो की सुख्या हमारे देष और प्रदेष में वृद्धि हुई है।

सामूहिक दुष्कर्मों से सम्बन्धित सच्चाइयाँ चौकाने वाली हैं। वर्ष 2012 में जनवरी से अक्टूबर तक 255 सामूहिक दुष्कर्म हुए हैं। बलात्कारियों ने इनमें से 20 को मार डाला और 26 पीड़िताओं ने आत्म हत्या कर ली। ग्वालियर क्षेत्र की स्थिति 51 दुर्घटनाओं के साथ सब से खराब रही जहाँ ग्वालियर में 29, षिवपुरी में 17, गुना और अषोक नगर में 5 – 5 बलात्कार हुए। यहाँ सामूहिक बलात्कार नहीं हुए। दुष्कर्म के 51 मामले हुए जिन में से 11 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली।

ftyk	n"de	lkefgd n"de	fxj¶rkj	nk"k eä
ग्वालियर	35	29	100	07
इन्दौर	141	09	258	09
जबलपुर	111	04	133	03
भोपाल	111	03	123	13
dy	2613	255	3394	418

n"de lsa lEcfU/kr vU; vkdM

- अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की सर्वोच्च संख्या होने से मध्यप्रदेष सबसे अधिक असुरक्षित स्थान है। जनजाति महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले वर्ष 2009 में 263, 2010 में 308 और 2011 में 306 दर्ज हुए।

- मध्यप्रदेष में वर्ष 2004–05 में 1157 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार का केस दर्ज किया गया। 2011 में 327 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया जबकि वर्ष 2009 एवं 2010 में यह आंकडा 321 और 316 था।
- भारत में प्रत्येक 22 मिनिट पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले हुए – *31 दिसम्बर 2012, द वीक के अनुसार*

1. मध्यप्रदेष शासन ने यह तय किया है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वाले दोषियों को सरकारी नौकरी, हथियार/गाडी चलाने का लायसेन्स और पासपोर्ट नहीं देगी।
2. मध्यप्रदेष के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 22 मिनिट में एक दुष्कर्म होने के प्रमाण हैं। जनवरी से नवम्बर 2012 के बीच सागर डिवीजन में 330 महिला दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए।
3. देष में गत पाँच वर्षों में 109979 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। दो दषकों से थोडा कम समय में देष में दुष्कर्मों की संख्या में दोगुणी वृद्धि हुई है। अपराध दर में यद्यपि 44% से 26% की गिरावट आई है परन्तु दुष्कर्म की दर (एक लाख की जनसंख्या पर दुष्कर्म) देष में 1990 में 1.2%, 2000 में 1.6% और 2011 में 2.0% की वृद्धि हुई है।

e/;çn'k] n"del dk dUnz LFky

- नवम्बर 2012 तक दुष्कर्म के 2982 मामले प्रतिवेदित
- 30 दुष्कर्म पीड़ितों की हत्या
- 26 दुष्कर्म पीड़ितों की आत्महत्या
- 255 सामूहिक बलात्कार
- 1453 नाबालिग पीड़ित
- 1509 अनुसूचित जाति/जनजाति पीड़ित
- 111 मामले भोपाल में
- 141 मामले इन्दौर में
- 3394 दोषी गिरफतार
- 418 दोषी फरार

सामूहिक बलात्कार विशेषकर निंदनीय है क्योंकि इसमें उपद्रवी, बर्बर, अति मर्दाना पुरूष मिल कर किसी औरत को अपार हानि पहूँचाते हैं और उसका अपमान करते हैं। यह घोर शर्म की बात है कि भारत में सामूहिक बलात्कार तेजीं से बढ़ रहे हैं। भारत में बलात्कार कोई वैयक्तिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनैतिक विकृति है जो व्यापक लिंग–आधारित हिंसा का एक भाग है। हर 12 मिनट में एक औरत के साथ छेड़–छाड़ की जाती है, हर घंटे दहेज के लिए जलाई जाती है और हर 21 मिनट में बलात्कार की शिकार होती है। बलात्कार के लिये कठोर दण्ड की मॉग के पीछे यह विश्वास है कि इस प्रकार के दण्ड के भय से ये रूक जाएॅगे। लेकिन यह तो बदले की चाहत है न कि न्याय की। भारत के शहरों में जो उपद्रवी झुंड यह नारे लगाते हुए घूम रहे थे कि ''तुम बलात्कार करोगे तो हम तुम्हें काट देंगे'', वे अपराध की भॉति ही हिंसा फैला रहे थे।

बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के लिये मृत्युदण्ड देने से यह अपराध रूक नहीं जाएगा क्योंकि इसकी जड़ें पुरूष के क्रोध और पितृसत्तात्मक हिंसा में समाहित है। मृत्युदण्ड के विरोध में कई उकसाने वाले तर्क दिये गये है। जिसमें जुर्म को रोकने में उसकी नाकामी और उसकी क्रूर प्रकृति। बलात्कार के लिये मृत्यदण्ड से हत्याओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। एक और हाड कपॅाने वाली मॉग है कि बललात्कारियों का रासायनिक बधियाकरण कर दिया जाये। यह तो तालिबानी पद्धति वाला न्याय हुआ। लेकिन उन रसायनों को शरीर में डालने में कई दिक्कतें है जो उस टेस्टोस्टेशेन का उत्पादन बंद कर दें जो यौन क्रियाओं और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। रासायनिक बधिकरण की सिफारिश प्रॅास्टेट कैंसर में की जाती है, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं और महिने–दर–महिने इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है।

पुरूषों की यौन उत्तेजना को बधियाकरण के द्वारा नियंत्रित करना समस्या का उपाय नहीं है : बलात्कार का अर्थ सेक्स नहीं बल्कि शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन है। इसके अलावा सभ्य समाज में कोई भी दण्ड क्रूर या अमानवीय नहीं हो सकता : आधुनिक विज्ञान को बाधियाकरण के लिये इस्तेमाल करना

सऊदी अरब द्वारा जटिल अपुतित शल्य तकनीक को चोर के हाथ काटने के लिये प्रयोग करने के बराबर है।

सेक्स की भॉति पुरूषत्व पुरूषों का कोई जैविक गुण नहीं है, न ही इसका विपरीत, नारीत्व, औरतों द्वारा आनुवांशिक विरासत में पाया जाता है। ये दोनों ही सामाजिक–सांस्कृतिक गुण हैं। जैसा कि नारी सिद्धांतवादी ऐन ओकेल कहती है, ''पुरूष या नारी अथवा लड़का या लड़की होना कपड़ों, हाव–भाव, पेशे, सामाजिक संबंध और व्यक्तित्व पर उतना ही निर्भर करता है। जितना जननांगों का होना''

efgykvk d fo:) fgl k

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार भारत में दर्ज बलात्कार के प्रकरणों में विस्मयकारी 873.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई, जो 1971 में 2,487 से बढ़कर 2011 में 24,206 तक जा पहुॅची। इसके मुकाबले पिछले 60 वर्षों में (1953 से 2011) हत्या के मामलों में 250 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

पारम्पारिक अवहेलना को झेल रहे बलात्कार का सूचक है 1950 एवं 60 के दशक में हुए अपराधों के कोई ऑकड़े उपलबध नहीं होना। एन.सी.आर.बी. ने 1971 से बलात्कार पर ऑकड़े एकत्रित करना शुरू किया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राष्ट्रीय स्तर पर बलात्कार पर मिलने वाली सजा की दर 11 ''उग्र अपराधों'' के औसत से भी कम (28 प्रतिशत) है। 2011 में हत्या के मामलों में सजा की दर 38.5 प्रतिशत थी, जो उसी साल हुए बलात्कार के मामले में (26.4प्रतिशत) थी। बलात्कार की घटनाओं में मध्यप्रदेश देश में सर्वोच्च स्थान रखता है।

महिला हिंसा के 43 प्रतिशत मामलों में दोषी उनके पति या परिवार के सदस्य पाये गये।
18.8 प्रतिशत औरतें यौन आक्रमण को सहती हैं।
10.6 प्रतिशत औरतें बलात्कार के अनुभव के साथ रह रहीं हैं।
15.6 प्रतिशत औरतों का अपहरण कर लिया जाता है।
3.8 प्रतिशत औरतें दहेज के कारण मार दी जाती है।[10]

मोहन भागवत कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबलें शहरी क्षेत्रों में अधिक हिंसा होती है। 2011 में एन.सी.आर.बी. का प्रारंभिक विश्लेषण स्पष्ट दर्शाता है कि हिंसा की 2,28,650 घटनाओं में से 33,789 घटनाएॅ 35 शहरों में हुई। इससे यह साबित होता है कि हर पॉच घटनाओं में चार ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं।

सामूहिक बलात्कार से जुड़े तथ्य घबरा देने वाले हैं। जनवरी से अक्टूबर 2012 तक 255 सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं, जिनमें से 20 औरतों को आरोपियों ने जान से मार दिया और 26 ने आत्महत्या कर ली। 51 घटनाओं के साथ ग्वालियर संभाग स्थिति सबसे बद्तर है। (ग्वालियर 29, शिवपुरी 17, गुना 5, अशोकनगर 5) 1 सिवनी में हालांकि कोई सामूहिक बलात्कार दर्ज नहीं हुआ लेकिन बलात्कार के 51 मामले रोशनी में आये, जिनमें से 11 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली।[11]

ftyk	cykRdkj	lkefgd cykRdkj	fxj¶rkj	Qjkj
ग्वालियर	35	29	100	07
इंदौर	141	09	258	09
जबलपुर	111	04	133	03
भोपाल	111	03	123	13
कुल	2613	255	3394	418

[10] महिलाएॅं और पुरूष 2012

[11] पत्रिका जनवरी 2013

भाग - ३

संविधान और कानून की दृष्टि में महिलाओं के अधिकार

Baaga 3

lfo/kku vkj dkuu dh nf"V e efgykvk d vf/kdkj

भारत के संविधान में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिये गये है। और 'लिंग' के आधार पर गैर बराबरी को निषेध किया गया है। यहां संविधान में तीन आधार स्पष्ट तौर पर परिभाषित किये गये है।

1. महिलाओं के अधिकारों को पुरूषों के समान माना जायेगा।
2. महिलाओं के अधिकारों को कानूनी तौर पर संरक्षित किया जायेगा और उन्हें पुरूषों द्वारा ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते दबावों को समझकर अलग से संरक्षित किया जाऐगा।
3. महिलाओं को पुरूषों से अलग शारीरिक संरचना के कारण विषेष रूप से कुछ अधिकार दिये जा सकते, जैसा 'राज्य' प्रावधान करें।

इस प्रकार महिलाओं को संविधान में

- अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि 'राज्य भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को समानता अथवा कानूनी संरक्षण के लिए मना नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 में साफ किया गया है कि सरकार (राज्य) किसी भी नागररिक को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसी अनुच्छेद के तीसरे भाग में 15 (3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं के पक्ष में ऐसे विषेष प्रावधान करेगा, जिससे महिलाओं को सकारात्मक लाभ मिल सके। अर्थात महिलाओं के हित में राज्य विषेष कानून पास कर सकता है।
- अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंष, जाति, लिंग, पीढ़ी जन्मस्थान, आवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य शासन के अधीन किसी को भी रोजगार के लिए मनाही नहीं हो सकती या उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त तीनों मूलभूत अधिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों को देने की वकालत करते है, यहॉ स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को कुछ विषेष परिस्थितियों के कारण राज्य उन्हें पृथक से विषेष अधिकार कर उनके लिए विषेष कानून बना सकता है। इस संबंध में कुछ कदम उठाये भी गये है जैसे विवाह के संदर्भ में बने कानून, तलाक एवं अन्य वैवाहिक प्रतिकार, भरण पोषण, अभिभाकत्व,एवं अभिरक्षण, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन अपराध, छेड़छाड़ एवं अष्लीलता, गर्भपात, इत्यादि कानून और प्रावधान बनाकर विषेष रूप से कानूनी अधिकारों से महिलाओं को संरक्षा दी गई है।

इसके अलावा भी समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए में विषेष अधिकार घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम 2005, और महिला उद्यमियॉ के लिए कर्ज और कर आदि में रियायत का प्रावधान आदि भी महिलाओं के लिए किये गये है।

इन प्रावधानों, कानूनों और संविधान में महिला के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराध, हिंसा अत्याचार और अनाचारों में कमी नहीं आई है, अपितू यह उत्रोत्तर बढ़ ही रहा है और वर्ष 2010 में यह संख्या कुल 2,28,650 प्रकरण के रूप में दर्ज हुई है, जो वर्ष 2007 की तुलना में 43,338 ज्यादा है अर्थात 2007 के मुकाबले महिला के ऊपर अपराधों में कुल 18.95 प्रतिषत वृद्वि हुई है जो निष्चित रूप से चिन्ता का विषय है इसमें ओर अधिक बिचलित कर देने वाली बात है चरमस्तर की हिंसा के रूप में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की संख्या भी लगभग उसी दर से आगे बढ़ी है। उसका मतलब यह हुआ कि ना तो अपराधियों को अपराध करने में हिचक हैं, ना कोई डर। साथ ही 'राज्य' के ऊपर भी उतने ही सवाल आते है कि यदि एक बार

अपराध हुआ तो उसे रोकने के लिए क्या नये कदम उठाये गये यदि अपराध का ग्रफ उसी दर (या उससे अधिक दर) से बढ़ रहा है तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि रोकने के प्रयास बिल्कुल नहीं थे बहुत कम हुए है।

प्रस्तुत विष्लेषण में हम बलात्कार, यौन अपराध, छेड़छाड और अष्लीलता पर अपना ध्यान केन्द्रित करते है ताकि इस जघन्य अपराध को संविधान, कानून ओर प्रावधानों के नजरियें से देख सके और जान सके कि यौनिक हिंसा के इन प्रकरणों में हमारा समाज, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसा प्रकार पहल और व्यवहार करते है।

cykRdkj] ;ku vijk/k] NsM+NkM+] vkj v'yhyrk

cykRdkj

बलात्कार के अपराध पर लागू होने वाले प्रावधान इस प्रकार हैः

- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 तथा 376
- भारतीय दण्ड संहिता के धारा 228–ए
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराऐं 114–ए तथा 155

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375

जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ निम्न विवरण में से किसी भी परिस्थिति में सम्भोग करता है तो वह बलात्कार हैः

- उसकी इच्छा के विरूद्व।
- उसकी सहमति के बिना।
- उसकी सहमति से लेकिन जब यह सहमति मार–पीट कर या मृत्यु का भय दिखा कर ली गयी हो।
- उसकी सहमति से, जब व्यक्ति जानता हो िकवह उसका पति नहीं है तथा स़ी ने यह सहमति इसलिए दी है कि उसे विष्वास है कि यह वहीं व्यक्ति है जिससे उसका कानूनन विवाह हुआ है।
- उसकी सहमति या असहमति से ज बवह 16 वर्ष से कम आयु की हो।
  बलात्कार के अपराध में यौन सम्भोग सिद्व करने के लिए लिंग का प्रवेष होना पर्याप्त है।

  पति द्वारा अपनी पत्नि के साथ यौन सम्भोग, जब पत्नि की आयु 15 वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है (धारा 376–ए में उल्लिखित के अतिरिक्त)।

Hkkjrh; n.M lafgrk dh /kkjk 376

बलात्कार के लिए दण्ड

- कम से कम 7 वर्ष का कारावास लेकिन यह आजीवन करावास भी हो सकता है या
- दस वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना।
  यदि बलात्कार किया गयाहो

  क– पुलिस अधिकारी द्वारा

  ख– जनसेवक द्वारा, जिसके अभिरक्षण में उसे दिया गया था।

ग– ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी जेल, रिमांड होम, अभिरक्षण के अन्य स्थान या स्त्रियों, बच्चों के संस्थान की प्रबन्ध समिति का सदस्य या कर्मचारी हो या किसी ऐसी जेल या संस्थान का निवासी हो।

घ– ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अस्पताल की प्रबन्घ समिति का सदस्य या कर्मचारी हो, उस अस्पताल की किसी स्त्री से।

च– ऐसी स्त्री पर, जिसके बारे में पता हो कि वह गर्भवती है।

छ– 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री पर।

ज– सामूहिक बलात्कार।

कम से कम दस वर्ष का कारवास जो कि आजीवन कारावास भी हो सकता है तथा जुर्माना।

lEcfU/kr i{ko/kku ¼/kkjk 376&, ls 376 Mh rd½

- धारा 376–एः जिसने अदालत के निर्णय पर अलग रहने वाली अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना सम्भोग किया हो ऐसे व्यक्ति को दण्डित किया जायेगाः दो वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना।
- धारा 376ः–बीः यदि कोई व्यक्ति जनसेवक होते हुए अपने अभिरक्षण में किसी स्त्री को बहला–फुसला कर उसके साथ सम्भोग करता है तो दण्डित किया जायेगाः 5 वर्ष तक का कारावास।
- धारा 376–सी यदि जेल, रिमांड होम आदि का अधीक्षक अपने अभिरक्षण में स्त्री को बहला–फुसला कर उसके साथ सम्भोग करता है तो उसे दण्डित किया जायेगाः 5 वर्ष तक का कारावास
- धारा 376– डीः यदि किसी अस्पताल की प्रबन्ध समिति का सदस्य या कर्मचारी अपने पद का लाभ उठाते हुये उस अस्पताल में किसी स्त्री से सम्भोग करता है, तो उसे दण्डित किया जाऐगाः 5 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना

Hkkjrh; n.M lafgrk dh /kkjk 228&,

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 से 376–डी तक के तहत् यदि कोई किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक करता है (छपवा कर या प्रकाषित कराकर) तो उसे दण्डित किया जायेगा।

Hkkjrh; lk{; vf/kfu;e dh /kkjk 114

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उप धारा – 2 के खण्ड (ए) (बी) (सी) (डी) तथा (जी) के तहत् धारणा है कि अभियोगों में सहमति का अभावः यदि अभियुक्त द्वारा सम्भोग किया जाना सिद्व हो जाता है तथा सवाल उठता है कि क्या यह स्त्री की सहमति के बिना था। तथा वह अदालत के समक्ष अपनी गवाही में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी तो अदालत मानेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। विपरीत गवाही के द्वारा इस धारणा का खण्डन किया जा सकता है।

Hkkjrh; lk{; vf/kfu;e dh /kkjk 155 ¼xokg ij vfHk;ksx yxkuk½

जब किसी व्यक्ति पर बलात्कार का अभियोग लगता है तो यह दिखाया जा सकता है कि पीड़ित स्त्री अनैतिक चरित्र की थी। यह ावह प्रावधान जिसे जिरह के दौरान बलात्कार की षिकार स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

orZeku izko/kkuks ij fVIi.kh vkSj vnkyr dh O;k[;k

कानून में उपलब्ध प्रावधान और वास्तविकताओं के आधार पर उन्हें पक्ष और प्रतिपक्ष अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। न्याय पाने के लिये षिकायतकर्ता सबूतों की जंग में इस कदर फंस जाती है, कि न्याय दुर्लभ हो जाता है। स्थितियां ज्यादा तो नहीं बदली, किन्तु महिला आन्दोलनों के कारण कानूनी प्रावधानों में बदलाव हुये है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 1996 बलात्कार के अपराध की प्रकृति को परिभाषित किया है। हालांकि इनमें भी कई बाते काफी पितृसत्तात्मक है। जैसे बलात्कार का अपराध किसी एक व्यक्ति या महिला के विरूद्व ही नहीं अपितू पूरे समाज पर एक अत्याचार है। उससे पीड़िता को मान हानि और गहरा मानसिक आघात होता है। वह केवल उसकी स्वेच्छा आत्मषक्ति के बल पर समाज में पुनः स्थापित नही हो सकती है, समाज उसके प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। बलात्कार सबसे घिनौना अपराध है यह केवल पीड़ित व्यक्ति के मानव अधिकारों को नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने का मौलिक अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है उसका भी हनन करता है, (AIR1996 sc922)।

हांलाकि उससे पहले बहुत से ऐसे प्रकरण हुये जिसमें महिला के साथ हुये बलात्कार को सुनवाई के दौरान प्रतिपक्ष ने झुठला देने का प्रयास किया और कानून में स्पष्ट व्याख्या और पेचीदगी या अस्पष्टता होने के कारण बलात्कारी बिना किसी सजा से बरी हो गये, और महिला का शोषण खुद उसके लिये निराषा और सजा बन गया। उस संदर्भ में कुछ प्रकरणों को देखा और समझा जा सकता है।

जैसे तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979) ACRSCC-143, मथुरा केस, सर्वोच्च न्यायालय ने उन दो पुलिसकर्मियों को मुक्त कर दिया, जिन्होंने 15 वर्षीय दलित नावालिग बालिका मथुरा के साथ पुलिस थाने में बलात्कार किया था। दोषी को मुक्त करने के कारण इस प्रकार दिये गये थे कि (1) लड़की के शरीर पर प्रतिरोध के कोई निषान नहीं पाये गये। (2) वह पहले से संभोग कर चुकी थी। उसका प्रेमी उसके साथ शारीरिक संबध बनाता था। (3) लड़की ने चुपचाप समर्पण कर दिया था (4) कोई गवाह या साक्ष्य भी नहीं था ।जिससे मथुरा की बात पर पूरा यकीन किया जा सके। इस प्रकरण में न्यायालय और न्यायालय पुलिस टिप्पणियों को लेकर देष में भूचाल आ गया, सबसे ज्यादा दुखद यह है कि पुनः विचार याचिका भी उच्चतम न्यायालय ने इस तकनीकी टिप्पणी के साथे खारिज कर दी कि पुर्नविचार के लिये देरी हो गई है। तब उसके बाद महिलाा संगठनों ने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए बडे आन्दोलन किये इससे न्यायालय के नजरिये में भी बदलव आया और उसकी झलक इस प्रकार मिलती है।

पंजाब सरकार बनाम गुरूमीतसिंह (1996) 25बब384 उच्चतम न्यायालय में निचली न्यायालय को सुझाव दिया, कि यदि पीड़िता बलात्कार की घटना से पहले भी सम्भोग शारीरिक सम्बन्ध किसी के साथ अपनी स्वेच्छा से बनाई भी है तो भी न्यायालय उसे चरित्रहीन नहीं कह सकता और उससे बलात्कार नहीं होना साबित नहीं होता है। पहले से शारीरिक संबंध अपनी स्वेच्छा से बनाना और किसी के द्वारा उस महिला के साथ बलात्कार करना दोनों अलग–अलग बातें है, दूसरे प्रकार की घटना जबरदस्ती बलात्कार की है जिसमें आरोपी पर अपराध सिद्व होने की स्थिति में उसे सजा मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार बनाम मधुकर एन. मारडीकर (1991़बब57) के संदर्भ में व्याख्या की है कि किसी भी महिला का किसी के साथ लैगिंक/यौनिक संबंध पहले से होना यह आजादी नहीं देता है कि वह व्यक्ति जब और जहां चाहे उस महिला के साथ यौनिक संबंध बनाये ओर ना ही किसी अन्य व्यक्ति को उस महिला की इच्छा के विरूद्व इस आधार पर (कि उसके किसी और से यौनिक सम्बध है) उस महिला से यौनिक संबंध या सम्भोग करने की आजादी मिलती है। इसलिए कानूनी रूप से उस महिला को संरक्षा मिलेगी ओर इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही इस सम्बध में उस महिला द्वारा दिये गये तथ्यों/सबूतों /फरियाद को ठुकराया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी/व्याख्या से देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के साथ हुए बलात्कार को कानूनी जामा मिला उन्हें न्याय की आषा जागी अन्यथा समाज में एक मिथक पल रहा था कि देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो सकता, उच्चतम न्यायालय की यह व्याख्या इस मिथक को पूर्णतः तोड़ती है।

संस्थाओं के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने अपनी तरह से अलग प्रकार के केस में एक अलग व्याख्या दी है जिससे संस्थाओं या संस्था परिसरों की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष बनाम चन्द्रिमादास (AIR 2000sc988) नामक याचिका पर जो संविधान के अनुच्छेद 226 पर आधारित थी याचिकाकर्ता एक वकील थी उसके द्वारा मॉग की गइ कि श्रीमति हनूफा खातून–जो कि बंग्लादेषी है उनके साथ बलात्कारी रेलवे सुरक्षा कर्मी था। इस पर कोर्ट ने हनूफा खातून को 10 लाख रूपये का मुआवजा रेलवे को देने के आदेष दिये। इस पर रेलवे ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और कहा कि रेलवे विदेषियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं और मुआवजे की बात सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए की जा सकती है, ना कि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। उन पर उच्चतम न्यायालय ने दो दलीलें देकर मुआवजा देने के आदेष दिये, दलील न. एक मुआवजा घरेलू न्याय प्रक्रिया के तहत दिया गया है जो संविधान में निहित है।, दूसरा यह कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के तहत जिसे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली है।

इसी कडी में अपराधी उमर पर आरोप था कि उसने 12 वर्ष की नाबालिग के वर्ष 2004 में उसके गॉव से अगवा कर उसके साथ लगातार बलात्कार किया, केस में दावा किया गया कि नाबालिग लड़की अपराधी को जानती थी, उसके घर के पास ही 'मीट' की दुकान पर नौकरी करता था। 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2004 तक लगभग 20 दिनों तक अपराधी ने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया , इस पर अपराधी को भारतीय दण्ड संहिता के सेक्षन 363, 366 और 377 के तहत अपराधी पाया गया। लेकिन उच्च अदालत ने उसकी उम्र (अपराधी 40 वर्ष) और उसके बच्चों (जो 8 बच्चों का पिता था) के आधार पर उसे फांसी की सजा से बख्स दिया।

विषाखा बनाम राजस्थान सरकार (AIR 1997 sc 1997) इस जिसमें राजस्थान के एक गॉव के दबंगों (गुर्जर) समुदाय ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार केवल इसलिए किया था कि वह बाल विवाह को रोकना चाहती थी इस पर न्यायालय ने उन आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया था। कि भारतीय संस्कृति में अन्य जाति के लोग खासकर बुर्जग चाचा अपने घरो में या बच्चो के सामने बलात्कार की घटना घटित नही कर सकता दूसरा उच्च जाति के लोग नीची जाति (भवरी दलित वर्ग की महिला है) से बलात्कार नही कर सकते क्योकि उॅची जाति नीचि जाति से छुआछूत करती है,और तीसरा यह की मेडीकल रिर्पोट में भी उस बात की पुष्टि नही होती है कि इन्ही अरोपियो ने भॅवरी के साथ बलात्कार किया है, और पुलिस विवेचना ङजो कि दबंगो ने पुलिस को खरीद लिया थाञ भी भॅवरी के पक्ष में नही है। इसलिए आरोपियो को बारी कर दिया गया। यह घटना पूरे समाज में सदमे के रूप में गुजरी– हर ओर से न्याय और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खडे हो गये किन्तु कानूनन कोई ऐसा प्रावधान नही था जिसे हथियार बनाकर भंवरी को न्याय दिलवाया जा सकता । चूकि भवरी देवी के साथ यह धिनौना कृत्य कार्यस्थल पर हुआ था।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओ की सुरक्षा के लिए कुछ दिषा निर्देष के रूप में जाने गये।

विशाखा दिषानिर्देष के अनुसार

- यह संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वह–
- सुनिष्चित करे कि इस तरह के उत्पीड़न न हो।
- यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो षिकायत आये उनके निवारण हेतु उचित प्रावधान हो।

dk;LFky ij ;ku mRihMu D;k gkrk g\

कामकाजी महिला के साथ कार्यस्थल में किसी पुरूष सहयोगी का निम्नांकित व्यवहार यौन उत्पीड़न के दायरे आएगा–

- कार्यस्थल में महिला के साथ छेड़छाड़, प्रणय निवेदन।
- आपत्तिजनक टिप्पणी, चुटकुले, अष्लील फब्तियां।
- ताने मारना, दोहरे अर्थ वाले संवाद करना।
- फोन पर बेहूदा संवाद वाली बात कहना।
- गलत इरादे से महिला को छूना, बाहों में लेने की कोषिष करना।
- हाथ पकड़ना, चिमटी लेना, संवेदनषील अंगों पर हाथ फेरना।
- अष्लील साहित्य, तस्वीर, कार्टून, पोस्टर या लोकोक्ति दिखना।
- इससे भी गंभीर मामला है, जब महिला को नियुक्ति पत्र देने के लिए यौन उत्पीड़न से जुड़ी किसी बात को मानने के लिए बाध्य किया जाता है या नौकरी देने वाला महिला को गलत इरादे से परेषान करे, यौन संबंधों को मजबूर करे व शर्त न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे।

उपरोक्त तमाम विष्लेषणो से जो सवाल उभरकर आये है, उनके जवाव अभी भी कानून में दिखाई नही देते है, जैसे–

- एक पुरुष द्वारा यदि पत्नि का बलात्कार किया जाता है तो उसे कैसे सिध्य किया जा सकता है, और कानून किस भाग में उसके लिए सजा मुर्करर है और उसकी प्रक्रिया क्या है
- यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ हो औार पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट लिखने में साक्ष्य भी मिट गये है तब क्या यह जानबूझ कर साक्ष्यो को मिटाने की कोषिष नही माना जायेगा,? कानून कैसे उसे देखेगा। या फिर जॉच की एक लम्बी प्रक्रिया चलने के बाद अंतत अपराधी को उसका फायदा मिलेगा।
- यदि अपराधी दबंग है और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखता है। तब किस तरीके से पीडिता को न्याय दिलाया जायेगा चूंकि स्थानीय पुलिस, कार्येपालिका दोनो प्रभावित होते है और अन्तत न्यायपालिका, न्याय देते समय साक्ष्यो के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर देती है।
- न्यायपालिका द्वारा न्याय देने मे देरी जो निष्चित ही अपराधी के पक्ष में जाती है ओर पीडिता को न्याय नही मिल पाता।

भाग - ४

बलात्कार से जुड़े मिथक और तथ्य

Baaga 4

cykRdkj ls tqM+s feFkd vkSj rF;

feFkd 1 & cykRdkj dsoy lqUnj] toku vkSj vkd"kZd efgykvksa ds lkFk gksrk gS

rF;& नहीं, यह मिथक सही नहीं बल्कि यह किसी भी महिलाओं से होता हैं। यह मजदूर महिला, पढ़ने वाली युवतियॉ, छोटी बच्चियॉ, बुजुर्ग महिलाएं कामकाजी–आफिस में काम करने वाली महिलाएं से भी होता हैं, दरअसल बलात्कार एक पितृसत्तात्मक सोच का चरम घिनौना रूप है, जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हुए उनके ऊपर अत्याचार/हिंसा करने को वैद्य ठहराता हैं। नकारात्मक सोच के पुरूष इसका लाभ उठाकर बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अन्जाम देते हैं और ऐसी ही सोच के व्यक्ति ऐसे अपराधियों को समाज और कानून से बचाने के प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के 2011के आंकड़े भी बताते हैं कि मध्यप्रदेष में कुल 3406 बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 106 प्रतिषत लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से कम है और 19 प्रतिषत किषोरिया है। यह तथ्य भी जानना जरूरी है कि मध्यप्रदेष में 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक बलात्कार दर्ज हुए है। इस प्रकार देखेगें कि राज्य में प्रतिदिन 9 महिलाओं से बलात्कार होना 'दर्ज' हुआ, जिनमें से 4 बालिकाएं होती है (विधानसभा सत्र 2011) में ये आंकड़े गृहमंत्री द्वारा घोषित किये गये।

इन आंकड़ों की कुल सच्चाई इस बात से पता चल रही है कि प्रदेष में बलात्कार के अपराध में क्रमषः 8.6 प्रतिषत और 13 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिषत है।

इस तथ्य को प्रक्रियाबद्व समझने के लिए हमने बलात्कार के प्रकरणों पर एक अध्ययन आयोजित किया। ये सभी प्रकरण केवल 1 माह की समयावधि के है, जो 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2012 के दौरान घटित हुए है। ऐसे कुल 27 प्रकरणों में 48 प्रतिषत नाबालिकों (3 से 18 वर्ष की आयु) के साथ बलात्कार हुआ और 3 प्रतिषत बुजुर्ग महिला (50 वर्ष से अधिक) के साथ बलात्कार हुआ है।

अतः विष्लेषण से स्पष्ट है कि बलात्कार के लिए उम्र, आकर्षण या सुन्दरता कोई संकेतक नहीं है।

feFkd 2& ifr dk }kjk viuh ifRu ls cykRdkj ugha gksrk ;k ;g vlEHko gSA

rF;% यह मिथक पूर्णतः गलत है क्योंकि बलात्कार का मतलब ही यह है की महिला की इच्छा और स्वीकृति के विरूद्व उसके साथ यौनिक संबंध बनाना। इस तथ्य को आईपीएस की धारा 375 के प्रावधान भी जिम्मेदार है। जिसके तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6 प्रकार से बनाये गये यौनिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आयेगे। जैसे! महिला की इच्छा के विरूद्व यौनिक संबंध। 2. उसकी स्वीकृति के विरूद्व बनाये गये यौनिक संबंध । 3 महिला ने अपनी स्वीकृति इस डर के साथ दे दी कि वह जिसे जानती, चाहती है उसकी हत्या हो जायेगी या उसे चोट पहुचाई जायेगी तब वह यौनिक संबंध बनाने को राजी हो जाये। 4. महिला ने यौनिक संबंधों की स्वीकृति दे दी हो जबकि उसे यह विष्वास दिया जाये कि यह व्यक्ति उससे शादी करेगा बेषक वह उसका पति नहीं है। 5. महिला ने यौनिक संबंधों की स्वीकृति दे दी हो जब वह पूरी तरह से होष में ना हो या उसे नषा दिया गया हो और वह उस कृत्य जो उसके साथ किया जा रहा है के परिणामों के बारे में अनभिज्ञ हो। और छठा जब नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो। तब उसकी मर्जी या मर्जी के बिना बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है। अर्थात महिला का पति यदि उनकी इच्छा या अनिच्छा, स्वीकृति अथवा गैर स्वीकृति के तहत संबंध बनाता है तो भारतीय दण्ड संहिता के सेक्षन 375 में वह दर्ज नहीं होता अर्थात पुलिस उनका फायदा उठाकर पति द्वारा किये बलात्कार को दर्ज नहीं करती।

साथ ही ज्यादातर महिलाओं की सोच में भी उसे अपराध नहीं मानकर पुरूष का अधिकार मान लिया गया है। यदि कानून स्पष्ट रूप से पति द्वारा किये गये ऐसे कृत्य को अपराध घोषित करता है तो भारत/मध्यप्रदेष में आष्चर्यजनक रूप से पति द्वारा पत्नि पर किये गये बलात्कार का ऑकड़ा उभरकर आयेगा। चूॅकि प्रायः ऐसे प्रकरण हर शहर–गॉव में सुनने–समझने में आते है। किन्तु इन प्रकरणों को दर्ज नहीं किया जाता है।

हमारे शोध में जो स्थानीय स्तर पर किया गया है उसमें पति द्वारा पत्नि का बलात्कार के 4 प्रतिषत प्रकरण दर्ज मिले है।

feFkd 3& efgyk,i viu iguko vkj pky pyu l i:"kk dk cykRdkj d fy, mdlku dk dke djrh gA

rF;% यह मिथक सर्वथा गलत है महिलाएं किसी भी तरह से पुरूषों को बलात्कार के लिए उकसाने का काम नहीं करती है। बलात्कार हिंसा और अत्याचार का एक चरम घिनौना कृत्य है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से महिला को पीड़ित करता है।

महिला इस प्रकार की प्रताड़ना का विरोध करती है ना कि इस कृत्य के लिए उकसाने का। तथ्यात्मक दृष्टि से भी देखें तो हमारे अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि 100 प्रतिषत महिलाओं ने साड़ी या सलवार सूट पहन रखा था जब उनके साथ बलात्कार हुआ।

इस मिथक के खिलाफ यह तर्क भी जरूर दिया जाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक समाज और देष में किसी भी व्यक्ति को खासकर महिलाओं को अपनी पंसद के कपड़े पहनने की आजादी होनी ही चाहिए।

अतः यह मिथक पूर्णतः असत्य और मिथ्या है।

feFkd 4& cykRdkj ?kj d ckgj gkr g vkj vifjfprk d }kjk fd;k tkrk gA

rF;% यह कहना कि महिला घर की चार दीवारी में पूरी तरह सुरक्षित है भ्रामक और असत्य जानकारी है। यदि हम भारत के ऑकड़े (एनसीआरबी) देखें तो पाते है कि पति और रिष्तेदारों द्वारा वीभत्स हिंसा का आंकड़ा 43.4 प्रतिषत हैं। इसमें दहेज हत्या का 3.8 प्रतिषत आंकड़ा और जोड़ दे तो यह आंकड़ा 47.2 होता है। अर्थात लगभग 50 प्रतिषत वीभत्स प्रताड़ना, हिंसा घर की चारदीवारी या यू कहें अपनों के द्वारा ही होती है।

मध्यप्रदेष में यदि केवल बलात्कार के आंकड़े देखे तो पाते हैं कि परिवार के (पति,भाई,चाचा आदि) सदस्यों पर 9.15 प्रतिषत प्रकरण दर्ज किये गये है, जबकि परिचितों खासकर पड़ोसियों के द्वारा 54.5 प्रतिषत (सभी आंकड़े एनसीआरबी 2011) बलात्कार किये गये हमारे द्वारा किये नये सर्वेक्षण/अध्ययन से भी स्पष्ट हुआ है कि परिवार संबंधियों के द्वारा 15 प्रतिषत, पड़ोसियों के द्वारा 52 प्रतिषत और अपरिचितों द्वारा 33 प्रतिषत बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया गया है, और इनमें कुल 48.14 प्रतिषत घर की चारदीवारी के अन्दर बलात्कार किये गये है।

अतः यह मिथक गलत है कि सभी बलात्कार अपरिचितों द्वारा घर के बाहर किया जाता हैं।

feFkd 5& cykRdkj vlkekU; iofRr d gkr g] ,l ykx dk vlkuh l igpku tk ldr gA

rF;% जैसा कि पहले भी कहा गया है कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है जो पितृसत्तामक व्यवस्था की उपज होती है। बलात्कारी पुरूष समाज में रहने वाले सामान्य दिखनें, बोलने और बात करने वाले होते है। इसी प्रकार से उनके व्यवसाय भी सामान्य और कभी–कभी तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भरे होते है, जैसे डाक्टर, पुलिस, षिक्षक, चौकीदार नेता आदि। बलात्कारी प्रमुख रूप से निसहाय और कमजोर महिला को लक्ष्य के रूप में चुनता है और फिर बिना परिणाम की परवाह किये बलात्कार को अन्जाम देता है। कुछेक बलात्कारी अपने व्यवसाय को अपनी दबंगता या पहुॅच मानकर इन घृणित कृत्य

को अन्जाम देते है। प्रायः बलात्कारी कमजोर कानून, लचर कनूनी प्रक्रिया का फायदा उठा कर बच निकलने की कोषिष करता है।

feFkd 6& ng 0;kikj dju okyh efgykvk dk cykRdkj ugh gkrkA

rF;% जो महिलाएं देह व्यापार के व्यवसाय से जुड़ी हैं उनके साथ हमेषा यौनिक संबंध नहीं बनाया जा सकता है। चूँकि वो इस व्यवसाय से जुडी है यह मिथक सोच के आधार पर ही गलत हैं, जैसा पहले भी कहा गया है किसी भी महिला से यौनिक संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता हैं। और यदि 'व्यवसाय' के रूप में देह व्यापार करने वाली महिलाओं के साथ भी जबरदस्ती यौनिक संबंध बनाया जाता है तो उसे 'अन्य' पीड़िताओं के समान ही कानूनी मद्द मिलेगी और उसे बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा।

यहां 'देह व्यापार' में संलग्न महिलाओं को हमेषा उनकी मर्जी या गैर मर्जी से यौनिक संबंध बनाने के लिए तैयार रहना समझा जाता है, जो कानूनी रूप से गलत है इसलिए यदि पुलिस या अन्य अधिकारी देह व्यापार में संलग्न महिलाओं के बलात्कार काप्रकरण दर्ज करने केलिए मना करते है तो यह अच्च अधिकारियों से षिकायत की जा सकती है।

मध्यप्रदेष में अनुभव आधारित तथ्य यह है कि बेड़ियॉ और बॉछड़ा समुदाय को लड़कियों का दैहिक शोषण की प्रथा में जबरदस्ती धकेला जाता है। कम उम्र की इन लड़कियों को इस धंधे घकेलने में परिवार का बड़ा हाथ होता है और लड़कियों से यौन संबंध बनाने हेतु क्षेत्र के आपपास के गॉव, शहरों के पुरूष यहॉ तक कि पुलिस कर्मचारी आते है और इस दौरान इन लड़कियों के साथ 'बलात्कार' होता है। किन्तु ना तो ये लड़कियॉ प्रकरण दर्ज कराती है और ना ही पुलिस ऐसे प्रकरण दर्ज करती है, क्योकि सभी इसी मिथक के साथ जीते है कि ऐसी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो सकता ..जो सर्वथा गलत है।

feFkd 7& cykRdkj o lDl ,d leku gA

rF;% नहीं, बलात्कार और शारीरिक संबंध अपनी मर्जी से बनाना एक समान नहीं होते। तथ्यात्मक दृष्टि से 'बलात्कार' एक चरमस्तर की हिंसा/अत्याचार है जो एक महिला के ऊपर पुरूष या पुरूषों के समूह द्वारा की जाती है। यह जघन्य अपराध आनन्द के लिए नहीं बल्कि महिला को दोयम दर्जे या कमजोर मानते हुए पुरूष द्वारा अपने को श्रेष्ठ/उच्चतर या बड़ा होना या फिर महिला पर सत्ता नियन्त्रण के लिए किया जाने वाला अपराध है। इसलिए बलात्कार को 'सेक्स' कह देना अपराधी की जिम्मेदारी कम करना होता है कि ज्यादातर बलात्कार योजनाबद्व इरादतन होते है, जिसमें अपराधी और लोगों को भी शामिल करता है।

इसलिए इस चरमस्तर के जघन्य अपराध को सरल या असमान नहीं बनने देना चाहिए। और अपराधी को ऐसे अपराध के लिए इतनी ही कड़ी सजा मिले, ऐसे प्रयास करना चाहिए।

feFkd 8& ;fn ihfM+rk us rjUr f'kdk;r ugh dh rk bldk eryc g fd ml efgyk dk cykRdkj ugh gvk ;k ?kVuk d rjUr ckn f'kdk;r nt ugh djoku okyh efgykvk dk njvly cykRdkj gvk gh ugh gkrk gA

rF;% यह मानना कि यदि पीड़ित ने घटना के तुरन्त बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी तो उसका बलात्कार हुआ ही नहीं यह बिल्कुल गलत और भ्रामक तर्क है। दरअसल बलात्कार से पीड़ित महिला इस कदर खौफ/डर/पषोपेष में होती है कि उसकों विष्वास ही नहीं होता कि ये घटना सबको बता देने के बाद समाज, परिवार, रिष्तेदार, सरकार आदि उसको मद्द करेगें। क्योंकि जितने भी ऐसे प्रकरण उसने अपनी जिन्दगी में देखे, सुने और समझे है उन सब में महिलाओं का दोषी समझा जाता है और 'पुरूष' तो ऐसे ही होते है या पुरूषों का क्या 'बिगड़ना' है कहकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए अक्सर घटना के बहुत समय बाद तक भी ज्यादातर महिलाएं सामान्य नहीं हो पाती और जब वो इस स्थिति में आती है कि उन्हें प्रकरण दर्ज कराने की हिम्मत आ गई हो, तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती। अक्सर

बहुत अहम सबूत नष्ट हो जाते है और इसका फायदा बलात्कारी को मिल जाता है और उसे कानूनों की कमजोरी के चलते कम सजा मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए पीड़िता को यह जरूरी ही जानना और समझना चाहिए कि इन पूरी घटना में इसकी कोई गलती नहीं बल्कि सारी गलती/दोष उस बलात्कारी का ही है–और इसकी सजा भी उसे जरूर मिलेगी। इसके लिए पीड़िता को जरूरी सबूत भी संभाल कर रखने चाहिए। जब तक कि पूरा और सच्चा प्रकरण 'पुलिस' में दर्ज नहीं हो जाए।

feFkd 9 & lkefgd cykRdkj ;nk&dnk gh gkrk gA

rF; % यह कहना है कि सामुहिक बलात्कार कभी–कभी होते है। तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः गलत है। लगभग सभी बलात्कार पूर्व नियोजित होते है और बलात्कारी लक्षित महिला की हैसियत या उसके प्रति घृणा या ये कहें कि जितना ज्यादा जघन्य तरह से उस महिला को अपमानित करना चाहता है। उसी हिसाब से वह अकेला या अन्य पुरूषों को इन षडयंत्र में जोड़ लेता हैं, और बलात्कार के बाद या पहले का पूरा अत्याचार जैसे मारपीट, हत्या जघन्यता आदि उसी तरीके से क्रियान्वन करता है।

यदि मध्यप्रदेष में आंकड़ों (एनसीआरबी) पर नजर डाले तो जनवरी से नवम्बर 2012 तक 255 सामूहिक बलात्कार दर्ज हो चुके हैं, जो कुल 2982 प्रकरणों के मुकावलें में 8.55 प्रतिषत है। इस प्रकार यह मात्र 11 माह में कम नहीं है।

हमारे अध्ययन से भी स्पष्ट हो रहा है कि 33 प्रतिषत सामूहिक बलात्कार हुए है जिनमें 48 प्रतिषत नाबालिग पीड़िताओं और 52 प्रतिषत वयस्क महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है।

feFkd 10& cykRdkj ^^Hkkjr^^ e ugh cfYd bf.M;k e gkrk gA vFkkr xkeh.k Hkkjr e cykRdkj de vkj 'kgjh {k=k e vf/kd gkrk gA

rF;%& नहीं, यह भ्रामक प्रचार और दकियानूसी विचार हो सकता है। जो भारत की धर्म, संस्कृति और परम्पराओं को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते जायज ठहराते है ऐसे लोग ही ऐसी भ्रामक जानकारी देते है। जबकि सच यह है कि हमारे देष में महिलाओं के उत्पीड़न में परिवार, जान–पहचान और विवाह संस्था सबसे आगे है। यह बात आंकड़ों के आधार पर सिद्व होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के वर्ष 2011 के विष्लेषण के शुरूआती आंकड़े बताते है कि वर्ष 2011 में महिला हिंसा और अत्याचार के कुल 2,28,650 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से कुल 14.78 प्रतिषत (33,799) देष के 35 शहरों में हुए शेष लगभग 85 प्रतिषत प्रकरण तो गॉव या गॉव के आसपास के छोटे कस्बों/षहरों में ही हुए। तो फिर यह कहना कि शहर में ही सबसे ज्यादा महिला बलात्कार/हिंसा/अत्याचार होते है, गलत है। उसके उलट गॉवों में सामन्तषाही और पितृसत्ता के दबदवे के कारण महिलाओं पर अधिक अत्याचार होते है। हमारे द्वारा 15 जिलों में केवल बलात्कार पर हुए अध्ययन से भी साफ होता है कि .....प्रतिषत बलात्कार की पीड़िताएं गॉव की रहने वाली है।

भाग - ५

मध्य प्रदेश में बलात्कार पर किये गये अध्ययन का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

Baaga 5

मध्य प्रदेश में बलात्कार पर किये गये अध्ययन का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

दिसम्बर 2012, देश की राजधानी दिल्ली में हुए सामुहिक बलात्कार ने एक बार फिर हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा की स्थिति की सच्चाई सामने ला दी। आजादी के 67 साल पूरा होने के बाद भी भारतीय समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा केवल संविधान में ही दिया गया है, वास्तविक रूप में महिलाओं को उससे फायदा नहीं मिला है–ना ही समाज की सोच में बदलाव आया और ना ही महिलाओं के जीवन जीने की परिस्थितियों में।

यह घटना ये भी बताती है कि पितृसत्तामक और सामंतवादी सोच इस कदर हमारे विचारों में, सोच में, कार्य में पैठ बना चुकी हैं, कि इसे दूर करना असंभव सा हो गया है। इस परिस्थिति के लिए समाज में रहने वाला हर वर्ग जिम्मेदार है, फिर चाहे वे राज्य हो, पुलिस हो, न्यायपालिका हो, या अन्य सामान्य लोग जिनमें हम सभी आते हैं।

पितृसत्तामक और सामंतवादी सोच की वजह से समाज में महिला और पुरूषों के बीच गैर–बराबरी बढ़ती जा रही है और पुरूष वर्ग अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर शक्तिशाली बनता जा रहा है। इस प्रकार की सोच ही महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा की वजह है। पुरूष चाहता है कि अपना वर्चस्व महिला पर स्थापित कर सके और उन्हें नियंत्रित कर सके। जिसके कारण महिलाओं पर घर के अंदर और बाहर दोनों जगह परिस्थितियां नकारात्मक होती जा रही है, और हिंसा के प्रकरणों में नियमित रूप से बढ़ोत्तरी होती जा रही है। महिला हिंसा में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड–छाड़ घरेलू हिंसा, लिंग–आधारित चयन एवं गर्भपात आदि कई रूप दिखाई देते है।

मध्यप्रदेश की बात करें तो यह देश में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार में प्रथम स्थान पर आता है यहा **औसतन प्रतिदिन 9 महिलाओ/लड़कियों के साथ बलात्कार होता है**। जो निसंदेह चिंता का विषय है। बलात्कार महिलाओं के खिलाफ होने वाले कानूनी अपराधों में चरम स्तर की हिंसा के रूप में होता है। इसे मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गहराई से देखने के लिए एक लघु अध्ययन किया गया। यह अध्ययन में प्रदेश मे हुई घटनाओं की फेक्ट फाइडिंग पर आधारित है। अध्ययन में कोशिश की गई है कि विभिन्न प्रकार के प्रकरणों और समुदायों की पीड़िताओं या उनके परिवार जनो से साक्षात्कार किया जाये, और इस चरम स्तर की हिंसा के प्रमुख कारणों, महिला को हुई क्षति, समाज और सरकार की भूमिका को समझा जाये।

अध्ययन का उददेश्य मुख्यतः यह है कि सीमित अवधि में हुये बलात्कार के प्रकरणों का विश्लेषण कर बलात्कार जैसी हिंसा के विभिन्न पहलुओं को जानना, समझना और मूलभूत कारणों तथा प्रशासन की भूमिका को जांचना है।

मध्यप्रदेश में बलात्कार जैसी हिंसा से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण के लिए सबसे पहले समाचार पत्रो में आये प्रकरणों का चयन किया।

बलात्कार के प्रकार के आधार पर प्रकरणों का चयन कर, तथ्यात्मक खोज के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनाक्षेत्र का दौरा कर घटना की विस्तृत जानकारी एकट्ठा की।

अध्ययन के दौरान साक्षात्कार कर निम्न हितभागियों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा, दृष्टिकोण, मांग और आगे की रणनीति पर बातचीत की गई। जैसेः–

- पीड़िता
- पीड़िता और उसके परिजन/संबंधी/रिश्तेदार
- पुलिस,
- प्रशासनिक कर्मचारी
- स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि
- समाजिक संगठन/समूह
- मीडिया

अध्ययन के दौरान हमारी टीम ने अखबारों के माध्यम से ज्ञात प्रकरणों के लिए सागर, कटनी, सतना, रीवा, जबलपुर, इंदौर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, बैतूल, देवास, हरदा सहित कुल 12 जिलों से 27 प्रकरणों को चयनित कर, फैक्ट फाइडिंग/केस अध्ययन किया।

प्रस्तुत अध्ययन में मात्र 12 जिले ही शामिल है, और इन जिलों में घटित बलात्कार की घटनाओं में से यह चुनाव किया गया कि बलात्कार की प्रकृति क्या थी। जैसे नाबालिग लड़की की साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला के साथ, विकलांग महिला/लड़की के साथ, सामूहिक बलात्कार इत्यादि। अध्ययन की कोशिश यह गई की इन जिलों में लगभग सभी प्रकरण लिये जायें, फिर भी प्राथमिकता पर उन प्रकरणों एकत्र किया जाये जिनकी आवाज अभी तक नहीं उठ पाई थी।

प्रस्तुत विश्लेषण पीड़िता या उसका परिवार या पुलिस/मीडिया से प्राप्त सूचना जानकारी के आधार पर है।

तीन वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ इंदौर में अपने परिवार के साथ मोहल्ले से जा रही बारात को देख रही थी बारात जाने के बाद सभी वापिस अपने घर आ गये परन्तु बच्ची घर पर नही लौटी।

परिवार ने को खूब ढूढा और पुलिस थाने में रिर्पोट की परंतु 26 जून 2012 को बेबी प्रार्थना की लाश मालवीया नगर दैनिक भास्कर के पीछे नाले में पायी गयी।

आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे उनमें से एक आटो रिक्शा चलाता था। सनी.बाबू और जितेन्द्र ने बेबी प्रार्थना का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी।

प्रकरणों का विश्लेषण आंकड़ों के आधार पर:–

कुल 27 प्रकरणों का विश्लेषण किया गया। जिसमें जो जानकारी मिली, जिसमें तथ्य बड़े चौकाने वाले है।

- यह कहना कि परिवार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है गलत होगा, क्योंकि 74 प्रतिशत घर में ही रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है जबकि केवल 26 प्रतिशत बाहर काम पर जाने वाली महिलाओं के साथ हुआ।

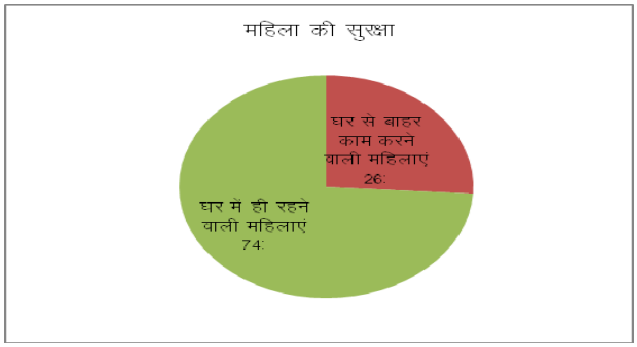

- लगभग 48 प्रतिशत महिलाओं के साथ बलात्कार घर की चार दीवारी के अन्दर हुआ है जबकि केवल 44 प्रतिशत घर से बाहर हुआ।

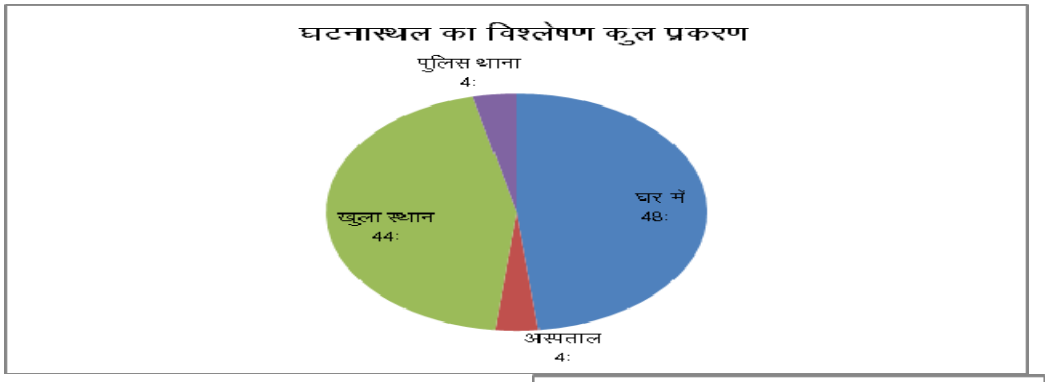

- बलात्कार के कुल प्रकरणों में सबसे अधिक 48: सामुहिक बलात्कार दर्ज हुए। यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आये है कि अधिकतर सामुहिक बलात्कार नाबलिंग लड़कियों के साथ किए गए। जो कि कुल बलात्कारों का 70: है। वहीं 30: सामुहिक बलात्कार वयस्क महिलाओं से किये गए। इससे पता लगता है कि सामुहिक बलात्कार योजनाबद्व तरीके से बच्चियों और महिलाओं के साथ किया जाता है। जिसमें नाबालिग कमजोर लड़कियों को ज्यादा लक्ष्ति किया जाता है ताकि विरोध भी कम हो और डराने धमकाने का भी उन पर ज्यादा असर पड़े।

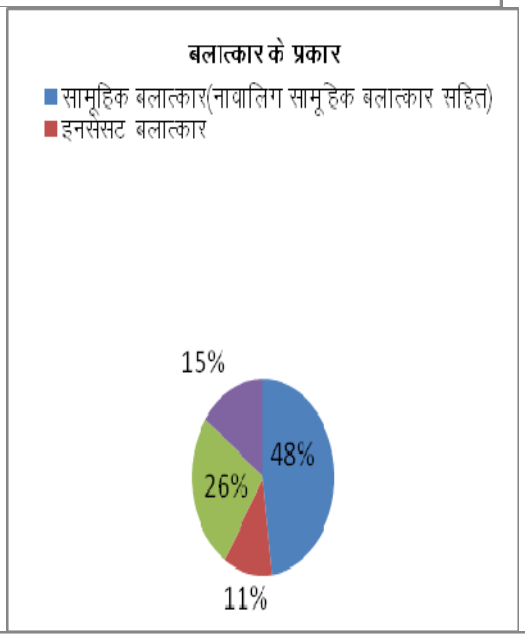

- 48 प्रतिशत नाबालिगों के साथ बालात्कार हुआ है 37 प्रतिशत 18 से 35 उम्र की महिलाओं के साथ बालात्कार हुआ है और 4 प्रतिशत 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ बालात्कार हुआ है।

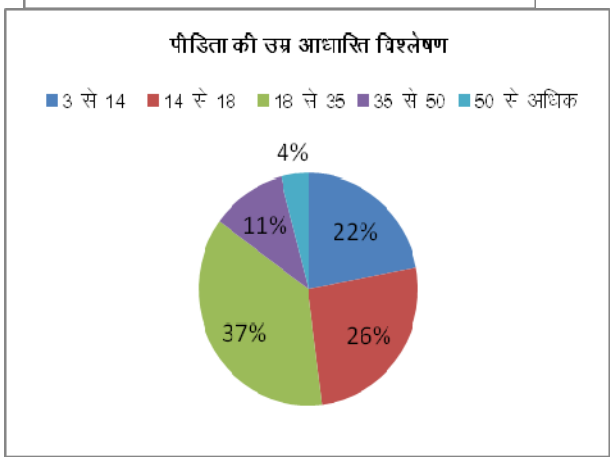

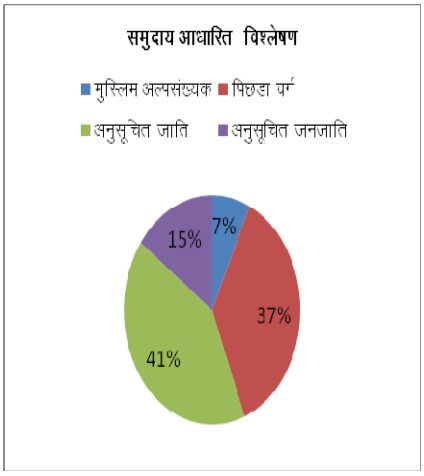

- इस अध्ययन के अनुसार बलात्कार जैसी हिंसा ज्यादतर गरीब–वंचित और हाशिये पर समुदाय के साथ है। आंकडो का विश्लेषण बलात्कार के प्रकरणों में सबसे अधिक यानि कुल 56 प्रतिशत दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ किये गये है साथ ही 37 प्रतिशत बलात्कार अन्य पिछडी जातियो की महिलाओ के साथ किये गये है। अध्ययन के अनुसार 7 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुये है।

- **महिलाओ के पहनावे और बलात्कार से जुडी सामाजिक सोच को भी देखने की जरूरत है** जिसमें यह मिथक समाज में फैला हुआ है कि बलात्कार कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं के साथ होता है। और यदि महिलाएं पूरे कपडे पहनने लगे तो समाज में बलात्कार नही होगें। इस तथ्य को अध्ययन में देखने पर पता चलता है कि कुल बलात्कार के 27 प्रकरणो में बलात्कार के समय 48 प्रतिशत महिलाओ ने सलवार कुर्ता और पजामा पहना था। 41 प्रतिशत महिलाओ ने साडी और 11 प्रतिशत बच्चियो ने फ्रार्क और पजामा पहना था। अर्थात किसी भी महिला/लड़की किसी भी प्रकार भड़काउ या कम सभी महिलाओ ने पूरे वस्त्र पहने हुए थे फिर भी उनके साथ बलात्कार किया गया। अत; बलात्कार को महिलाओ के कपडो से जोडना पितृसत्तात्मक समाज की सोच है जिसका आधार बहुत कमजोर और नकारात्मक है।

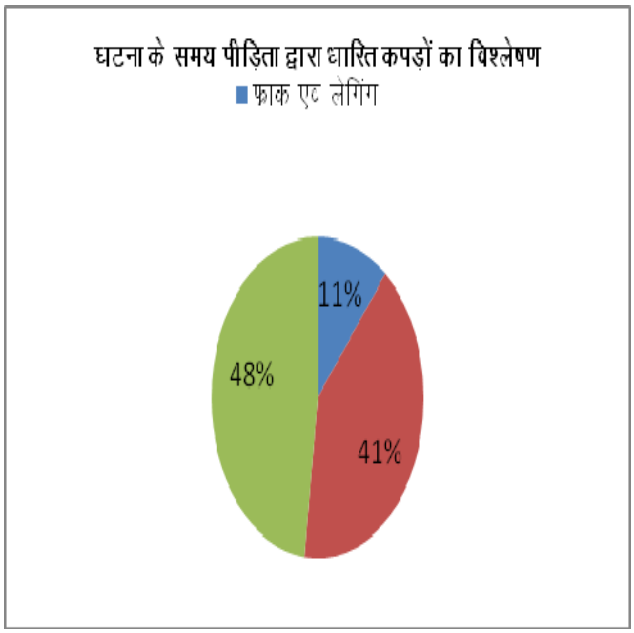

- 15 प्रतिशत बलात्कार परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा किये गए। उसका मायने है कि परिवार में महिलाएं पूर्ण सुरक्षित नहीं। 52 प्रतिशत बलात्कार पडौसियों द्वारा किये गए है और 33 प्रतिशत बलात्कार द्वारा अपरिचितों द्वारा किये गए।

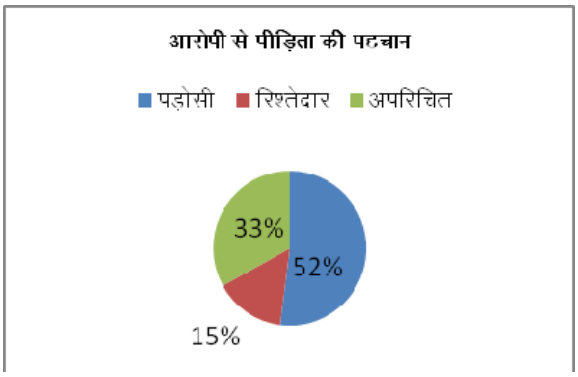

- यदि शादीशुदा और एकल महिलाओं को देखे तो अध्ययन के अनुसार 41 प्रतिशत शादीशुदा महिलाओ के साथ बलात्कार हुआ है, और 11 प्रतिशत एकल महिलाओ के साथ तथा 48 प्रतिशत नाबालिगों के साथ बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुऐ है । इसका मतलब यह है कि बलात्कार जैसी हिंसा का शिकार शादीशुदा और एकल दोनो प्रकार की महिलाएं होती है। परन्तु अविवाहित नाबालिगों के साथ बलात्कार सबसे अधिक हुए है । बलात्कार जैसी हिंसा महिलाओ को दबाने और उन्हें नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए किया जाता है जिसमें महिला की वैवाहिक या अविवाहित होना महत्वपूर्ण नही होता है।

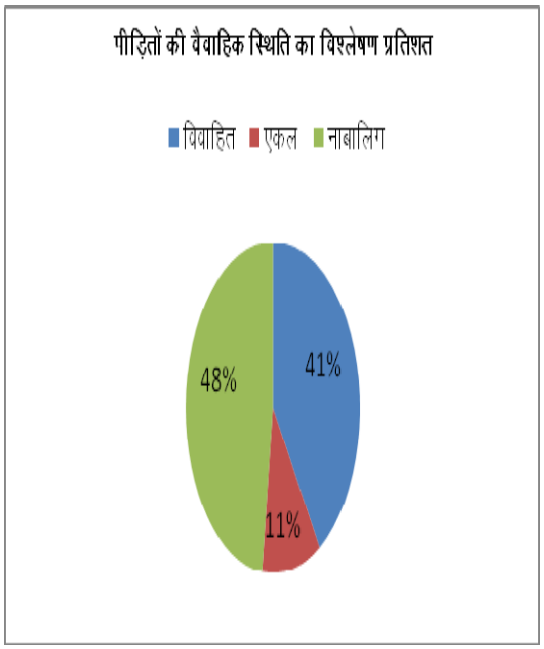

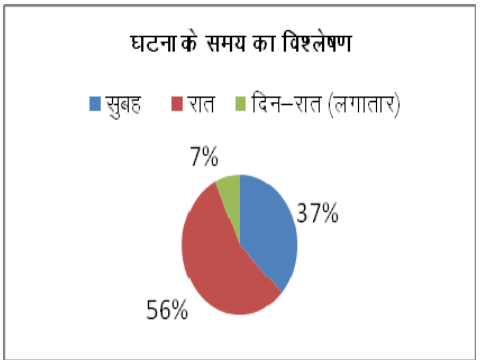

- बलात्कार के समय को देखते है तो अध्ययन के अनुसार 56 प्रतिशत बलात्कार रात में और 37 प्रतिशत बलात्कार में हुए है। शेष 7 प्रतिशत महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ कई दिन/रात बलात्कार किया गया।

- 48 प्रतिशत बलात्कार पिछडी जाति के दबंग पुरूषो द्वारा किया गया है जो आथिकि रूप से सम्पन्न थे । 26 प्रतिशत दलित और 7 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के पुरूषो के खिलाफ बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुए है। 15 प्रतिशत तथाकथित सामान्य जाति के लोगो द्वारा बलात्कार किया गया।

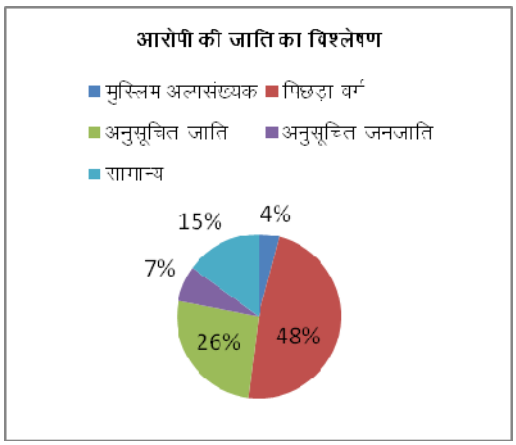

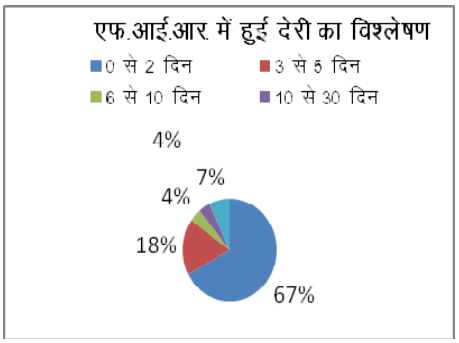

- प्रकरणो को देखते है तो 67 प्रतिशत बलात्कार के प्रकरण में शिकायत (एफआईआर) दो दिन के अन्दर की गई। 18 प्रतिशत प्रकरण 3 से 5 दिन की देरी से दर्ज किये गये है और 7 प्रतिशत प्रकरण 30 दिन से अधिक समय में दर्ज हुए।

निष्कर्ष

1. अध्ययन से निकले कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जबाव ढूँढना महत्वपूर्ण है ताकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं का उन के अधिकार और न्याय जल्द मिल सकें। रिपोर्ट के तुरन्त बाद कार्यवाही नहीं होने के कारण क्या होते है। क्या कानून के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं कि गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके? क्या सरकार पीडित परिवार के इलाज और शिक्षा का भार वहन नहीं कर सकती है? क्या बलात्कार के प्रकरणों को फास्ट ट्रेक कोर्ट के माध्यम से तुरन्त निपटाया नहीं जा सकता है? इन सवालों के जवाब 'हाँ' में आते हैं तो फिर वह सभी लोग भी ऐसे प्रकरणों में दोषी है जिन्हें इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सोंपी गई है।

2. बलात्कार के प्रकरणों में यह उम्मीद की जाती है स्थानिय स्तर पर सामाजिक न्याय प्रणाली इतनी मजबूत हो कि पीडिताओं को कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए समाज आगे आये। पीड़िताओं और उनके आश्रितों के भरण–पोषण/परवरिश के लिए स्थानीय संभाग इकाईयों को आर्थिक और अधिकारिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, बलात्कार के प्रकरणों को पंजीकृत करने और उसमें उचित और सामाजिक, आर्थिक और कानूनी हस्तक्षेप करने के लिए 'सहयोगी समूह' का गठन हो। जिसमें स्थानीय, आंगनवाड़ी, ए.एन.एम/आशा, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि, कोटवार शामिल हो सकते हैं। ये समूह ऐसे प्रकरणो को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत दर्ज करने में भी सक्षम हो सकते हैं।
3. बलात्कार के प्रकरण में पुलिस के रवैये/आचरण की बात करना जरूरी है। और रिपोर्ट दर्ज करने में दोषी अधिकारियों को भी दण्डित करना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा पीड़िता को गाँव में सुरक्षा देना भी जरूरी है, स्थानीय पंचायत द्वारा सामाजिक सुरक्षा भी बलात्कार की पीड़िता को देना चाहिए। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा परन्तु फैसला आने तक पीड़िता को शासन द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना उसकी प्राथमिकता होना चाहिये। यहाँ यह सोचना भी महत्वपूर्ण है कि दबंग जिस अभिमान में ऐसा आचरण करते हैं उसको तुरन्त गिरफ्तार कर, उसे जमानत न दी जाये, ताकि ऐसे अपराध द्बारा ना हो सके। इसलिए ऐसे प्रकरणों में सजा के तौर पर यह किया जा सकता है कि **पीडिता को अपराधी की सम्पती का एक बडा हिस्सा दिया जाए।**

4. कई बलात्कार के प्रकरण में विकलांग महिला के साथ बलात्कार हुआ, नजदीकी रिश्तेदार ने किया और उन परिस्थितियो में बलात्कारी ने उस कृत्य को अन्जाम दिया जब वह एक प्रकार से उसकी संरक्षा में थी ओर फिर उसके बच्चे को अपनाने की बजाय उस पर चरित्रहीनता के आरोप लगाये गये। यहां सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे आरोपी को कानूनी तरीके से

376अ, 376बी और 375 की धारा के तहत मुकदमा नही चलाया जाना चाहिये। क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कभी उस बात पर बहस नही होनी चाहिए कि ऐसी विकलांग महिला और उसके बच्चे के पूरे खर्चो, पढाई, भरण–पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले । और सरकार ऐसी व्यवस्था करे जहां उसे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिले। सरकारी व्यवस्था में कोई तो ऐसी एजेन्सी/जबावदेही संस्था/फोरम हो, जहां उसको अन्य पेचींदीगियो से बचाकर उसको और उसके बच्चो को खुशहाल जिन्दगी दिला सके।

5. कई प्रकरण में पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई है,और यह आम चलन सा बन गया है कि ऐसे गंभीर आरोपो में पुलिस प्रकरण दर्ज करने में आमतौर पर देरी करती है । यहां सवाल यही उठता है क्यो ? और क्या कोई स्थानीय/ब्लाक/जिला स्तर पर ऐसी व्यवस्था नही बनायी जा सकती है जो प्रकरणो के दर्ज, समय और वास्तव में पीडिताओ का रिर्पोट करने के समय का विश्लेषण कर नियमसंगत काम करने के लिए पुलिस को बाध्य करे ओर अधिकारियो को जबावदेह बनाये। उसके लिए एक निष्पक्ष जॉच में देरी या जॉच के दौरान सही गंभीर तथ्यो को लिखना/दर्शाना जरूरी है। इसलिए कानूनी दिशा निर्देशो और वास्तविकताओ के मद्दें नजर डाक्टर ओर पुलिस कर्मियो के लिए उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण की सघन व्यवस्था हो। ताकि उस समय तरीके से कार्यवाही हो सके।

6. बलात्कार यदि किसी सरकारी या गैरसरकारी संस्थाओं जैसे हास्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदि में होता है, तो सवाल यह उठता है कि इन संस्थाओं के संचालकों या जिनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महिला की सुरक्षा की क्या व्यवस्था किये थे। क्या कभी इन संस्थाओं में इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की सहभागी समीक्षा हुई? क्या कभी इन संस्थाओं में रहने/आने वाली महिलाओं/लड़कियों से जानने की कोशिश की कि क्या वह संस्थाओं/संस्थानों में सुरक्षा का वातावरण महसूस करती है। यदि इन संस्थाओं/संस्थानों में समीक्षा/मूल्यांकन की व्यवस्था की सुनिश्चिता हो जाती है, तो बहुत सम्भव की ऐसे अपराधों में कमी आये।

7. सरकारी, गैर सरकारी एवं असंगठित क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर जहॉ महिलाएं काम करती हैं, वहां का वातावरण सुरक्षित, सहयोगात्मक व सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विशाखा दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन किया जाये। इसकी जबावदेही विभाग व संस्था प्रमुख की हो।

भाग - ६

सिफारिश और सुझाव

Baaga 6

fIQkfj'k vkj I>ko

i:rkMuk vkj ;kSu mRihMu dh f'kdkj efgykvksa dk fy, iHkkoh r= o dk;Z i.kkyh fodfIr djuk gsrq e-i- 'kklu dk dN I>ko

(दिसम्बर 2012) निर्भया की त्रासदीपूर्ण मौत के बाद से बलात्कार ओर यौन उत्पीडन जैसे मुद्दे लगातार हमें भयभीत महषूस कर रहे है। हालांकि उसने अपनी शारीरिक क्षति से हार मान ली, लेकिन वास्तव में पूरे देश को जागृत कर दिया। केवल वही एक शिकार नहीं बनी, परन्तु समाज में ऐसी कई महिलाएं है जो ऐसी विपत्तियों को झेल रही है या इस आशंका के साये में जी रही है कि उनके साथ कुछ गलत न हो जाए। एन.सी.आर.बी. 2011 के अनुसार म.प्र. शर्मनाक रूप से बलात्कार की घटनाओं में देष में शीर्ष पर है, जहां हर दिन नौ महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं, जिनमें चार नाबालिग होती है।

बलात्कार का उपयोग समाज में पुरूषवादी यौनिक प्रभुसत्ता को स्थापित कर महिलाओं को उनकी स्थिति दिखा कर सत्ता स्थापित की जाती है। इसका ईस्तमाल सामन्तवादी व पूॅंजीपतियों द्वारा महिलाओं को कमजोर बनाने व दंडित करने हेतु किया जाता रहा है, और बहुत से युद्ध आधारित हिंसा देखे तो बलात्कार के रूप में की जाती है।

ऐतिहासिक रूप से देखे तो महिला अधिकार आन्दोलन ने 1980 के दशक में बलात्कार–विरोधी अन्दोलन से जुड़ने के पश्चात। राष्ट्रीय स्तर पर महत्व कायम किया। मथुरा (गरीब आदिवासी की एक नाबालिग लडकी), रमीजा बी और माया त्यागी के साथ हुए बलात्कार ने पितृसत्तामक परिदृष्य को विभिन्न रूप से प्रदर्शित किया, जिसमें पुलिस हिरासत में बलात्कार, व गरीबों, अछूतों और अल्पसंख्याकों के साथ बलात्कार शामिल है। इससे राज्य में पितृसत्ता व वर्ग–विभाजन भी पर्याप्त रूप से परिलक्षित होते हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति *अभिरक्षित हिंसा* शामिल है। इन घटनाओं का राष्ट्रव्यापी असर देखने को मिला और लोगों (महिला संगठनों) द्वारा बलात्कार सम्बन्धी कानूनों में बदलाव व इस मुद्धे पर लोगों तक जानकारी फैलाने की मांग बहुत मजबूती से रखी गई, जिसके लिए आज भी बडे स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। महिला अन्दोलन के प्रयासों के फलस्वरूप कानून एंव नीति–निर्धारण में कई बदलाव किये गये। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है– विशाखा दिषानिर्दष। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भंवरीदेवी एवं बलात्कार विरोधी महिला अन्दोलन के हित में समर्पित किया, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन के विरूद्ध एक कानूनी हथियार बन चुका है।

यह बहुत स्पष्ट है कि यहां प्रस्तावित सिफारिसें और सुझाव महिलाओं के प्रति होने वाली समस्त प्रकार की हिंसा की ओर इंगित करते है, न की केवल बलात्कार को। बुरी नजर से देखना, छेडना, धक्का देना, अपशब्द कहना, छूना, तेजाब फेंकना और इसमें अन्य प्रकार की महिला हिंसा जैसे शामिल है।

उपरोक्त मुद्धे को बडे पैमाने पर समाज के बीच ले जाने और लिंग–आधारित हिंसा की जडों तक पहुंचने हेतु जन पहल एवं एक्शनएड निम्न अनुशंसाए प्रस्तावित करते हैं। ये 28 जनवरी 2013 को ग्वालियर में हुई जन–संवाद एवं चर्चा के आधार पर तैयार की गई है।

हम आहत महिला के मुद्धों को सम्बोधित करने हेतु सरकारी प्रणाली में बदलावों की एक कडी प्रस्तावित कर रहे है। यह स्पष्ट है कि ये कम समय में होने वाले बदलाव हैं, उन महिलाओं के लिए जिन पर यौनिक हिंसा हुई है। अधिक समय के दौरान, हमें एक न्यायपूर्ण विश्व समाज की स्थापना की ओर बढ़ना चाहिए जहां महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हो।

प्रशासन में अनुशंसित बदलाव

1. सभी सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिये सुरक्षित बनाया जाये। वर्तमान में इसमें सभी सार्वजनिक यातायात साधन भी शामिल हो, जो म.प्र. में निजी क्षेत्रों में हैं। सुरक्षा के मजबूत प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें एवं सभी हितग्राहियों के लिये राज्य द्वारा आचरण–संहिता का निर्माण किया जाए।

2. पुलिस, न्यायपालिका, अस्पतालों व शरण/आश्रय स्थलों के लिये नियमावली विकसित किये जायें जो महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिये स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। इन क्रियान्वयन मानक के विभिन्न चरणों को सामाजिक संस्था/संगठन शिक्षाविदों एवं राज्य के साथ भागीदारी कर विकसति किया जा सकता है।

3. bu SOPs को अफसरों/विभागों के प्रदर्शन का हिस्सा बनाने हेतु प्रक्रिया व तंत्र विकसित हो। प्रत्येक विभाग में एक परामर्शी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये जिससे इन ै व्हे की अनुकुलता मापी जा सके। स्थिति अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का आंकलन ै;व्हेद्ध के अनुसार होना चाहिए।

4. पुलिस, न्यायपालिका, राज्य सरकार के विभागों (विशेषकर महिला एवं बाल विकास व स्वास्थ्य) एवं स्थलों के कर्मचारियों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम किये जायें जो लिंग–आधारित न्याय व नारीवाद पर केन्द्रित हों। इसके माध्यम से लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया जा सके।

5. बलात्कार और यौन उत्पीडन पर उपलब्ध आंकडे साफ बताते है कि हर 5 में से 4 घटनायें ग्रामीण इलाकों में घटती हैं। अतः जोर देकर इस बात की अनुशंसा की जाती है कि महिलाओं को निकटतम ग्राम पंचायत/नगर निकाय से सहयेाग प्राप्त हो। चुने हुए जन प्रतिनिधि, एकीकृत बाल विकास योजना, कार्यकर्ता, कर्मचारी एवं आशा कार्यकताओं के एक समूह पर महिलाओं को सहयोग देने की जिम्मेदारी होगी, तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिलने में देर अथवा पक्षपात न हो। उन्हें महिला के साथ नारी सुरक्षा केन्द्र जाकर उसे सहयोग देना उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। साथ ही, वह गांवों में जागरूकता और संवेदनशीलता लाने में भी अहम भूमिका अदा कर सकती है।

6. हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक प्रणाली का चित्रण, दस्तावेज के अन्त में संलग्न है।

7. महिलाओं के लिये राज्य स्तर पर उत्पीडन हेतू विशेष निगरानी प्रकोष्ठ का गठन :–

   (क) इस प्रकोष्ठ (सेल) में राज्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के व्यक्ति समाहित होंगे जिसमें महिला संगठनों के सदस्य कानूनविद, मानवाधिकार संस्थानों व पुलिस के सदस्य शामिल रहेंगे। इस कार्य की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग पर होगी।

   (ख) मुख्यतः इस प्रकोष्ठ का कार्य यह होगा कि– महिलाओं हेतु बनाई गई योजनाओं की प्रगति का अवलोकन, बजट का विश्लेषण एंव विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के लिये सुरक्षा अंकेक्षण (आडिट) करना। यह सेल सभी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगा, और इस दिशा में संदर्शिका का निर्माण करेगा। नियमित रूप से महिलाओं और उनकी सुरक्षा के आंकडों को एकत्रित करना एक मुख्य कार्य रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिये स्थापित विशेष हेल्पलाईन की निगरानी एवं विश्लेषण भी किया जाएगा और अस्वीकृति प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन की जिम्मेदारी के कारणों को समझने का प्रयास भी होगा।

ukjh lqj{kk dsUnz

8. राज्य को हर जिले में एक नारी सुरक्षा केन्द्र का निर्माण करना चाहिए।

(क) प्रत्येक केन्द्र में एक परामर्शदाता, कानून विशेषज्ञ व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का समर्थन समूह होगा।

(ख) उत्पीडन की शिकार महिलाओं को केन्द्र में निम्न प्रकार का सहयोग दिया जायेगा

i. मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया से पीड़ित को अवगत कराना।

ii. पीड़ित महिला को अस्पताल से प्राप्त होने वाली सहायता, स्वस्थय परीक्षण व दवाइयों को त्वरित रूप से उपलब्ध करना।

iii. पीड़ित को यह सुनिश्चत कराना कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाए और अपराधी पकडा जाए।

iv. महिला को प्राप्त होने वाली आर्थिक व सम्बन्धित सहायता हेतु याचिका दर्ज कराना

v. महिला अथवा उसके परिजनों को आश्रय घर से जोडना जिससे उन्हें सुझ प्रदान की जा सकें।

9. महिलाओं की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाईन स्थपित करने की आवष्कता है। चूंकि फोन वर्तमान में महिलाओं की पहुॅच में है, इसलिए इस नम्बर पर बात करना, अपना पता बताना व शिकायत दर्ज कराना उनके लिए आसान रहेगा। इस हेल्पलाईन का संचालन किसी वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में होना चाहिए, जो किसी महिला से शिकायत मिलने पर उसे निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करवा सके। शिकायतकर्ता को चिन्हित करने हेतु एक एम.आई.एस प्रस्तावित है, तथा उस नम्बर का समय–समय पर अवलोकन करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

10. यौन उत्पीडन की शिकार महिला की तत्काल सहायता व पुर्नवास हेतु कदम उठाये जाने की जरूरत है। इसके अंतर्गत त्वरित आर्थिक सहायता, चिकित्सा एवं परामर्श शामिल होने चाहिए। डराने धमकाने वाले मामलों में महिला व उसके परिवार की सुरक्षा का भी प्रावधान हो।

11. यौन उत्पीड़न से संबंधित केसो में गवाहों एवं मानवाधिकार समर्थकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन की होना चाहिए। इसके लिए उसे उपरोक्त सभी की सुरक्षा के लिए संदर्शिका बनाने की आवश्यता है।

f'k{kk

12. शिक्षा के संबंध में हम नारीवादीयों एवं शिक्षाविदों द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रय का जेन्डर आडिट कराने का सुझाव देते है, जिसके पश्चात अनुषंसित बदलाव किये जाए।

13. वर्तमान पाठ्यक्रम में कम से कम दो अध्याय जेन्डर आधारित न्याय एंव शारीरिक साक्षरता पर शामिल किये जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी इस असमानता को समझ सके और पित्रृसत्तात्मक प्रभूसत्ता को चुनौती दे सकें।

14. सभी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय परिसरों में सुरक्षा अंकेक्षण (आंडिट) अनिवार्य कर देना चाहिए। साथ ही प्रत्येक शिक्षा संस्था में महिलाओं/लडकियों को यौन उत्पीडन से बचाने के लिए विशाखा समिति का गठन कर दिषानिर्देष लागू होने चाहिए। सभी षिक्षा संस्थाओं में महिला शोचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जाना चाहिये।

ifyl

15. संवेदनशीलता के अलावा नारीवाद, लिंग व सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को सभी पुलिस संस्थानों/कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। एस.ओपी. के क्रियान्वयन का कडाई से पालन होना चाहिए।

16. संपूर्ण राज्य की पुलिस द्वारा नारीवाद और लिंग आधारित न्याय पर बनी विशेष फिल्म, पुस्तिका/नियमावली को स्वीकार किया जाना एवं पढ़ना चाहिए।

17. पुलिस हेल्पाईनों को एक प्रवााह–रेखा में लाना होगा। सभी फोन काल का विश्लेषण एवं मूल्यांकन होना चाहिए जिससे पुलिस द्वारा हस्तक्षेप की प्रगति की पर्याप्ता जांच हो सके। इस मूल्यांकन की जिम्मेदारी महिलाओं के विशेष परामर्श सेल की होनी चाहिए।

18. हर पुलिस थाने में न्यूनतम चार महिला सिपाही होना चाहिए। पुलिस में अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती होना चाहिए और साथ ही लिंग अधारित न्याय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी होने चाहिए।

19. रात्रि गश्त के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी को साथ होना चाहिए जिससे महिलाओंको अधिक सुरक्षा मिल सके।

20. यौन उत्पीडन की घटना को महिलाओं के परामर्श सेल एंव नजदीकी जिला आपदा केन्द्र से जोडा जाना चाहिए। साथ ही, पुलिस थानों में एक अलग सेल होना चाहिए जो महिलाओं के प्रति अपराधो विशेषकर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित षिकायतों पर कार्य करें।

U;k; ikfydk

21. यह अति आवश्यक है कि राज्य सरकार लंबित प्रकरणों के समक्ष उपलब्ध न्यायाधीशों की सीमित संख्या का विश्लेषण करे तथा पर्याप्त नवीन भर्तियां करें। ये नियोजन गुणवत्ता की कसौटी पर खरे हो और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के साथ हो तथा न्यायाधीशों को एस.ओ.पी. (क्रियान्वयन मापक) आधारित न्याय प्रणाली बताई जाये।

22. फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने चाहिए जिससे महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके। राज्य शासन को यह निश्चित करना चाहिए कि महिला हिंसा के प्रकरणों की समय–सीमा निर्धारित हो।

23. यौन उत्पीडन अन्य समान अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित करने का प्रावधान होना चाहिए तथा दोषी को एक निर्धारित अवधि तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हम सभी जातने है कि इस प्रकार का आक्रमण शक्ति–प्रदर्शन से जुडा है और अक्सर शक्तिशाली लोग डरा धमका कर अपना प्रभाव दिखाते है। इस प्रावधान से डराने–धमकाने और जर्बदस्ती सुलह कराने के मामलों में गिरावट आएगी।

24. राज्य शासन द्वारा एक संदर्शिका विकसित की जानी चाहिए जो यौन उत्पीडन के मामलों में न्याया पालिका की भूमिका परिभाषित करे। इसमें सुनवाई की रिर्काडिंग जन अभियोजन का चयन और उत्पीडन को प्रक्रिया की जानकारी देना शामिल हो। पीडित महिला को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह चाहे तो वहां कैमरा न हो और वह बेहतर महसूस करे।

25. बलात्कार/यौन उत्पीडन की शिकार की सहायत व समर्थन के लिए कानूनविदों एवं न्यायाधीशों का समूह होना चाहिए जो नरीवाद व लिंग आधारित मुद्धों की बेहतर जानकारी रखते हो। यह सेवा भोपाल ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में अनिवार्य होनी चाहिए।

26. संपूर्ण प्रकरण की सुनवाई के दौरान पीडित को आपदा केन्द्र के सदस्य व परिवार/मित्र की उपस्थिति और सहयोग की अनुमति मिलना चाहिए

27. विशाखा दिषा निर्देष को कडाई से लागू करना चाहिए। लागू करने के तंत्र अनिवार्य कर देना चाहिए जिसका प्रत्यक वर्ष विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

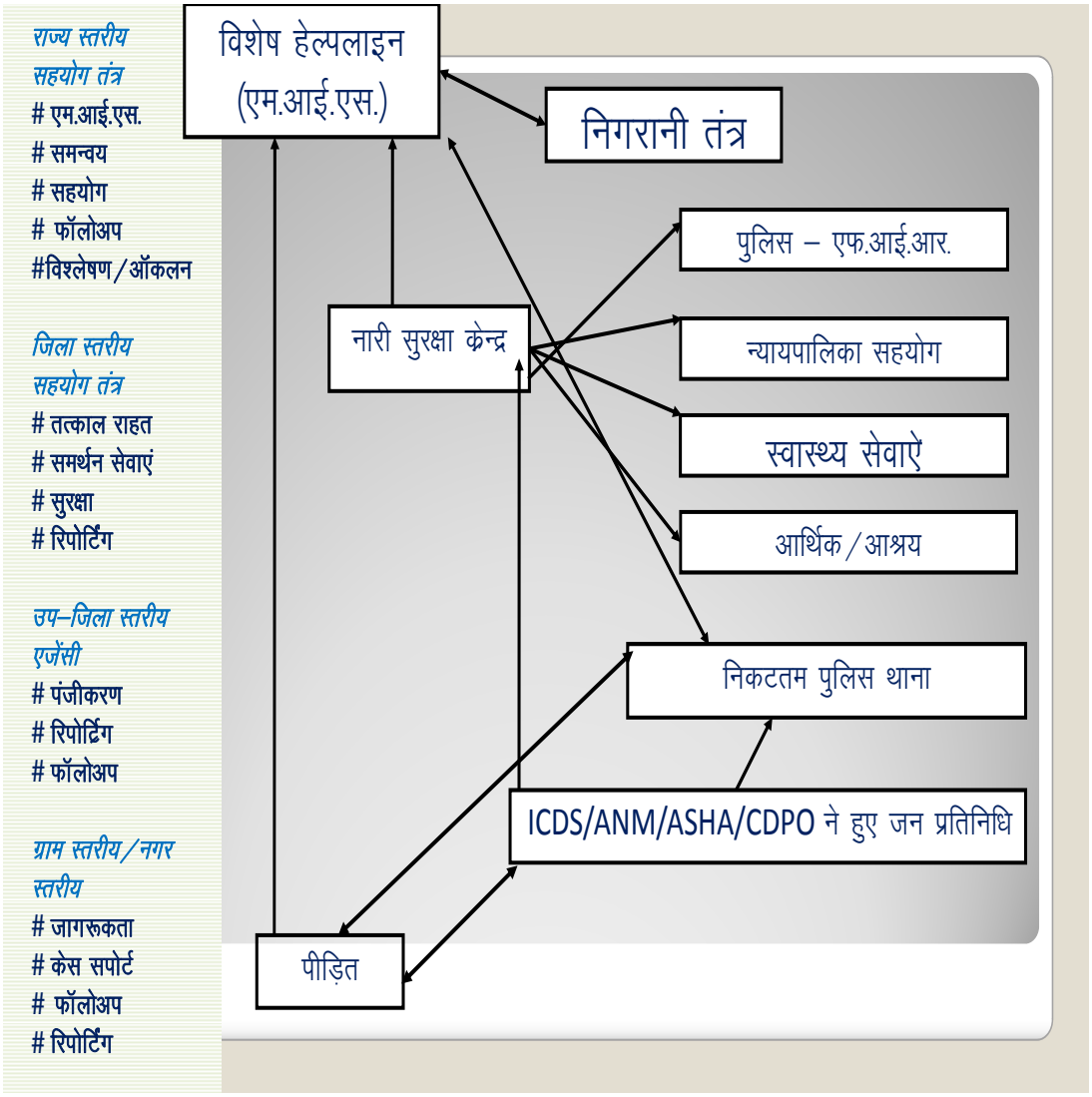

संलग्नक:

१. केस अध्ययन

२. वर्ष २०११ में महिलाओं पर अपराध के मामले

३. महिलाओं के विरुध्द अपराध

lyXud 1 dsl v/;;u

dsl v/;;u&1

bUnkSj esa rhu lky dh cPph ds lkFk lkewfgd cykRdkj vkSj gR;k dh ?kVuk

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

प्रार्थना (परिवर्तित नाम), तीन वर्षीय बच्ची एवं उसका परिवार मनासा गाँव, मंदसौर के रहने वाले हैं। फणसे परिवार पीछड़े वर्ग से है। प्रार्थना की पाँच बहिनें हैं और वह परिवार में सबसे छोटी है। परिवार मुख्यरूप से गांव में खेत में मजदूरी करके अपना जीवन व्यय करता है। लेकिन पिछले वर्ष, 2012 को मई महिने में प्रार्थना अपने पूरे परिवार सहित इन्दौर में लाल बगीचा, सोमनाथ में स्थित अपने परिजनों के यहाँ अपनी माँ के टी.बी के ईलाज़ के लिए मनासा से आये थे।

इन्दौर में परिवार, प्रार्थना के चाचा और बुआ के यहाँ ईलाज़ के लिए आये थे। परिजनों ने अपने घरों के निकट ही एक छोटा सा घर प्रार्थना के परिवार के लिए ढूंढा और शीर्घ ही वो लोग वहाँ रहने लगा।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

प्रार्थना इन्दौर पहली बार अपने परिवार के साथ आई थी और वहाँ पर रहने के दौरान पीड़िता के परिवार के आस–पास के परिवारों से अच्छे सम्बन्ध हो गये थे। किसी से कोई लड़ाई–झगड़ा या अनबन नहीं थी। 25 जून 2012 को रात में परिवार और आस–पास के कुछ लोग एकत्र हो कर महौले के पास से गुजर रही बारात को देखने के लिए खड़े थे। प्रार्थना भी वहीं सभी के साथ जाती हुई बारात को देख रही थी। शाम के कोई 7:15 बजे बारात के चले जाने के बाद सभी अपने घरों की ओर वापिस जाने लगे। प्रार्थना का परिवार भी घर चला गया। घर पुँहच कर, प्रार्थना को सबके साथ न पाकर परिवार वालो ने महौले में ढूँढने का भरपूर प्रयास किये।

प्रार्थना के चाचा और परिवार के और परिजन, बच्ची की फोटो लेकर ठीक रात 8 बजे नज़दिकी एम. आई.जी. पुलिस थाने में पीड़िता के गुमषुद्गी की रिपोर्ट करवाने गये परन्तु एफ.आई.आर दर्ज़ नहीं की गई और पुलिस द्वारा परिवार को बच्ची को आस–पास ढूँढने की सलाह दी गई और सुबह तक का इन्तज़ार करने को कहा।

26 जून 2012 की सुबह प्रार्थना के पिता एवं चाचा पुलिस थाने पुँहचे और पुलिस से प्रार्थना की खोज़ करने के लिये अनुरोध कर रहे थे कि वहीं खड़े एक पुलिस कर्मी ने बच्ची की फोटो को देखते हुए साथ चलने को कहा। 26 जून, 2012 सोमवार को 11:30 बजे दिन में प्रार्थना की लाष मालवीया नगर, दैनिक भास्कर के पीछे नाले में पाई गयी। चाचा ने बेबी प्रार्थना की लाष की पुष्टि दी।

चाचा ने वारदात के दिन की पूरी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थना ने घटना के दिन नीला फ्रॉक और लाल रंग की पयजामा पहने थी। प्रार्थना के घावों को देखकर लग रहा था के उसके साथ बलात्कार कर उसे बेरहमी से मारकर नाले में फैंक दिया था। प्रार्थना के चेहरे पर काफी घाव थे और शरीर खून से लत–पत था। उस तीन साल की बच्ची पर निर्दयता से किसी भारी वस्तु से प्रहार किये गये थे।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

26 जून, 2012 को प्रार्थना के परिवार द्वारा एफ.आई.आर करवाई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। ifjokj esa 'kksd Fkk fd vxj jkr dks gh iqfyl u dk;Zokgh dh gksrh rks 'kk;n ikFkZuk viuh ifjokj ds lkFk gksrh vkSj dgha u dgha ifjokj dks yxk fd gj vkSe ?kVuk dh rjg mudh cPph dh ekSr dks Hkh fy;k tk;xk vkSj vkjksih dHkh ugha idMs

tk;xA परिवार ने मिलकर प्रार्थना के आरोपी को जल्द ही पकड़ने के लिए पुलिस थाने का घिराव किया।

पुलिस ने भी मीडिया एवं जनता के दबाव के चलते ज़ल्द ही अपनी कार्यवाही को तेज़ किया और वारदात के अगले ही दिन तीन लोगों को प्रार्थना के साथ बलात्कार अथवा हत्या करने के अपराध में गिरफतार किया। आरोपी सन्नी, बाबु और जितेन्द्र वहीं महौले के आस–पास रहने वाले हैं और उनमें से जितेन्द्र रिक्षा चालक है जिसके वाहन का प्रयोग बच्ची का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के लिए प्रयोग किया था। हत्यारों ने अपने अपराध को माना कि उन्होंने बच्ची को बारात देखेने के समय अपहरण किया। पुलिस ने अपनी जाँच में यह बताया के आरोपी सन्नी, बाबु और जितेन्द्र उस रात भांग का नषा किये हुए थे। आरोपियों का प्रार्थना के परिवार या परिजनों से कोई सम्बन्ध नहीं था।

आरोपियों पर धारा 307/302/376/201 तीनों पर लगाईं गईं हैं और तीनों आरोपी पुलिस की गिरफत में अभी तक हैं। उनमें से किसी को जमानत नहीं दी गई है।

प्रार्थना के साथ बलात्कार अथवा हत्या की एफ.आई.आर और किये गये पोस्टर्माटम की रिपोर्ट/प्रति क्या केहती है परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही यह पता है कि उनका सरकारी वकील कौन है। हर पेषीपर उन्हें नया वकील ही मिलता है और आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाता। परिवार अथवा परिजन अभी तक पाँच पैषियों में अदालत गये हैं पर अखबार के अलावा उन्हें कहीं से भी कार्यवाही की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हर बार सिर्फ हस्ताक्षर करवा कर वापिस भेज दिया जाता है और अगली पेषीके लिये फोन द्वारा सूचना दे दी जाती है।

हाल ही 12 दिस्मबर, 2012 की पेषीमें परिवार को पता लगा कि आरोपियों की डी.एन.ए रिपोर्ट आ गई है और तीनों आरोपियों ने प्रार्थना के साथ बलात्कार किया है। मामला अभी भी अदालत में है और वीरोधी पक्ष द्वारा आरोपियों को बचाने की भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी एवं राजनैतिक पक्षों द्वारा वित्तिय सहायता ज़रूर दी गई है परन्तु सिर्फ लोकप्रियता की पूर्ति के उद्देष्य के चलते।

वारदात के बाद अत्याचार

प्रार्थना का परिवार इन्दौर का घर छोड़कर चला गया है। माँ ने टी.बी का ईलाज़ लेने से मना कर दिया है और घटना के बाद मीडिया, राजनैतिज्ञों आदि द्वारा बार–बार घटना एवं परिवार की दयनीय परिस्थिति का वर्णन किये जाने के कारण परिवार अपने आपको शर्मसार महसूस करता है। परिवार में चार ओर लड़कियाँ भी हैं जिसके कारण से वह ईलाज अधूरा छोड़कर चले गये हैं। ऐसी परिस्थिति में माता–पिता ने निर्णय लेते हुए प्रार्थना की नानी के घर पर जाना उचित समझा क्योंकि गांव वापिस जाने पर समान परिस्थितियों को ही झेलना पड़ेगा। चाचा ने बताया कि उनके भाई का परिवार किसी के सम्पर्क में नहीं रहना चाहता और वो भी किसी को नहीं बताते की प्रार्थना का परिवार अब कहाँ है।

बच्ची के चाचा ने यह भी बताया के प्रार्थना के पिता को भी टी.बी की बीमारी हो गई है परन्तु वो भी ईलाज़ नहीं लेना चाहते। मृत्क की बहिनों को स्कूल नहीं भेजा जाता। वो घर पर ही रहती हैं।

परिवार के द्वारा समाज से मांग है कि परिवार की परिस्थिति को संवेदनषीलता से समझे एवं दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा दिलाने में एक साथ खड़े रहें। सरकार से केहना चाहते है कि आरोपियों को सज़ा ज़रूर मिले परन्तु ऐसी कि vkjkih lekt e dHkh okfil u vk; vkj vk; rk nj l gh igpku tk; ftll mUg ftYyr egll gk] u dh ifjokj dkA

परिजनों से बात करने पर यह महसूस किया गया के उनमें dgh u dgh ;g Hk; cuk gvk g fd vkjkfi;k dk ifjokj ,o vkjkih mUg tkueky dk udlku igpk ldr gA

d:l v/;;u&2

¼jhok 'kgj e: dj:;k xkao e: ifjtu }kjk efgyk d: lkFk cykRdkj dk vi:thdr ekeyk½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

निषा (परिवर्तित नाम), जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग है और दैनिक कार्यों के लिये अपने परिवार एवं परिजनों पर आश्रित है। निषा की उम्र 34 वर्ष है और रावत समाज से करैया गाँव जिला रीवा में अपने परिवार के साथ रहती। निषा की एक बहिन और भाई भी हैं और दोनों ही शादी–षुदा हैं। भाई, माता–पिता के पास ही अलग घर में रहता है और निषा की बहिन भी गाँव से कुछ दूरी पर अपने पति व बच्चों के साथ रहती है। निषा घर में सबसे छोटी औरे बचपन से दिखाई न देने के कारण लाचार है।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी</u>–

निषा अपनी बहिन की शादी के पांच साल बाद, माता–पिता के कहने से वहाँ रहने चली गईं क्योंकि माता–पिता की वृद्धावस्था के कारण वे निषा की देखभाल नहीं कर पा रहे थे और बहिन के पास उसका मन लगा रहेगा। इस प्रकार अपनी बहिन के घर उनके के साथ रहने लगी। एक दिन बहिन की गैर–हाज़िरी में निषा के जीजा (इन्द्रपाल) ने उसके साथ बलात्कार किया और उससे शादी करने का झूठा वादा करके उसे झांसा देकर उसके विरोध को दबा दिया। इस प्रकार लगातार निषा का जीजा उसे धोखा देकर उसके साथ दुष्कृत्य करता चला गया और निषा उसे प्रेम समझती रही।

निषा ने अपने जीवन में अभी तक कोई भी निर्णय स्वयं नहीं किये थे और यही कारण था कि वो नहीं समझ पा रही थी की उस के लिये क्या सही और क्या गलत है। जीजा द्वारा किये बलात्कार के कारण निषा माँ बनने वाली थी और घर में इस बात पर काफी विवाद उठा।

जीजा ने लेकिन इस बात से इन्कार कर दिया के इस बच्चे का बाप वो है और कहा के उसने निषा को हाथ तक नहीं लगाया। पूरे परिवार इस घटना से स्तब्ध था और वृद्ध माता–पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घड़ी में किसका पक्ष लें क्योंकि दोनों बहिनों का जीवन दाँव पर लगा था और ये पूरा मामला पारिवारिक मामला न रहकर सामाजिक बन गया था क्योंकि बहिन और जीजा के अनुसार निषा के सम्बन्ध पड़ोसी के बेटे के साथ थे।

<u>सामाज की प्रतिक्रिया</u>–

निषा बहुत ही गरीब परिवार से है और इसलिए परिवार में आजीविका का एकमात्र स्रोत मज़दूरी है। निषा कुछ भी काम करने में अस्मर्थ है और माता–पिता ही केवल उसका इस मुसीबत के समय में सहारा थे। निषा के आस–पास के सभी रहने वालों ने भी निषा के परिवार का साथ दिया और निषा के जीजा से बार–बार निवेदन किया की वो निषा के होने वाले बच्चे को जायज होने का अधिकार दे अथवा निषा की जिम्मेदारी ले किन्तु निषा के जीजा ने इस बात के लिए साफ इन्कार कर दिया के निषा के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका है। निषा की बहिन ने भी अपने परिवार की कोई बात मानने से इन्कार कर दिया और उल्टा निषा को ही बदचलन बताया क्योंकि पति भी उसपर हर तरह से दबाव पैदा कर रहा था। इस बात का फल यह रहा कि निषा के माता–पिता को अपनी बड़ी बेटी के परिवार की चिन्ता होने लगी। निषा के परिवार वालों ने बदनामी एवं अपनी बड़ी बेटी का परिवार बचाने के कारण से मामले को दबाना उचित समझा।

निषा पर गर्भ को गिरा देना का दवाब भी दिया गया। उसकी बहिन और जीजा नहीं चाहते थे की वो बच्चे को जन्म दे पर तब तक निषा चार महिने से गर्भवती थी। निषा को सामाजिक रूप से लज्जा एवं दोषारोपण का सामना करना पड़ा। हर किसी के लिये यह मज़ाक का विषय था कि आखिर कौन इस बच्चे का पिता है। निषा को गर्भ के समय शरीरिक रूप से वैसा पोषण भी नहीं मिला जैसा कि गर्भवती

माँ को दिया जाना चाहिए और उपर से मानसिक एवं सामाजिक तनाव। परन्तु फिर भी आज निषा का आठ साल का बेटा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है और चौथी कक्षा में पढ़ रहा है।

<u>वारदात के बाद अत्याचार</u>

समाज द्वारा बिन–बिहाई माँ बनने का दुःख निषा और निषा के माता–पिता को अभी तक झेलना पड़ रहा है। इतने सालों में दो बार निषा का परिवार एवं उसकी बहिन के पति से निषा के बच्चे एवं उसको जायज़ अधिकार दिया जाने का अनुरोध कर चुके हैं परन्तु हर बार इन्कार ही मिला है। आज निषा और उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी निषा के माता–पिता की है। पीड़िता की चाची भी घर के पास ही रहती है और उनके द्वारा भी पूरी वारदात के बारे में बताया गया।

हर किसी की चिन्ता आज यही है कि किसी प्रकार से निषा को इंसाफ मिले क्योंकि आरोपी को किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं झेलना पड़ा परन्तु निषा की जिन्दगी और कठीन हो गई है। उसका बेटा बड़ा हो रहा है और निषा को विक्लांग पैंषन मिलती है परन्तु अपने बेटे की सही से परवरिष करने के लिए वो काफी नहीं है।

निषा ने अपने बेटे का स्कूल में प्रवेष के समय से पिता के नाम की जगह अपने जीजा की ही नाम लिखवा रखा है। निषा और उसका बेटा गाँव और उसके अपने परिजनों के लिए समाज का हिस्सा नहीं है। जब तक निषा के माता–पिता जीवित हैं तब तक उनका जीवन सही से व्यापन हो रहा है परन्तु उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी उसके लिये कोई नहीं सोच रहा है। आज भी नहाने से लेकर छोटे–छोटे रोजमर्रा के कामों में निषा बिना किसी की मदद् के नहीं कर सकती है। उसकी बस एक ही मांग है कि उसके बच्चे को जायज होने का अधिकार मिले क्योंकि उसकी या उसके बच्चे की कोई भी गलती नहीं है।

<u>dsl v/;;u&3</u>

¼jkuhrky] tcyiqj esa jktuhfrd ikVhZ ds v/;{k ds cVs }kjk lkefgd cykRdkj dk ekeyk½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

रीना (परिवर्तित नाम), जबलपुर जिले के छोटे से गाँव रानीताल, सिहोरा में रहने वाली आठवीं पास आदीवासी 16 वर्षीय लड़की है। उसके परिवार में माता–पिता के अलावा तीन भाई हैं। परिवार में रीना सबसे बड़ी है और उसके छोटे भाईयों में से सिर्फ सबसे छोटा भाई ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से समर्थ है अन्यथा बाकि असक्षम है। रीना के माता–पिता दोनों मजदूरी करके घर चलाते हैं। घर पर उनकी बेटी और तीनों बेटे रहते हैं। पिता को हर दिन जबलपुर मजदूरी के लिए काम करने जाना होता है और माँ भी पास के खेतों में मजदूरी करती हैं। परिवार में सबसे छोटे भाई की उम्र तीन वर्ष की है और उससे बड़े दोनों भाईयों की उम्र 10 वर्ष से कम है। माता–पिता रीना की जिम्मेदारी में बच्चों को घर छोड़कर जाते थे और उनकी गैरहाजिरी में वो घर का काम करती थी।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी</u>–

18 दिसम्बर 2012 को दोपहर 3 बजे को रीना घर के आंगन में बरतन साफ कर रही थी और उसका भाई पास ही आंगन में खेल रहा था और दूसरा भाई अंदर बैठा था। अचानक एक गाड़ी उनके घर के पास आकर रूकी और उसमें से दो लड़के उतरे और रीना को ज़बरदस्ति उसे खींचते हुए रीना के घर में ले गये। दोनों भाईयों को आरोपियों में से एक (खिल्लु कुम्हार) ने उनको काफी मारा ओर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भाई मानसिक रूप से असमर्थ हैं और वो अपनी बहिन को बचाने में असमर्थ रहे। घर के अन्दर रीना को आरोपी (कंधी कुमार राम) ने काफी मारा–पीटा और उसे रस्सी से बांध दिया। रीना ने अपने आपको आरोपियों से बचाने की काफी संघर्ष भी किया परन्तु वो अकेली उनका मुकाबला न कर पाई। दोनों आरोपियों ने रीना के साथ बलात्कार किया और उसे धमकी भी दी

की अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके भाईयों को वो मार देंगे और उसे तेज़ाब से जला देंगें।

रीना को आरोपी बेहोषी की हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गये। उसकी माँ घर पहुँची तो उसके कपड़े फटे देखकर डर गई और रीना ने अपने साथ हुई घटना के बारे में माँ को बताया।

माँ ने व्याकुल स्थिति में गाँव में रहने वाले दोनों आरोपियों के घर भागती हुई पहुँची किन्तु घर पर उसे दोनों आरोपी नहीं मिले। घर पर सिर्फ उनके माता–पिता थे और उनको जब उसने अपनी बेटी के साथ किये बलात्कार के बारे में बताया तो उन्होंने रीना की माँ को ही झूठा कहने लगे। उन्होंने रीना की माँ को धमकी तक भी दी कि अगर उसने उनके लड़कों पर आरोप लगाना बंद नहीं किया तो उसके परिवार का गाँव में रहना मुष्किल कर देंगे।

दोनों आरोपी गाँव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी की उम्र 25 साल से अधिक है और दोनों पहले भी इस प्रकार से गाँव की काफी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुके हैं परन्तु उनके परिवारों का गाँव में दब–दबा होने के कारण डर और बदनामी की वज़ह से किसी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी। हर कोई दोनों आरोपियों की वज़ह से काफी परेषान था। लेकिन रीना ने आजतक उनसे न कोई बात की थी न ही मिली थी पर इतना जरूर जानती थी कि वो गांव के ही रहने वाले हैं। माता–पिता का भी उनके साथ कोई सम्पर्क नहीं था।

<u>राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–</u>

रीना और उसकी माँ सारी रात जागती रहीं। उन्हें डर था कि कहीं फिर से आरोपी या उसके परिवार के लोग आकर उन्हें परेषान न करें। सुबह होते ही माँ और बेटी 10 बजे बिना नहाये और वारदात वाले दिन पहने कपड़े (सलवार सूट) लेकर गोसलपुर थाने में एफ.आई.आर करने के लिए वहाँ पहुँच गयीं थीं लेकिन आरोपियों का उस गाँव में अच्छी पहचान अथवा आरोपी(कंधी कुमार राम) के पिता का राजनैतिक पार्टी में अध्यक्ष होने के कारण से पुलिस ने रीना और उसकी माँ को 1 बजे तक एफ.आई.आर लिखने में विलंब करते रहे। रीना ने विलंब होता देख अपने हाथ से आवेदन पत्र में वारदात की सारी जानकारी देते हुए लिखकर भी दिया लेकिन इस बात पर भी पुलिस कर्मी हरकत नहीं किये।

रीना के पिता इस घटना की बात से अनजान थे और घटना के दिन वो जबलपुर से वापिस भी नहीं आये थे। उन्हें घटना के अगले दिन वारदात की जानकारी मिली और वो 3 बजे तक थाने पहुँच गये थे। पिता के आने के पश्चात् भी 5 बजे तक किसी तरह से पुलिस कर्मी उनकी फ़रियाद को नज़रान्दाज़ करते रहे और इन्तज़ार करने को बोलते रहे। पीड़िता के पिता ने जान–पहचान के सरपंच (हिरा सिंह) को सारी घटना का वृतांत फोन पर दिया और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में भी बताया।

इस परिस्थिति में सरपंच (हिरा सिंह) के हस्तक्षेप करने के पश्चात् ही एफ.आई.आर (13/33) की गई। आरोपियों पर 376–2जी/506/450/323/365/366 (क) की धारायें लगाईं गईं है परन्तु पुलिस के रिकार्ड देखे तो वहाँ एफ.आई.आर को 3:30 बजे दर्ज करने का समय लिखा गया है और अगर पीड़िता की बात से पता चला के एफ.आई.आर 5 बजे के बाद लिखी गई है।

एफ.आई.आर के बाद पीड़िता को महिला पुलिसकर्मी के साथ डाक्टरी जांच के लिए कटनी में स्थित विक्टोरिया हस्पताल ले जाया गया। पीड़िता को डाक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई चिकित्सक सहायता नहीं दी गई और न ही पुलिस ने बताया के जांच रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष था। हाँलाकि पीड़िता को आरोपियों द्वारा काफी मारा गया था और उसके दाये कंधे में मार–पीट के समय चोट लगी थी जिसके कारण वह बहुत पीड़ा में थी और उसने यह बात जाँच कर रही डाक्टर को भी बताई थी। इसके बावजूद भी पीड़िता को किसी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं दी गई और न ही उससे किसी प्रकार की डाक्टरी परामर्ष दिया गया लेकिन परिवार अपने से चिकित्सक सहायता दी है।

एफ.आई.आर के बाद पीड़िता के परिवार के द्वारा अनुरोध करने पर पुलिस द्वारा सुरक्षा भी दी गई। दो सिपाही सुरक्षा हेतु पीड़िता के घर के बाहर रखे गये हैं जिसका मुख्य उद्देष्य पीड़िता के घर पर आने–जाने पर नज़र रखना है। सरपंच (हिरा सिंह) के हस्तक्षेप करने के कारण, हरकत में आई पुलिस ने दोनों मुज़रिमों को 21 दिसम्बर 2012 को अपनी हिरासत में ले लिया है और 11 दिन के अंदर चालान भी अदालत में 30 दिसम्बर को पैष कर दिया है।

<u>वारदात के बाद अत्याचार</u>

पीड़िता वारदात के बाद से बहुत डरी हुई है और उसे अकेले आने जाने में डर लगता है। उसे कहीं न कहीं यह डर लगा रहता है कि कहीं फिर से कोई उससे जबरदस्ती न करे। वो अब भी मानसिक तनाव में है। पीड़िता के परिवार से आस–पास के किसी भी परिवारों ने इस वारदात के बाद कोई बातचीत नहीं की और न ही उनका हालचाल लिया। आरोपी के परिवार वालों के सम्बन्ध भाजपा पार्टी के बड़े नेता के साथ होने के कारण आसपास रहने वाले पीड़िता के परिवार की कोई मदद् नहीं करना चाहते और न ही किसी प्रकार की सहानुभूति रखते हैं। पीड़िता की यही मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये जिससे वे फिर किसी भी लड़की के साथ ऐसा दोबारा न करें।

<u>d l v/; ;u&4</u>

¼bUnkj fty e ifjokj e Hkkut }kjk ekeh d lkFk n"de½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

मालती (परिवर्तित नाम), ठाकुर (भील) परिवार की महिला है। मालती 45 वर्षीय महिला है। मालती अपने परिवार के साथ प्रकाष नगर, इन्दौर जिले में एक छोटी सी बस्ती में रहती है। उसके परिवार में दम्पति के अलावा 8 बच्चे (5 लड़कियाँ और 3 लड़के) हैं। उसकी एक बेटी (लक्ष्मी) की शादी हो चुकी है और मालती के घर के पास ही रहती है। उसके बाकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। सबसे छोटे बच्चे की उम्र 4 साल है। सभी बच्चे घर पर ही रहते हैं।

मालती बर्तन धोने का काम करती है और उसका पति समान ढ़ोने का कार्य करता है। दोनों की मजदूरी अस्थाई है।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी</u>–

26 दिसम्बर, 2010 की शाम मालती की बड़ी बेटी (लक्ष्मी) के बेटे का मुँडन का कार्यक्रम बस्ती में मनाया जा रहा था। हर कोई खुषी में झुम रहे थे। शाम को कीष्ना के बाद, खाना खाने के बाद सभी बस्ती वाले कार्यक्रम में सम्मिलित थे और नाच रहे थे। रात के 12 बज चुके थे लेकिन परेषान लक्ष्मी अपनी माँ को ढूँढ रही थी। वो अपनी माँ को नाचते हुए लोगों में भी ढूँढा पर नहीं मिली, उसने घर पर भी जाकर देखा तो वहाँ पर भी नहीं थी। इस बात से लक्ष्मी परेषान थी कि अभी तो उसकी माँ यहीं सबके साथ थी तो अचानक कहाँ चली गईं। अपनी माँ को ढूँढते–ढूँढते पास के घरों में ढूँढने लगी। लक्ष्मी को अपनी माँ पास ही के मामा के घर में झुग्गी के पीछे बेहोषी की हालत में मिली।

लक्ष्मी ही अपनी माँ को वहाँ से उठा कर घर तक लेकर आई और मालती ने अपनी बेटी और पति (छोटू) को बताया की वो लक्ष्मी के मामा के घर पानी का घड़ा रखने गई थी। लेकिन वहाँ मालती के भानजे ने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसके मुँह पर हाथ रख दिया। मालती ने अपने आपको छोड़ाने की कोषिष और शोर भी मचाया पर बाहर जषन में डुबे लोगों का शोर होने के कारण किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आरोपी ने मालती को पीटना शुरू कर दिया और उसके पेट में घूंसे भी मारे और उसको तब तक आहात करता रहा जब तक वो बेहोष नहीं हो गईं। इसके बाद उसने अपनी मामी के साथ बलात्कार किया और उसे उठाकर अपने घर के पीछे फेंक कर वो वहाँ से भाग गया।

आरोपी को मालती का लम्बे अरसे जानती थी और घर पर आना जाना भी था। आरोपी रिषते में उसका भानजा लगता था। आरोपी की उम्र 23 वर्ष है और वो dkb: dke नहीं करता है।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

मालती के साथ दुराचार के बाद उसके पति व बेटी ने अपने परिजनों के साथ आरोपी को ढूँढना शुरू कर दिया लेकिन उसके माता–पिता अथवा उनकी तरफ के परिजनों ने बात का विरोध किया और मालती को बुरा भला कहने लगे। लक्ष्मी के पिता ने अपने परिजनों का विरोधाक्तम रवैया देखते हुए यही विचार किया कि सुबह होते ही पुलिस में रिपोर्ट ज़रूर करेंगे।

अगली सुबह, 26 दिसम्बर 2010 मालती को उसके पति ने अकेले ही राजेन्द्र नगर के पुलिस थाने में उसे रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया। मालती भी बिना कपड़े बदले, अपने रात के ही वारदात के समय पहनी साड़ी में पुलिस थाने में चली गई थी। मालती ने पुलिस से अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया लेकिन उनकी तरफ से तुरन्त कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई और सिर्फ उसे बैठने के लिये कह दिया गया।

मालती वहीं बैंच पर बैठ कर अपनी बारी का इन्तजार करती रही और सुबह से शाम हो गई लेकिन उसके बार–बार अनुरोध करने पर भी एफ.आई.आर नहीं दर्ज़ की गई। पुलिस उसे कहती रही के बड़े साहब आयेंगे तो एफ.आई.आर दर्ज़ होगी। शाम के 7:30 बजे एफ.आई.आर–19/66 लिखी गई और रात को 8 बजे महिला पुलिस कर्मी के साथ मालती मेडिकल जाँच के लिये लेकर गईं और मालती को डाक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई चिकित्सक सहायता नहीं दी गई और न ही पुलिस ने बताया के जांच रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष था। हँालाकि पुलिस से पता चला के रिपोर्ट में उसके साथ बलात्कार हुआ है लेकिन मालती के पास उसकी जानकारी नहीं है और न उसे दी गई है। इसके बाद पुलिस के साथ उसका कोई सम्पर्क नहीं हुआ।

पुलिस ने 27 दिसम्बर 2010 को आरोपी को गिरफतार कर लिया था तथा मुकदमा अदालत में दो साल से चल रहा है।

वारदात के बाद अत्याचार

घटना के बाद से मालती को सरकार से कोई सहायता नहीं दी गई है परन्तु गैर–सरकारी संस्था महिला राहत केन्द्र द्वारा परामर्ष अथवा मेडिकल सहायता प्राप्त करवाई गई है। मालती अब तक पांच पेषियों में जा चुकी है परन्तु अभी तक आरोपी आराम से जमानत के बाद बाहर हैं। मालती के परिवार पर आरोपी के परिवार का केस वापिस लेने और राज़ीनामा किये जाने का दवाब अभी बना हुआ है और आते जाते मालती के परिवार वालों को गाली और ताने दिये जाते हैं। कभी कभी तो वो मालती को मारने तक की धमकी तक देते हैं और आस–पास लोग उनकी कोई मदद नहीं करते। आस–पास के लोग घटना के बाद से ही परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रखें हैं और न ही मालती के पक्ष में किसी ने कोई गवाही दी है। हर कोई आरोपी के परिवार द्वारा पैसे से खरीद लिया गया है।

वारदात का पता लगने पर मालती के पति की प्रतिक्रिया के रूप में उसके उपर ही शक किया और उसे पिटा था परन्तु उसके द्वारा प्रोत्साहन के बाद ही मालती ने पुलिस थाने में जाकर एफ.आई.आर करवा सकी। समाज द्वारा अलग करने और राज़ीनामा के लिए दवाब दिये जाने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी का साथ देता है परन्तु हाल ही में काम के समय आई चोट आने के कारण वो भारी काम करने अस्मर्थ है और परिवार की जिंम्मेदारी मालती पर अधिक आ गई है।

मालती शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं क्योंकि वारदात के समय आई चोटें अंदरूनी होने कारण आज भी परेषान करती हैं और मानसिक एवं सामाजिक दबाव के कारण से वह बीमार ही रहती हैं। पेषीके समय दिये जाने वाला भत्ता भी उन्हें पूरा नहीं दिया जाता है।

मालती की मांग है कि आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाये।

dsl v/;;u&5

¼ifyl }kjk n"dR; ds ekeys es vlg;kx dk bUnkj dk ekeyk½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

रीहाना(परिवर्तित नाम),, मुस्लिम समाज की 46 वर्षीय महिला है। वह इन्दौर जिले में गाँधीग्राम में पुलिस थाने के पीछे बसी बस्ति की निवासी हैं। रीहाना एकल महिला (विधवा) है और दो बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) भी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और उनका रीहाना की साथ कोई सम्पर्क नहीं है। रीहाना गाँधीग्राम में अकेली ही रहती हैं।

वारदात की विस्तृत जानकारी एवं राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

रीहाना के साथ बलात्कार की घटना की एफ.आई.आर खजराना पुलिस थाने में दर्ज है। रीहाना के साथ बलात्कार की घटना 25 दिसम्बर 2012 को शाम 7 बजे की है। पुलिस से पता चला कि रीहाना खुदा बख्श कालोनी में दो लोगों द्वारा घर दिखाने के लिए ले गए थे और वहाँ उन दोनों लोगों रीहाना के साथ सामुहिक बलात्कार किया। यह एफ.आई.आर 26 दिसम्बर 2012 को दर्ज की गई। आरोपियों पर धारा 376 एवं 342 लगाई गईं हैं और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने 31 दिसम्बर को इस एफ.आई.आर का चालान भी अदालत में पैष कर दिया है।

पुलिस ने हमारी टीम को ओर बताते हुए कहा की रीहाना इस बात के बाद से वहाँ से घर छोड़कर जा चुकी है और उसका पता वो हमें नहीं दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया के यह की यह मामला अपसी रँजीष का है। रीहाना आरोपियों जानती है और इस मामले में राज़ीनामा भी हो गया है। यह बातचीत खजराना पुलिस थाने में उपस्थित दो पुलिसकर्मियों के साथ की गई थी। वहाँ उनके अलावा एक और महिला भी थी जो सफाई का काम कर रही थी।

इसके पश्चात् हमारी टीम ने गाँधीग्राम के बाज़ार में इस बात की पुष्टि के लिये छानबीन की और वहाँ से प्राप्त जानकारी से पता चला कि रीहाना पुलिस थाने में ही सफाई काम करती है। उसके पड़ौस में रहने वाली सलमा खातुन ने बताया की रीहाना दह व्यापार में है और वो शाम को 7 बजे दुध लेने गई थी। वहाँ उसे दोनों आरोपी मिले थे और उसे घर में ले जाकर उसके साथ संभोग किया। लेकिन तय राषी नहीं देने पर रीहाना ने उनके खिलाफ एफ.आई.आर खजराना पुलिस थाने में करवा दी और सलमा खातुन को सारी बात बताई थी। सलमा खातुन ने यह भी बताया कि रीहाना काफी समय से इस पैषे में है और गाँधीग्राम में कुछ समय पहले ही उस बस्ती में रहने आई है। रीहाना का आस पास के लोगों के साथ बातचीत नहीं होती है।

इसके जानकारी के साथ, टीम खजराना पुलिस थाने में गई और वहाँ जाकर रीहाना से बात करने के लिए गई परन्तु वहाँ नहीं थी। पुलिस के दोनों उपस्थित पुलिसकर्मियों ने टीम को वहाँ से जाने के को कहा परन्तु जब टीम ने कहा के हमें सिर्फ टी.आई से मिलना है तब उन्होंने जाने दिया गया। टी.आई ने बताया की वो कोई जानकारी नहीं दे सकते जब तक हमारी टीम एस.पी से अनुमति पत्र नहीं लाते और यह भी बताया की हाँ रीहाना उनके यहाँ ही काम करती है परन्तु उन्हें इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है और कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम ने रीहाना को ढूँढने की काफी कोषिष की पर वो नहीं मिली।

dl v/;;u&6

¼ lkxj d vLirky e lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

सुनीता (परिवर्तित नाम), 27 वर्षीय महिला है, वह ग्राम डिलौना बंडा ब्लॉक जिला सागर में अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती है। जिसमें उसके 3 बच्चों एवं पति सहित 10 लोग रहते है। परिवार की आमदनी का जरिया दैनिक मजदूरी है। सामाजिक परिस्थती के आधार पर गॉव लोधी समाज के बहुल्य होने के कारण सुनीता का परिवार अकेला पड़ जाता है।

दिनांक 13.12.2012 को सुनीता की 6 वर्षीय बेटी कमला षौच के लिए जाते समय आग के घूरे में गिर जाने के कारण पूरी तरह से झुलस गई थी। जिसे लेकर सुनीता और उसका पति गजेन्द्र विष्वकर्मा उसे जिला अस्पताल सागर ले कर गए एवं उसे वहॉ भर्ती करा दिया।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

अभी कमला के इलाज के चलते हुए 10 दिन हुए थे। डॉक्टरों के अनुसार कमला 60 प्रतिषत से ज्यादा जल चुकी थी और उसी के कारण उसे बर्न बार्ड में भर्ती कर इलाज चल रहा था। 23.12.2012 की षाम 6 बजे के करीब सुनीता टॉयलेट के लिए बार्ड में ही बने टायलेट में गई। उसी समय वहॉ के सफाई कर्मी सचिन,सन्नी और राहुल वाल्मिकी वहाँ से सफाई करके निकले थे। जब वह अंदर के दरवाजे से बाहर निकली तो देखा की तीनों सफाई कर्मी बाहर का दरवाजा बंद करके खड़े हैं और वह कुछ बोल पाती तभी सचिन ने उसका मुँह दबा लिया और सन्नी ने हाथ पकड़ लिया और उसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। सुनीता उस बलात्कार के समय साड़ी पहने थी। तीनों आरोपियो ने बलात्कार करने के बाद सुनीता को धमकी दी की अगर इस घटना की जानकारी किसी को भी दी तो वह उसकी बेटी और पति को मार डालेंगे।

सुनीता बुरी तरह से डर गई थी और सुबह तक अपने पति को भी नहीं बता पाई थी। पति को उसने घटना के बारे में 24.12.12 को बताया जिसकी जानकारी मिलते ही उसका पति गजेन्द्र आरोपियो से भिड़ बैठा और आरोपियो ने मिलकर वही अस्पताल परिसर में ही गजेन्द्र के साथ मार–पिटाई की।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

अस्पताल परिसर में ही पुलिस चौकी होने के बाद भी पुलिस वालों ने घटना को लेकर कोई कार्यवाही नही की एवं दोपहर 12 बजे के करीब सुनीता और गजेन्द्र गोपालगंज थाने में रिर्पोट दर्ज कराने गए तो उनकी रिर्पोट दर्ज नहीं की गई। वह लोग अपनी जली हुई बच्ची के साथ दिन भर थाने मे ही बैठे रहे। तब कहीं जाकर षाम को 6 बजे एफ.आई.आर. दर्ज की गई। तीनो आरोपियों के खिलाप धारा 376/20/2 जी के तहत मामला दर्ज कर तीनो आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है।

वारदात के बाद अत्याचार

घटना के दूसरे दिन आरोपियों द्वारा सुनीता के पति के साथ मार–पिटाई की, उक्त घटना के बाद उनसी जली हुई बेटी को उचित इलाज ना मिल पाने के कारण और इन्फेक्सन बढ़ जाने के कारण उसकी 26.12.12 को मृत्यु हो गई, जब 27.12.12 को बह अपनी मृत बेटी के साथ गाँव पहुँचे तो गाँव का कोई भी व्यक्ति उनके साथ बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, और सुनीता के परिवार को अघोषित रुप से बहिष्कृत कर दिया और गॉव छोडने का दबाव भी निर्मित किया गया, और उसके पति के साथ इसी कारण मार–पिटाई की गई जिसके लिए बिनैका थाने में रिर्पोट की गई, और पिटाई करने बाले आरोपियो सुरेष लोधी और रिषी पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज करके जेल भेजा गया है।

किन्तु वर्तमान में भी सुनीता के परिवार पर गॉव छोड़ देने का दबाव बना हुआ है।

d:l v/;;u&7

¼ dVuh e: ukckfyd vkfnokl h cPph d: lkFk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

खुषी(परिवर्तित नाम), 13 वर्षीय पॉचवी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है। खुषी आदिवासी समाज से है। वह ग्राम खड़गा सलैया जिला कटनी में अपनी माँ और 2 छोटे भाईयों के साथ झोपड़ी में रहती है। उसके पिता की मृत्यु लगभग 6 साल पहले हो गई थी, परिवार में आमदनी का कोई ज़रिया ना होने के कारण उसकी माँ गाँव के लोगों के खेतों में काम करके घर चलाती है, खुषी भी अपनी माँ की मदद् किया करती है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

दिनांक 17.12.12 को खुषी गाँव के पास के खेत में चने की भाजी तोड़ने आई थी, करीब षाम के 5.40 हो चुके थे और हल्का–हल्का अंधेरा घिर आया था, वह घर लौटने को थी कि तभी वहाँ खेत पर पड़ोस में ही रहने वाले बराती और षंकर आए (जो की उम्र में 28 से 30 साल के होगे) उन्होने खुषी को खेत पर अकेला पा कर उसके साथ छेड़छाड़ षुरु कर दी, और जब खुषी ने उनका विरोध करना चाहा तो उसका मुँह अपने हाँथो से बंद कर दोनो आरोपी उसे उठा कर खुद के खेत मे बनी मढैया में गए और उसे वहाँ खाट से बाँध कर बंधक बना लिया, और उसके साथ दोनो आरोपियों ने सामुहिक बलात्कार किया।

आरोपी 18.12.12 और 19.12.12 की दोपहर तक खुषी को बंधक बनाये रहे, और तीनो दिनो तक उसके साथ बलात्कार करते रहे। 19.12.12 को आरोपी षंकर के चाचा खेत पर आये और जब उन्होने खुषी को वहाँ पर बंधा देखा तो उसे तुरंत मुक्त किया और अपने साथ उसे घर ले गए।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

20.12.2012 को सजनी,उसकी माँ और जीजा स्लीमाबाद थाने रिर्पोट दर्ज करने पहुँचे। वह लोग सुबह 9 बजे थाने पहुँच गयें थे, पर थाने में उनकी रिर्पोट दर्ज नहीं की वह तीनों लोग दोपहर तक थाने में ही भूखे–प्यासे बैठे रहे, जब इस घटना की जानकारी वहाँ के स्थानिए पत्रकार नंदकिषोर पान्डेय को पता चली तो उन्होने मीडिया के माध्यम से प्रषासन पर दबाव निर्मित किया। तब कही षाम 6.20 पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई और 7 बजे के बाद खुषी को मेडीकल के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया मेडीकल के समय खुषी के साथ हुए बलात्कार को 30 से 35 घंटे व्यतीत हो चुके थे।

थाना स्लीमाबाद में दोनो आरोपियो के खिलाफ अपराध क्रमांक 407/12 में धारा 341/342/363/366/376 जी–2 के तहत प्रकरण दर्ज कर और दोनों आरोपियो को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है।

वारदात के बाद अत्याचार

उक्त घटना के बाद गाँव वालों का व्यवहार खुषी कें घर वालो के साथ बदल गया, और सभी लोग किसी ना किसी बहाने उन्हे नीचा दिखाने की कोष्aष करने लगे। खुषी की सहेलियों ने भी बात करना बंद कर दिया है। परेषaन होकर उसकी माँ तीनो बच्चो के साथ खेत में झोपडी बना कर रहने लगी है, और खुषी का स्कूल जाना भी बंद हो गया है।

dsl v/;;u&8

¼Nrjiqj esa eqfLye dh lkFk cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

फसाना (परिवर्तित नाम), उम्र 19 वर्ष सेंधरी गांव छतरपुर जिले में के एक मुस्लिम परिवार की रहने वाली है। वह घर पर ही रहती है और घर के कार्यों में हाथ बटाती है। उसका परिवार संयुक्त परिवार है जिसमें चाचा, चाची, बड़े पापा–मम्मी, उसका भाई और बहन रहते है। परिवार का मुख्य कमाने का स्रोत सब्ज़ी बेचकर ही चलता है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

घटना के बारे में जानकारी देते हुये फसाना के पिता प्यारे खां ने बताया कि वह फल बेचने का व्यवसाय करते हैं और घटना दिनांक 20 दिसम्बर 2012 का मंडी चुनाव होने के कारण वह उस दिन घर पर ही थे। फसाना घटना वाले दिन अपनी चचेरी बहन सेफी जिसकी उम्र 10 वर्ष है उसके साथ टिंकु यादव के खेत में चन्ने की भाजी तोड़ने गयी थी। दोनों बहिने अपने काम में मग्न थी कि तभी

दोपहर 3 बजे आरोपी नरेश यादव उम्र 25 वर्ष खेत में आ गया और उसने फसाना का हाथ पकड़ कर उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो फसाना की बहन सेफी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो नरेश ने उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। उसके बाद सेफी दौड़कर घर आई और उसने सभी घर वालों को घटना के बारे में बताया।

जब तक घर वाले फसाना को बचाने के लिये आते तब तक नरेश उसे खेत के पास की झाड़िया में ले गया और उसे पटक दिया। फसाना उस दिन सलवार सूट पहने थी। उसके बाद उसने फसाना का बलात्कार किया और यह कहा कि अगर घर में किसी को बताया तो उसे मार देगा और नरेष ने फसाना के हाथ–पैर बांधकर उसे सूखे कुयें में फेंककर भाग गया।

जब तक फसाना के घर वाले उसे बचाने के लिये पहुँचते तब तक नरेष ने उसे कुयें में फेंक चुका था और उनके ढूँढने तक वो कुयें में ही पड़ी रही। उनके आने के बाद फसाना के पापा एवं चाचा के द्वारा उसे कुयें से निकाला गया और उसे निकालते वक्त यह पता चला कि कुयें में फेंके जाने के कारण फसाना का एक पैर टूट गया चुका है।

उसके बाद फसाना को घर लाया गया जहाँ उसने माँ को बताया कि पड़ोस में रहने वाले नरेश यादव ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। जिसे वह पहले से नहीं जानती थी।

राज्य / सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

घटना की जानकारी परिवार में देने के बाद उसके पापा, चाचा, और माँ उसे थाना सेंधरी में एफ.आई. आर. दर्ज करवाने के लिए गये परन्तु पुलिस ने मना कर दिया गया। उसके बाद फसाना के परिवार के सदस्यों ने टीकमगढ़ एस.पी. को फोन लगाकर बात की और घटना की जानकारी दी तत्पश्चात् टी.आई. द्वारा रात 8.30 बजे फसाना की रिपोर्ट दर्ज़ की गयी। फसाना घटना के समय सलवार सूट पहने थी। इस दौरान 5 बजे तक फसाना थाना सेंधरी में दर्द एवं पीड़ा की हालत में तड़पती रही उसका ध्यान वहाँ किसी ने नहीं रखा।

इसके बाद फसाना को सेंधरी अस्पताल मेड़ीकल चेकअप के लिये ले जाया गया जहाँ उसकी मेडिकल जाँच की गई और उसमें रिपोर्ट में पता चला की उसके साथ बलात्कार हुआ है और फसाना के पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। जिसका ईलाज सेंधरी अस्पताल में नहीं हो सकता था इसलिये उसे झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया जहाँ फसाना को ईलाज़ दिया गया।

एफ.आई.आर. के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को जेल में भेज दिया गया परन्तु पुलिस की विवेचना में देरी होने के कारण अभी तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।

वारदात के बाद अत्याचार

आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके परिवार द्वारा फसाना के परिवार वालों को समझौते के लिये बार–बार दबाव डाला जा रहा है कि 50,000 रू. लेकर केस को रफा दफा कर दिया जाये।

d:l v/; ;u&9

¼ Nrjiqj e: 'kknh'kqnk d: lkFk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मीता पाल (परिवर्तित नाम), 26 वर्ष, जाति गड़रिया से है। उसका पति का नाम बारे पाल है। उसका पति मज़दूरी का काम करता है। मीता एवं उसका पति ग्राम कुटीया जिला छतरपुर से है। दम्पती एक संयुक्त परिवार में रहते हैं।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

घटना दिनांक 30/12/12 शाम 4.00 बजे जब मीता घर पर अकेली थी तो घर में हल्कू यादव और अजुद्दी यादव उसके घर पर आये थे और मुझसे पीने का पानी मांगा। जब वह पानी लेने अंदर गयी तो हल्कू और अजददी ने उसके गले में कट्टा (चाकू) रखकर उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसके साथ दुष्कृत्य किया। मीता घटना के दिन साडी पहने थी। दुष्कृत्य करते समय मीता ने अपने आप को बचाने की भी कोषिष की लेकिन आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और उसे पीटने लगा। जिसके बाद वह बेहोश हो गयी।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

उसके कुछ समय बाद जब मीता का पति मज़दूरी से घर आया तो उसने सारी घटना की विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद मीता का पति उसे बमीठा थाना लेकर गया जहां पुलिस द्वारा उसकी तुरंत एफ.आई.आर दर्ज़ किया गया और उसका मेडिकल भी करवाया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि की गयी।

पीड़िता पहले से ही आरोपियों को जानती थी क्योंकि वह उसी गावं के निवासी है। परन्तु आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के होने के कारण पीड़िता को आरोपियों से सघन व्यवहार नहीं था। आरोपी दबंग एवं गुंडे प्रवृत्ति के हैं।

एफ.आई.आर. के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी का चालान पेश कर दिया गया है।

d‚l v/;;u&10

¼Nrjiqj e¢ ukckfyd vkfnoklh cPph d¢ lkFk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मीषा(परिवर्तित नाम), उम्र 13 वर्षीय लड़की है। परिवार मोराहा गाव, जिला छतरपुर के रहने वाला है। मीषा 5 वीं कक्षा के बाद से पढ़ाई छोड़ दी है। उसके पिता का नाम राजाराम कुशवाहा है जो कृषि का व्यवसाय करते हैं। मीषा की एक ओर बहिन और एक भाई है उनमें से सबसे बड़ी मीषा है। मीषा का परिवार कृषि पर आश्रित है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

घटना दिनांक 23.12.12 को दोपहर 12 बजे मीषा सलवार सूट पहने अपने घर की 8–10 भैंसों को बूढ़ा बाग की तरफ चराने के लिये ले गयी थी, वहां से लौटते वक्त शाम 4 बजे सीताराम पटेल उम्र 45 वर्ष के द्वारा उससे पीने का पानी मांगा गया और पानी पीने के बाद उसका हाथ पकड़ कर उसे पास ही बने खेत में पटक कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे कहा कि किसी को इस घटना के बारे में बताना नहीं और अगर उसने बताया तो वह उसे मार देगा। अगले दिन आरोपी ने मीषा को उसी जगह मिलने को कहा और कहा के वो उसे गले में पहनने की जंजीर देगा और ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग गया।

घटना के बाद पीड़िता स्वयं अपने घर आई और बेहोश हो गयी। घर वालों के द्वारा उसे होश में लाया गया और उसके बाद उसने अपनी माँ को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गयी कि सीताराम पटेल ने मीषा के साथ दुष्कर्म किया था।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

घटना सुनने के बाद परिवार व गांव के सभी लोग लड़की को सिविल लाईन थाना छतरपुर लेकर गये जहां पुलिस ने बिना विलम्ब किये मीषा की बात सुनी और एफ.आई.आर. दर्ज कर मेडिकल के लिये भेजा दिया। वहां डॉक्टर द्वारा बलात्कार की पुष्टि की गयी। इसके उपरान्त पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की गयी और उसके मिलने के बाद उसे जेल भेजा गया। आरोपी के जेल जाने के बाद अरोपी के भाई के द्वारा पीड़िता के परिवार पर समझौते के लिये दबाव डाला जा रहा है। इसका चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

जिसके पीछे कहीं न कहीं उस गांव के सरपंच के पति का हाथ है जो कि बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का है और जमीन–जायदाद के मसले (हड़पने) के लिये वह उस परिवार को कमज़ोर करने के लिये उस परिवार की बेटियों के साथ दुष्कृत्य करवाता है और अपनी राजनीतिक ताकतों का प्रयोग करते हुये वह इन मामलों से बच निकलता है तथा आरोपियों को कुछ समय बाद ही वह जेल से रिहा करवा लेता है।

d:l v/; ;u&11

¼iUuk e: cPph d: lkFk cykRdkj½

पीड़िता की विस्तृत जानकारी

वर्षा (परिवर्तित नाम), 7 वर्षीय बच्ची, गांव ककरहटी, जिला–पन्ना में अपने माता रामकलो कुशवाह और पिता झल्लू कुशवाह और तीन बहिन और दो भाई के साथ रहती है। मेरे पिता सब्जी बेचने का काम करती है। वर्षा घर में दो बच्चों के बाद पैदा हुई है।

वारदात की विस्तृत जानकारी :–

घटना दिनांक 13.12.12 शाम 5.00 बजे वर्षा और उसकी माँ बगीचे में बैठाकर घर में कीष्ना करने गयी थी। वर्षा उस वक्त बगीचे में खेल रही थी कि तभी अनिस उम्र 21 वर्षीय एवं पिछड़ा वर्ग का युवक वर्षा का जबरदस्ती मुंह दबाकर उसे पास ही बने एक खाली झोपड़ी में ले गया जहां उसने उसके साथ दृष्कृत्य किया। इसके बाद में वर्षा वहीं बेहोश हो गयी। लगभग दो घण्टे बाद उसे होश आया तब वह खून से सनी हुई थी। वर्षा अपने आप ही घर पहुंची और माँ को पूरी घटना के बारे में बताया।

राज्य/सरकारी विभाग एवं समाज की प्रतिक्रिया–

जिसके बाद माँ वर्षा को उसी हालात में थाना ककरहटी में शिकायकत दर्ज़ करवाने ले गयी जहां पुलिस ने तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर आरोपी अनिस को ढूँढना शुरू कर दिया और वर्षा को मेडिकल जाँच के लिये पन्ना अस्पताल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट द्वारा बलात्कार की पुष्टि की गई।

इसके बाद बच्ची की माँ से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली गयी तो पता चला कि वर्षा के जननांगों में गंभीर चोटें आयी हैं जिसकी वजह से उसके जननांगों में टांके लगाये गये है और करीबन 15 दिनों से बच्ची अस्पताल में भर्ती है।

पुलिस के द्वारा आरोपी के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। (चालान प्रस्तुत हो गया है)

पुलिस द्वारा इस केस में तुरंत कार्यवाही करते हुये संवेदनशीलता के साथ बच्ची के माता–पिता का पूर्ण सहयोग किया।

dsl v/;;u&12

¼tehu dk l?k"kZ esa f'kf{kdk dk lkFk cykRdkj½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

मीना बाई(परिवर्तित नाम), 36 वर्षीय आदिवासी (अनुसुचित जनजाति) महिला है। मीना बाई हाटपिपल्या देवास जिले की रहने वाली है। मीनं बाई के परिवार में पति–पत्नि के अलावा दो बच्चे हैं।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी और कार्यवाही–</u>
देवास जिले के थाना हाटपिपल्या में दिनांक 18.7.2010 को उच्चतर माध्यमिक विधालय हाटपिपल्या की षिक्षिका अनुपा (परिवर्तित नाम में नगर पंचायत हाटपिपल्या में पदस्थ लेखापाल बाबुलाल नागर द्वारा रात्रि 9:30 से 10:00 बजे के करीब जब उनके पति किसी काम से बाहर गये थे उस समय घर मे घुस कर ज़ोर जबरजस्ती बलात्कार किया। पति के घर आने पर पिड़िता ने घटना के बारे मे बताया तब पति के साथ उसी रात्री को समय 11:30 बजे थाना हाटपिपल्या जाकर प्रथम सुचना रिर्पोट अपराध क्रमांक 275 / 2010 पर दर्ज़ करवाई गई। जिसमे आई.पी.सी. की धारा 376, 506, 452, एवं एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 (2) 5 दर्ज की गई। पुलिस द्वारा पिडित महिला का 20 घंटे बाद मेडिकल करवा गया था। आरोपि राजनेतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक रुप से दबंग है इस कारण षासन / प्रषासन आरोपी पर उचित कानूनी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।

<u>वारदात का कारण</u>
आरोपि बाबुलाल द्वारा पिडिता के मकान की रजिस्ट्री जालसाजी से अपने नाम करवा ली थी। पीडिता द्वारा आपत्ति लेने पर आरोपी द्वारा पिडीता व उसके पति के साथ मारपीट की गई थी। जिसकी प्रथम सुचना रिर्पोट थाना अजाक देवास में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(1)10 अंतगर्त दर्ज की गई थी। आरोपी द्वारा पिड़ीता एवं उसके पति पर उक्त रिर्पोट वापस लेने हेतु दबाव बना रहा था एवं बादमे देख लेने की धमकि देता था। इसी के चलते आरोपि ने दिनांकः–18 / 7 / 2010 की रात्रि को उक्त घटना को अंजाम दिया।

dsl v/;;u&13

¼nsokl esa Ldwy ifjlj esa cykRdkj ½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

अनु बाई(परिवर्तित नाम), 25 वर्षीय महिला है और गोड़ समाज की हैं। अनु बाई बछखाल देवास जिले में अपने परिवार के साथ रहती हैं और परिवार में दो बच्चे हैं। परिवार मज़दूरी करके घर चलाता है।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी और कार्यवाही–</u>
21 फरवरी 2011 को रात्रि 8:00 बजे के लगभग ललिता बाई, शासकिय स्कूल में हैण्डपम्प पर पानी भरने गईं थी। उसी समय आरोपी संजु ने पिछे से मुँह दबाकर ललिता बाई उठाकर ले गया और वहाँ जबरजस्ती उसके साथ बलात्कार किया। अनु बाई उस समय साडी पहने थी। उसने घटना की जानकारी घर जाकर पति को बताई और पति ने गुस्से में संजु के घर जाकर विरोध किया।
लेकिन घटना का विरोध करने पर आरोपी व उसके पिता ने डंडे व लात, घुसे से जान लेवा हमला कर अनु बाई और उसके पति को घायल कर दिया। ज़्यादा जख्मी होने के कारण व गॉव से नही निकाल देने के कारण 4 दिन बाद एफ.आई.आई. दर्ज़ करवाई गयी। केस न्यायलय में विचारधिन है। अभि निर्णय नहीं हुआ।

dsl v/;;u&14

¼bVkjlh esa o`)k ds lkFk csVs }kjk cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

शीला(परिवर्तित नाम), 65 वर्षीय वृद्धा, 2 शादी शुदा बेटियों और एक बेटे की माँ है। वो और उसका रेलवे से रिटायर्ड पति श्री लाल बसारे मेहरा गाँव जिला ईटारसी में 8–10 से रह रहे हैं। उनकी एक बेटी घर के पास ही रहती है और दूसरी ईटारसी के बाहर बिहाई गई है। बेटा हीरो उर्फ गेंदालाल को एक वृद्ध महिला के साथ बलात्कार के कारण आजीवन कारावास की सजा मिली थी। गेंदालाल की उम्र 40 वर्ष है।

वारदात की विस्तृत जानकारी और कार्यवाही–

15 दिसम्बर 2012 को हीरो 7 साल की सजा काट कर जेल से रिहा हो गया था। वो रहने के लिए ईटारसी अपने माता–पिता के पास वापिस आ गया क्योंकि उसके पास और कोई रहने का स्थान नहीं था। गेंदालाल को जेल से वापिस आये अभी तीन दिन ही हुए थे। पिता और बेटा घर पर ही रहते थे। 18 दिसम्बर 2012 को बेटे ने पिता को शराब पिला कर बेहोष कर दिया और अपनी माँ के साथ बलात्कार करने के बाद वहाँ से भाग गया। यह जानकारी आस–पास के घर में रहने वाले लोगों से बात करने पर पता चली थी।

टीम से बातचीत पर यह भी पता चला कि उनका बेटा हीरो उर्फ गेंदालाल की शादी हुई थी परन्तु शादी के चार महीने बाद ही उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। पड़ोस में रहने वालों ने यह भी बताया कि छोटीबाई 19 दिसम्बर 2012 को 2 बजे पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज़ करवा दी थी और घर पर पुलिस भी आई थी। शीला के हस्पताल जाने के बाद से दम्पति वापिस नहीं आयें हैं। घर भी उस दिन से बंद है और कोई वहाँ आता जाता नहीं है और बेटे को भी घटना के अगले दिन से किसी ने भी उसे नहीं देखा है।

टीम को पड़ोस में रहने वालों ने शीला की बड़ी बेटी जमनाबाई के घर का पता बताया और टीम के वहाँ पहुँचने पर उनकी बेटी से बात तो हुई परन्तु उसने किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं किया और बड़े ही बेरूखे ठंग से बात करी। शीला की बड़ी बेटी जमनाबाई ने टीम को सिधा पुलिस थाने जाने जाकर सारी बात करने को कहा और कहा कि वह नहीं जानती की उसकी माँ कहाँ है। पुलिस थाने में थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 371 में धारा 376 ⁄ 236 ⁄ 506 (आई.पी.सी.) के तहत मामला दर्ज कर लिया है किन्तु आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस थाने में यह भी पता चला कि शीला और पति अपने नाती के पास चले गये हैं। शीला की मेडिकल जाँच की गई है और दुष्कर्म की पुष्टि की गई है।

dsl v/;;u&15

¼dVuh ftys esa 'kknh ds ckn cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मधु(परिवर्तित नाम), 19 वर्षीय लड़की, अपनी मामा के यहाँ रहती थी। मधु के माता–पिता ने उसको मामा के घर पढ़ने के लिये भेजा था। मधु के परिवार में उसके दो छोटे भाई हैं और वो परिवार में सबसे बड़ी है। मामा (रामकिषोर) के घर के पास ही उसके चाचा बद्रीप्रसाद भी रहते हैं। परिवार पिछड़े परिवार से हैं और बहुत ही गरीब हैं। परिवार का मुख्य कार्य मज़दूरी करके घर चलाना है। मामा का भी अपना बड़ा परिवार है। उनके घर में मामी के अलावा उनके पाँच बच्चे हैं। मधु वहाँ पर अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

12 जून 2012 को मधु मध्यरात्रि में गाँव में रहने वाले सुरेन्द्र के साथ और उसके मित्र अरविंद के साथ अपने मामा का घर छोड़कर सुरेन्द्र के साथ शादी के लिए चली गई। सुरेन्द्र की उम्र 20 वर्ष है और मधु ओर वो एक दूसरे के एक साल से जानते थे। सुरेन्द्र, मधु को स्कूल से आते–जाते उससे मिला करता था। सुरेन्द्र के पिता गाँव के नामि लोगों में से हैं और मधु और उनका परिवार एक ही समाज के हैं परन्तु सुरेन्द्र के पिता के राजनैतिकों से अच्छे सम्बन्ध हैं।

12 जून 2012 को मधु के जाने के बाद उसका भाई जब सुबह 4 बजे लघुषंका के लिए उठा तब मधु को घर में न पाकर घर के सभी उसे ढूँढने लगे। अगले दिन की सुबह तक परिवार उसे ढूँढता रहा लेकिन किसी ने भी पुलिस में समाज के डर के कारण जाना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह मधु के चाचा को गाँव के एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग वैसे ही परेषान हो रहे हो, आपकी लड़की ठीक है और उसने उसे सुरेन्द के साथ जाते हुए देखा है।

इस बात से चाचा को भी लगा कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। काफी दिन तक मधु का परिवार उसका इन्तज़ार करता रहा और सोच रहा था कि दोनों के वापिस आने पर उनकी शादी कर देंगे। एक दिन सुरेन्द्र के परिवार से उनके चाचा भी शादी का प्रस्ताव लेकर उनके घर पर भी आये लेकिन परिवार ने मधु के वापिस आने पर विचार करने की बात कही।

24 जून 2012 को मधु के चाचा को मधु के सड़क के किनारे बैठकर रोने की खबर मिली और वो उसे घर लाये। मधु ने बताया कि सुरेन्द्र ने उससे शादी की और उसे एक कमरे में बन्द करके रखा। सुरेन्द्र ने उसकी मर्ज़ी के बिना मधु से शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। उसने वह वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाये और इस प्रकार उसके दोस्त अरविंद और मेकू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। सुरेन्द्र और उसके दोनों दोस्तों ने मधु के कई वीडियो बनाये और उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसके वीडियो नेट पर डाल देंगे। 12 दिन तक यही खेल चलता रहा और आरोपियों ने इस बीच अपने आप को बचाने के लिये काफी सबूत भी एकत्र कर लिये।

24 जून 2012 को मधु को बाहर घूमाने ले जाने के बहाने से आरोपी उसे गाड़ी के बिठाकर लेकर गाँव की तरफ लेकर चल दिये। वह लोग मधु को उसके घर के पास फेंक कर चले गये और बोले कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तो वो जानती है कि वो क्या कर सकते हैं।

राज्य/सरकारी विभाग एवं समाज की प्रतिक्रिया–

चाचा ने सारी बात सुनने के बाद सुरेन्द्र के पिता से जाकर सारी बात की लेकिन उसके पिता ने मधु की बात को झूठा बताया और धमकी भी दी कि वो कुछ नहीं कर पायेंगे। मधु के चाचा और मामा ने स्लीमनाबाद थाने में सुरेन्द्र, अरविंद, मेकु के खिलाफ 26.6.2012 को रिर्पोट दर्ज कराने गये किन्तु आरोपियों की उच्य राजनैतिक पकड़ के कारण पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की और इस बात पर मधु ने पुलिस थाने में जाकर कहा कि अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वो थाने में आत्मदाह कर लेगी। यह खबर सुनकर 19.07.2012 को सहारा–समय के पत्रकार द्वारा दबाव के चलते एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाद से मधु और उसके मामा और चाचा को लगातार जान से मारने की धमकियों मिलने लगी हैं।

स्लीमनाबाद के थाना प्रभारी रुप सिंह चौहान से जब इस केस के संदर्भ में चर्चा की तो उन्हानें बताया की हमारे उपर भी बहुत सारे दबाब होते हैं इसलिए पूरी जॉच पड़ताल के बाद ही रिर्पोट दर्ज करते हैं इसलिए इस केस में भी रिर्पोट दर्ज करने में समय लग गया। उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेन्द्र, अरविंद,मेंकु पर अपाराध क्रमांक 216/12 में धारा 376 (क)(छ)/ 344/506(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है और साथ ही आरोपियो को गिरफतार भी किया गया है किन्तु वर्तमान में तीनो आरोपी जमानत पर बाहर है।

वारदात के बाद अत्याचार–

वर्तमान में प्रीति, मामा के घर ही रह रही है क्योंकि उसके माता–पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और मामा–चाचा का केहना है कि इस बच्ची का क्या दोष है। आरोपियों को मधु की जिन्दगी जितनी खराब करनी थी वो हो गई पर ऐसा करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यही मांग मधु की भी है और वह यह भी चाहती है कि वो आगे अपने पैरों पर खड़ी हो और आगे पढ़े लेकिन आरोपियों के डर से उसे नहीं लगता वो स्लीमनाबाद में सुरक्षित है। किसी और जिले में जाकर वो काम तो कर सकती है परन्तु उसके परिजन इतना उसके लिये कर रहे हैं तो वो और बोझ नहीं बनना चाहती।

d:l v/;;u&16

¼cnry e: fodykx d: lkFk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मीरा(परिवर्तित नाम), 16 वर्षीय लड़की महावीर वार्ड, मुलताई, बैतूल जिले में अपने परिवार की रहने वाली है। मीरा का परिवार लोहार समाज से हैं और परिवार में सिर्फ माँ और भाई के कोई ओर नहीं है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

इस पूरे मामले में बातचीत के दौरान थाना प्रभारी मुलताई, चौधरी मदन मोहन ने बताया कि घटना 16 दिसम्बर 2012 की है। उस दिन मीरा रात में अपनी बहन के यहाँ जा रही थी तो उसे दो लड़कियों ने बुलाया ऐसा मीरा ने अपने बयान में कहा। चूँकि मीरा मानसिक रूप से समझने में कमज़ोर है तो उसने ज़्यादा सवाल न करते हुए उनके साथ चली गई। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम तनु बताया है। यह दोनों लड़कियाँ मीरा को संजू के घर ले गई, वहाँ पर मनीष और पप्पू पहले से मौजूद थे। वहाँ उन्होंने मीरा के साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण में पुलिस की तरफ से प्रक्रिया तो पूरी करी गई है परन्तु कुछ जगह पर संदेहास्पद नज़रों से देखा जा रहा है।

पुलिस द्वारा कहना है कि यह घटना विज्ञापनों के कारण बढ़ रही हैं तथा लोग अपने फायदे के लिए झुठी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं पर हमें अपनी ड्यूटी को पालन करते हुए केस दर्ज करना पडता है। हाँलाकि, उन्होने यह भी स्वीकार किया कि लोगों में जागरूकता के बढ़ने के कारण रिपोर्ट में ईज़ाफा हुआ है।

जब टीम लड़की के परिवार से मिलने पुँहचे तो देखा कि वे लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। हमने लडकी से बात करने की कोषिष की तो पता चला कि वह मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके पश्चात् हमने उसकी चाची से बात की तो पता चला कि 16 दिसम्बर 2012 की रात को मीरा को दो लड़कियाँ कहीं लेकर गईं। चाची ने बताया कि मीरा हमेषा शाम को अपनी बहिन जो की पास ही रहती है। काफी देर तक घर नहीं आने पर सबने सोचा कि मीरा अपनी बहिन के यहाँ गई होगी। लेकिन पता करने पर जब खबर नहीं मिली तो सब परेषान हो गये। काफी रात होने पर मीरा की ताई जी को मीरा अपनी बहिन के घर जाते हुए रस्ते में मिली। जब मीरा को घर लाया गया तो उसके बड़े भाई ने उसे मारा और घर से देर तक बाहर रहने के लिए डांटा। बाद में जब चाची और बाकी परिवार की महिलायों ने पूछा तो मीरा ने बताया कि मैं अपनी बहिन के घर जा रही थी तब दो लड़कियों ने उसे बुलाया ओर किसी जगहा ले कर गईं और मेरे साथ वहा गलत किया काम हुआ।

राज्य/सरकारी विभाग एवं समाज की प्रतिक्रिया–

इस पर परिवार वालों ने उस जगह पहुँचे। जब आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह जगह संजू की है और वहाँ इस तरह की गलत गतिविधियाँ होती रहती हैं परन्तु गुंडा प्रर्वती होने के कारण हम कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद मीरा के बयान के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ के दर्ज किया है। हाँलाकि चौथी लड़की की तलाष पुलिस को है। पुलिस ने तनू, संजू, मनीष और पप्पू को

गिरफतार किया है और एफ.आई.आर. अपराध क्रमांक 755/12 है और धारायें 450/376 (2)(जी) दर्ज की गईं हैं।

d:l v/;;u&17

¼nfr;k e: ncxk: d: }kjk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

दिषा (परिवर्तित नाम), 25 वर्ष, पति हरी खंगार मजदूरी करते हैं। दिषा के दो छोटे बच्चे हैं। दिषा के सास, ससुर और जेठ, जेठानी इसी लिघौंरा गांव जिला दतिया में ही रहते हैं पर सब परिवार अलग अलग रहता है। दिषा लिघौरा गांव में ही किराने की दुकान चलाती है और अपने पति व दो बच्चों के साथ रहती है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

22 दिसम्बर 2012 दिषा अपने घर में किराने की दुकान संचालित करती है। गांव के तीन लड़के लालजी, बबलू और दाउ दिषा की दुकान में आये उस समय दोपहर का समय था। बबलू ने दिषा से बीड़ी उधार पर मांगी, दिषा ने बबलू से कहा कि नकद पैसा दो तभी बीड़ी दूंगी। यह सुन कर लालजी ने दिषा की दुकान के अंदर घुसकर उसे धक्का दिया और कहा कि तू हम गुर्जरो को बीड़ी देने से मना करती है। इस पर दाउ भी दिषा के घर के अंदर घुस गया और लालजी ने उसे पलंग पर फेका और उसके साथ बलात्कार किया उसके बाद बबलू और दाउ ने भी दिषा के साथ दुष्कृत्य किया।

वारदात के बाद अत्याचार–

जब दिषा का पति शाम को घर आया दिषा ने अपने पति को यह बात बतायी। जब दिषा और दिषा का पति दोनो दतिया पुलिस अजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गये परंतु पुलिस वालो द्वारा उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

जब दोनो पति–पत्नि दोबारा गांव पहुंचे तो लालजी और उसके साथियों ने दिषा के पति को एक पेड़ में बांधा और उसकी बहुत पिटायी की और कहा कि तू हमारी रिपोर्ट दर्ज करवायेगा। इसके बाद आरोपीगण दिनांक 27.12.12 को पुलिस थाना जाकर दिषा के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा आये कि दिषा का पति शराब पीकर हंगामा कर रहा है। इसके दूसरे दिन दिनांक 28.12.2012 को दिषा अपने पति के साथ अजाक थाने दतिया पहुंची और बलात्कार और अपने पति की पिटाई की एफ.आई. आर दर्ज करवायी। इसके बाद पुसिल द्वारा दोनो को अस्पताल भेजा गया था। दोनो पति पत्नि और उनके दो छोटे बच्चों के साथ दिषा और उसका पति अस्पताल में भर्ती थे।

राज्य/सरकार विभाग की प्रतिक्रिया–

vtkd Fkkuk nfr;k ifyl }kjk crk;k x;k fd fn'kk ,d cnpyu efgyk g vkj mld lc/k cgr ykxk l gA mldk ifr cgr 'kjkc ihrk gA ,l-lh- gkus d dkj.k ;g ykx cykRdkj dk ekeyk ntZ djokr g rkfd bu ykxk dk :i;k fey ldA ifyl dk dguk g fd fn'kk d ekey e bl efgyk dk cykRdkj ugh gvk g bld ifr d lkFk ekjihV dh x;h Fkh blfy; ;g cykRdkj dk ekeyk ntZ djok jgh g vkj nkigj e D;k dkb cykRdkj djxkA ;g >Bk ekeyk gA

अभी दिल्ली रेप का मामला बहुत गरमाया है इसके चलते हम लोगो ने यह दिषा का एफ.आई.आर कर धारा 376/450/341/323/34 आई.पी.सी. 3(2) (5) एस.सी. एस.टी. एक्ट का मामला दर्ज किया है। आजकल बहुत सारे आयोग बन गये हैं जिसके कारण पुलिस पर भी कार्यवाही हो जाती है इसलिये आजकल पुलिस रिक्स नहीं उठाती है।

गुर्जरो के डर से दिषा का परिवार दिषा का सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिषा के परिवार ने बताया कि वह लोग अस्पताल में भर्ती है पर हम उन लोगो से मिलने नहीं गये हैं।

जब टीम अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में महिला वार्ड और पुरूष वार्ड में दोनो देखे पर दिषा और उसका पति अस्पताल में नहीं थे। रिकार्ड रूम में रिकार्ड चैक करवाया पर उन दोनो का कोई रिकार्ड अस्पताल में मौजूद नहीं थी। लोगो और अस्पताल कर्मचारियों से घटना की बात की तो सभी ने बताया कि लिघौंरा गांव की दिषा आयी तो थी। उसके साथ इस तरह की घटना हुई थी परंतु अब वह लोग न तो अस्पताल में है और न ही गांव में है। आज दिषा का परिवार कहां है इसकी जानकारी न तो परिवार वालो को न गांव वालो को..

dsl v/;;u&18

¼Nrjiqj esa ukckfyd ds lkFk lkewfgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

राधा (परिवर्तित नाम), 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची है नवीं कक्षा में पढ़ती है। पिता धर्मदास अहिरवार किसानी करते हैं और मां शांति अहिरवार घर पर रहती है। राधा घर की बड़ी लड़की है इससे छोटे एक भाई और एक बहन और है। राधा का परिवार छतरपुर जिले के मोराहा गांव में रहते हैं राधा का घर अपने ही खेतों के बीच में बना हुआ है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

27 अगस्त 2011 की शाम करीबन 7 बजे राधा शौच के लिये तारबारी के पीछे जा रही थी। उसी समय संजय श्रीवास्तव के कुआं खेत में रहने वाला संदीप सिंह ठाकुर उम्र 40 वर्ष उसके साथ दो अन्य लड़के जिन्हे मैं नहीं जानती थी, पीछे से आये।

संदीप सिंह अपने साथियों को बोला कि इस लड़की को पकड़ो कितनी अच्छी है यह रंजीत की बहिन है तथा तीनों ने उसे पकड़ लिया, वो चिल्लाई तो उसका मुंह तौलिये से बन्द कर दिया तथा तौलिया से उसकी आंखे भी बंद कर दी तथा उसे अपने घर उठाकर ले गये तथा घर ले जाकर बोले कि तुझे जान से मार डालेंगे तथा जबरन राधा को कोई चीज खिला दी। कीष्ना को हल्की हल्की बेहोश सी होने लगी। जबरन तखत पर लिटाकर संदीप सिंह ठाकुर तथा अन्य दो लोग जिन्हें वह नहीं जानती थी उसके साथ करीबन 2–3 घण्टे तक बुरा काम (बलात्कार) करते रहे। वह उसी अवस्था में पड़ी हुई थी जब उसे अच्छे से होश आया तो संदीप सिंह की मां ने मुझे कहा कि तुम दूध पी लो और पर राधा ने मना कर दिया गया। राधा ने इधर उधर देखा तो संदीप सिंह और उसके दो साथी उस कमरे में नहीं थे। सिर्फ उसकी मां थी। उसकी मां ने राधा तखत पर लिटा दिया और खुद मच्छरदानी वाली खटिया पर लेट गयी।

जब संदीप सिंह की मां की थोड़ी आंख लगी तो राधा कून्डी खोलकर उसके घर से भाग पाई लेकिन आरोपी की मां ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिये उसके पीछे भागी। राधा बाहर भागते हुए चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ। थोड़ी दूर खेत के बाहर चिल्लाती हुई वह भाग रही थी कि तभी गांव के ही एक परिवार जिन्हें वह अनिल के चाचा चाची कहती है उन्होने उसे देखा और देखते ही कहा कि ये रंजीत की बहिन राधा है। उन्होंने उसके पिता तथा मौसी के लड़के राजाराम अनिल के घर पहुंचे और उसे तुरंत घर ले गये। यह सारी घटना उसने अपने माता–पिता दोनों को बतायी।

राज्य/सरकार विभाग की प्रतिक्रिया–

दिनांक 28 अगस्त 2011 प्रातः करीबन 4 बजे राधा को लेकर उसके पिता धरमदास और मौसी का बेटा पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे परंतु सिविल लाईन पुलिस थाना छतरपुर द्वारा इनकी रिपोर्ट दर्ज

करने से मना कर दिया गया। पुलिस द्वारा राधा के पिता धरमदास को पुलिस थाने से डांटकर भगा दिया और कहा कि घर चला जा नहीं तो तुम्हे किसी और केस में फंसा दिया जायेगा। उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। इसके बाद के पिता रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कोशिश करते रहे परंतु गांव के सरपंच और आरोपीगण की दबंगाई द्वारा पुलिस राधा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे।

इसके बाद डी.आई.जी. महोदय छतरपुर को आवेदन दिया तब राधा की एफ.आई.आर दिनांक 31.08. 2011 को दर्ज की गई। राधा के कपड़े पुलिस को दिये गये। जांच हुई और फिर आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया अभी केस कोर्ट में चल रहा है आरोपीगण को जमानत हो गयी है।

ds I LVMh&19

¼cry ftys e s ukckfyd ds I kFk n"de½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–</u>

कमल(परिवर्तित नाम), 16 वर्षीय लड़की, पलसिया ग्राम, बैतूल जिले में अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार में माँ के अलावा और कोई नहीं है। गॉव में उसके मामा भी रहते हैं लेकिन मामा का घर कमल के घर से कुछ दूरी पर है। परिवार पिछड़े समाज से है।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी एवं कार्यवाही–</u>

थाना प्रभारी झल्लार, कु0 अर्चना सिंह द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.12.2012 को कमल मालवीय की माता श्रीमती कुसमा आर्य के भाई द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पलसिया गॉव के भीम मालवीय पिता ब्रहमदत मालवीय ने कमल का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कारित किया। इस पूरे प्रकरण में मीडिया इसे गैंगरेप का प्रकरण बताया गया जिसमें लड़की के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद उसे मार कर कुंए में फेंक दिया गया। जब पुलिस से पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करी तो पूरी बात सामने आई। थाना प्रभारी के अनुसार कमल और भीम के बीच प्रेम संबंध थे। परन्तु उसके (किरन) मामा को यह संबंध नागवारा था। कमल और भीम शादी करना चाहते थे परंतु कमल के मामा को यह शादी मंजूर नहीं थी। इस पर कमल और भीम गॉव छोडकर भाग गये। परंतु किन के मामा ने उसको ढूढ निकाला और उसको अपने पास ले आए। इसी दौरान कमल ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने मामा के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उस पर केस दायर किया। पुलिस का कहना है कि कमल के मामा ने उसे और उसकी माँ को धमकाया और जान से मारने की बात भी कही जिसके चलते कमल की मौत हुई। लड़की की आत्महत्या का कारण उसके मामा द्वारा किये गये मानसिक प्रताड़ना होना बताया गया। जब कमल की मृत्यु के बारे में और विस्तार में बातचीत की गई तो पता चला की भीम के परिवार और कमल के मामा के बीच पुरानी रंजिश थी जिसके चलते उसके मामा को शादी का संबंध मंजूर नही थे। कमल के पिता की मृत्यु हो चुकी है और कमल की माता को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। भीम के परिवार को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कमल और भीम गांव छोड़कर भाग गये। कमल और भीम की इस हरकत पर कमल के मामा के अहंकार को ठेस पहुंची। कमल के मामा ने कमल को ढूढकर अपने पास ही रख लिया एवं उसे मानसिक प्रताड़ना देने लगा। और उसे भीम के प्रकरण में गवाही देने से पहले ही मार दिया।

<u>वारदात के बाद अत्याचार–</u>

जब कमल के परिवार से बात करने हम पलसिया गॉव पहुंचे तो पता लगा कि कमल की माँ अपने भाई के द्वारा दी गई धमकी की वजह से गॉव में कम ही रूकती है। फिर हम जब भीम के परिवार से मिलने पहूंचे तो वहां भीम की माँ सुंदर बाई से बात करने के बाद पुलिस की बात सत्य लगने लगी। भीम की मां ने भी कमल और भीम के बीच प्रेम संबंध होने व शादी करने की इच्छा की बात स्वीकारी। भीम की मां ने यह भी बताया कि कमल भीम से शादी करना चाहती थी और यह बात उससे अपने मामा को

कही कि यदि वह भीम से शादी नहीं करेगी तो किसी से भी नहीं करेगी। इस बात कमल के मामा और मामी ने उसको प्रताड़ित करना शुरू करा और जब कमल अपनी बात पर अड़ी रही तो उसे मारकर कहीं फेंक दिया। जब लोगो को बात मालूम पड़ी तो उसकी लाश को उठाकर कुंए में फेंक दिया। यह बात इससे सिद्ध होती हे कि जब कमल को कुंए से निकाला गया तो उसके पेट पर घाव थे। केस कोर्ट में है और दोनो पक्ष जेल में है। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए समझ में आता है कि इस मामले में बलात्कार का मामला ना होते हुए अहंकार का मुद्दा बडत्रा है। आज के समाज में आजादी व स्वतंत्रता के मायने को समझना जरूरी है तथा रिश्तों की मर्यादा को सम्मान देना जरूरी है। यह भी देखना जरूरी है कि अपने अहंकार के लिये लोग अपने रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं।

पुलिस ने इस मामले को अपराध क्र0 – 125/12 धारा 363/366/376 आरोपी भीम पर लगाई गई है।

d:l v/;;u&20

¼cry e: nfyr d: lkFk ifyl Fkku: e: cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

बैतूल जिले के जम्बाड़ा गांव की संतोष(परिवर्तित नाम), की उम्र 48 वर्ष है। संतोष व उसके पति के अलावा परिवार में बेटा और बहु हैं। संतोष का परिवार दलित समाज से हैं और बहुत गरीब हैं। परिवार का मुख्य आमदनी का साधन मज़दूरी है।

ग्राम जम्बाड़ा जो कि जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा गांव है एवं यहा पर दबंग जातियों का वर्चस्व है।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

बहु द्वारा दहेज प्रताडना के एक मामले में पिडीता संतोष पति सुमरन, बेटे कैलाष व जगदीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार 2 जून, 2009 को मुलताई न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आमला पुलिस द्वारा संतोष को बेतूल जेल ले जाने के बजाय आमला थाने लाया गया यहा पर टी.आई. अनील सिंग ठाकुर व हेड कांस्टेबल नन्दकिषोर मिश्रा ने जानकीबाइ से 10 हजार रू. देने को कहा। जानकीबाइ ने पैसे देने से ईनकार किया तो उसे डराया–धमकाया व रात्री के करीब 1 बजे के बाद आमला थाना के कमरे मे टी.आई. अनील सिंग ठाकुर, हेड कांस्टेबल नन्दकिषोर मिश्रा व दो अन्य पुलिस जवान ने षराब के नषे में धुत होकर सामूहिक बलात्कार किया।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

संतोष ने पुलिस कार्यवाही टीम को अपने शब्दों में बताते हुए कहा कि बलात्कारियों ने उसे धमकी दी कि तेरे पति और तुझे जेल में सडा देगे साथ ही कहा कि तु 10 हजार रू. दे देती तो तेरी ऐसी दुरदषा नहीं करते। दुसरे दिन दिनांक 3 जून 2009 बुधवार दोपहर को मुझे नागपुर–आगरा पैसेंजर ट्रेन से बेतुल जेल लाया गया। मेरी षारीरीक और मानस्कि स्थिति खराब थी मुझे चलने में दिक्कत आ रही थी मेरे पूरे षरीर में दर्द हो रहा था। षाम को बेतूल जेल में महिला पुलिस को मैने दर्द की गोली लाने को कहा। महिला पुलिस ने मुझसे मेरी तकलीफ के बारे मे पुछा तो मैंने आमला थाने में मेरे साथ टी.आई., हेड कान्सटेबल मिश्रा एवं दो अन्य पुलिसकर्मीयों द्वारा किये गये बलात्कार की पुरी घटना को मैंने महिला पुलिस को बताया तब महिला पुलिस ने मुझे जेलर साहब एम.एस. बेग के सम्मुख पेश किया। जेलर साहब ने मुझसे पुरी घटना की जानकारी ली जिसमें मैंने उन्हे आमला थाने में मेरे साथ हुए सामुहिक बलात्कार की घटना से उन्हे अवगत किया। जेलर साहब ने मेरे साथ हुए अत्याचार की सुचना अन्य उच्च पुलिस अधिकारीयों को बताई जहां एडिषनल एस.पी. डी.एस. भदौरिया और एस.डी.ओ.पी. सीमा अलावा ने जेल पहुचकर मेरे बयान लिये एवं जेल में ही मेरा मेडिकल करया गया।

वारदात के बाद अत्याचार–

जाँच द्वारा दुष्कार्म की पुष्टि की गई अथवा सभी आरोपियों को निलंबित किया गया। उनके खिलाफ आजतक मामले में अदालत का फैसला नहीं आया है और पीड़िता के परिवार पर आरोपियों द्वारा समझौता करने दबाव है। संतोष ने यह भी बताया कि घटना के बाद से वह पुलिस व थाने से डर ही लगता है पर फिर भी वो चाहती है कि उसके साथ कानून इंसाफ करे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।

dsl v/;;u&21

¼flgkjk esa nfyr ds lkFk lkewfgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

रेवती(परिवर्तित नाम), शादीषुदा हैं और अपने पति के साथ ग्राम बरखेड़ी जिला सिहोरा में रहती है। रेवती की उम्र 20 वर्ष है और परिवार दलित समाज से हैं और बहुत गरीब हैं। परिवार का मुख्य आमदनी का साधन मज़दूरी है।

वारदात की विस्तृत जानकारी :–

रेवती ने बताया कि दिनांक 1 मई 2009 षुक्रवार को उसका पति उसके मायके कांकरीया कुछ काम से गये थे व उसके सास उनके भाई के घर मिलने गई थी। रेवती घर में अकेली थी। तभी रात्री को जब में वो घर में सो रही थी। करीब 12 बजे के लगभग दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। उसने सोचा कि उसके पति आ गऐ है और उसने दरवाजा खोल दिया था। लेकिन उसने देखा की गांव के ही कोमल के पिता रमेष उम्र 20 वर्ष जाति बलाई, संतोष पिता गंगाराम विष्णु उम्र 22 वर्ष जाति बलाई, जितेन्द्र पिता रामकिषन उम्र 28 वर्ष जाति कलोता ने दरवाजा खोलते ही उसका मुहँ बन्द कर दिया और उसको पकड लिया। इससे पहले की वो चिल्ला–चोट कर पाती उन्होने उसके मुह पर कपड़ा बांध दिया और गले पर चाकु रखकर कहने लगे कि अगर उसने उसके कहे अनुसार नहीं किया या चिल्ला–चोट की तो जान से खत्म कर देंगें। तीनों ने बारी–बारी से बालात्कार किया। इसके बाद उन्होने उसे धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो या रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे उसे और उसके परिवार को भी। इसके बाद वो लोग भाग गऐ उनके जाने के बाद उसने अपनी आपबीती जेठ व जेठानी जो को बताई।

राज्य/सरकारी विभाग एवं समाज की प्रतिक्रिया–

रेवती का पति भी सुबह 4:30 बजे तक आ गऐ थे। सुबह इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए थाने जा रहे थे तो अपराधियों के परिवार वालो ने उन्हें रोका और रिपोर्ट नहीं करने को कहा व धमकी देकर दबाव बनाया कि अगर रिपोर्ट की तो गांव से भगा देगे, घर में आग लगा देगे, जान से मार देगे। उस दिन वह लोगो के डर के मारे वापस घर आ गऐ।

अपराधियों और उनके परिवार के लोगो द्वारा उनकी निगरानी की ताकि वह रिपोर्ट लिखवाने थाने ना जा सके। एक दिन मौका पाकर परिवार दिनांक 8 मई 2009 को गांव से निकलकर जंगल के रास्ते से सिहोर अनुसुचित जाति/जन जाति थाना में गऐ तो यहाँ पर घटी घटना की जानकारी थाने पर दी। लेकिन थाने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और पुलिस ने धमकाते हुए कहा कि हम पहले छानबीन करेगें और वहाँ से डराकर भगा दिया।

इसके बाद उसके जेठ अमृत लाल ने एस.पी. साहब से मिलने को कहा व एक आवेदन बनाकर एस.पी. साहब को दिया। उनसे मिलकर घटना की जानकारी दी। उसके बाद एस.पी. साहब ने कहा कि हम आप लोगो की रिपोर्ट दर्ज कर लेगे पर फिर भी नहीं की गई।

अपराधियों और उनके परिवार वालों को जब यह बात पता चली कि वह थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गऐ थे तो उन्होने उनके घर पर लगभग 25 से 30 लोगो के साथ मिलकर हाथ में हथियार लेकर गाली–गलोच करते हुए कहा कि अब अगर रिपोर्ट करवाने गऐ तो जिन्दा नहीं छोडेंगें। और दबाव

बनाते हुए कहा कि 5 हजार रूपये लेकर समझोता कर लो व धमकीया देने लगे। रेवती के जेठ अमृतलाल ने इस घटना की सुचना फोन पर एस.पी. साहब को दी तो उन्होने उन्हे टी.आई. साहब से बात करने को कहा। टी.आई. साहब को फोन पर घटना बताई तब 2 पुलिस वाले उनके घर पर आये और अमृतलाल को डॉंटने लगे। उन्हे गाडी पर बैठाकर गोपालपुर थाने पर लाये और रमवती के जेठ से लिखवाया की (मैं झगड़ा नही करूगा और मेरे केस की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।) परन्तु नहीं लिखी गई।पुलिस द्वारा 26 दिनो के बाद पिडीतो से एफ.आई.आर. ली गई। एफ.आई.आर. होने के 34 दिन बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और मामला अभी विचाराधिन है।

ds l LVMh&22

¼gjnk ftys es ukckfyd ds lkFk n"de½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

जिला हरदा में छीपाबड़ तहसील के गाँव डेडगॉव में तारा(परिवर्तित नाम), 15 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में दादी,पिता और दो छोटे भाई हैं। परिवार पिछड़े समाज से हैं और जाति कोरकू से है। परिवार में पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं और काम के सिलसिले में रात को बाहर जाते हैं।

वारदात की विस्तृत जानकारी –

15 जून 2011 को तारा के पिता काम से बाहर गये थे। तारा उस दिन सलवार सूट पहने थी और घर पर थी। रात को गांव के राकेश गुर्जर ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ति कर दुष्कर्म करके जा रहा था और उसे जाते हुए तारा की दादी ने देख लिया। आवाज़ देते ही वो भाग गया। तारा से उसकी दादी ने उससे बात की तो पता चला कि राकेष काफी बार इस प्रकार से उसके साथ सम्बन्ध बना चुका था और धमकी के डर से तारा ने किसी को कुछ नहीं बताया था। पर जब तक बात बाहर आई तब तक तारा गर्भवती थी।

तारा उसे पहले नहीं जानती थी लेकिन वह गांव में ही रहता है उसे यह ज्ञात था। तारा ने बताया एक दिन पिता की गैर–हाज़री में राकेष घर में पता नहीं कैसे आगया और तारा का मुँह बंद करके उसके साथ बलात्कार किया और उसे किसी को कुछ बताने से मना किया कि अगर बताया तो वो उसे जला देगा। तारा नाबालिग थी और उसे नहीं समझ थी कि उसके साथ क्या किया जा रहा है लेकिन पड़ोस की महिलाओं द्वारा सहायता मिलने से अथवा अम्बेडकर विचार मंच द्वारा सहयोग से उसे हिम्मत मिली।

राज्य/सरकारी विभाग एवं समाज की प्रतिक्रिया–

पिता ने पास के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन पुलिस से ज्यादा कोई सहयोग नहीं मिल पाया। मामला अदालत में चल रहा है। आरोपी राकेश को कुछ समय हिरासत में भी रखा गया परंतु दबंग परिवार के होने से उसे जमानत मिल गई।

तारा ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है लेकिन उससे बात करने पर पता चला कि उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। परंतु अपने पिता और आस पास रहने वाली महिलओं एवं संस्था द्वारा सहयोग प्राप्त किये जाने पर इस मुश्किल घड़ी में जीवित है। अन्यथा समाज का हर कोई व्यक्ति उसे अपेक्षा से ही देखता है और मजाक बनाता है।

आरोपी द्वारा तारा व तारा के पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तारा द्वारा बच्ची को जन्म देने के पश्चात और भी धमकियां दी गई है। बच्ची पूर्व जन्मी होने के कारण कमजोर है और तारा भी छोटी उम्र में मां बनने के कारण बहुत कमजोर है। तारा चाहती है कि उसकी बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम पर आरोपी का नाम दिया जाये लेकिन राकेश उसके किये की सजा भी जरूर दी जाये।

d:l v/;;u&23

¼nokl e: nfyr dk ckgE.k }kjk cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मीली 30(परिवर्तित नाम), वर्षीय दलित परिवार से है। देवास में जे.सी. नगर में अपने पति व तीन लड़कों के साथ रहती है। परिवार की मुख्य आमदनी का स्रोत मजदूरी है।

वारदात की विस्तृत जानकारी– जीवन सिंह 25 वर्षीय का घर, मीली के घर के पास ही है। उसका दूध बेचने का व्यापार करता है। वह अपने घर के आगे कच्चरा जलाया करता था। जिसका गंद मीली के घर में आता था। एक दिन इसी बात पर बहस हो गई और आपस में कुछ कहा सुनी भी हो गई।

09/05/2011 को मीली का पति काम से बाहर गया हुआ थे। रात के 3:15 बजे पर जीवन ने मीली के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करके उसे जान से मारने की धमक देकर भाग गया। रात को ही मीली ने बावड़िया थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाना सही समझा लेकिन थाने में कोई नहीं था जो रिपोर्ट लिख सके और उपस्थित थानेदार ने मीली को सुबह आने को कहा। सुबह पति के आने पर दोनों ने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मामला भी दर्ज हो गया है और अदालत में अभी कार्यवाही चल रही है।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

अभी तक मामले में कोई निष्कर्ष नहीं आया है। परिवार पर हर तरफ से दबाव है। मीली के पति के साथ काई बार मारपीट भी हो चुकी है और समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है। परिवार जे.सी. नगर छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन अदालत में मामले की कार्यवाही के चलते नहीं जा पा रहा है। परिवार को खतरा है कि कहीं उन पर जान लेवा हमला न हो जाये। जहाँ वो रह रहे हैं उस जमीन को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। जिससे परिवार बहुत मुश्किल में आने वाला है और इसी कारण से परिवार देवास छोड़कर जाना चाहते हैं।

d:l v/;;u & 24

¼vyhjkt i:j e: f'k{kd }kjk cykRdkj ,o: gR;k½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

वीना(परिवर्तित नाम), 10 वर्षीय बच्ची थी। वीना अपने परिवार के साथ सौहाला जिला अलिराजपुर की रहने वाली थी। परिवार आदिवासी जन जाति से है। वीना के पिता फौज में हैं। वीना के घर में उसके माता–पिता के अलावा उक भाई और बहिन है। वीना सबसे बड़ी है।

वारदात की विस्तृत जानकारी –

27 जून 2012 को 10 वर्षीय बच्ची राहुल शर्मा के कौचिंग सेन्टर पर एक बंद कमरे में मृत पाई गयी। वीना, राहुल शर्मा के यहॉ कोचिंग के लिए जाया करती थी। एक दिन वीना ओर दो लड़कियों को राहुल शर्मा ने सफाई के बहाने बुलाया था और कुछ कमरों में सफाई करवाने के बाद दो लड़कियों घर जाने को कह दिया। वीना को वहीं रूकने को कहा। दोनों लड़कियों के जाने के बाद राहुल ने वीना के साथ दुष्कृत्य किया और उसे मार दिया। उसने गला घोंटकर उसे मार दिया और वहीं कमरे में बंद करके भाग गया।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

वीना की माँ को पता था कि वीना राहुल के यहाँ गई थी परन्तु काफी देर तक ना आने के कारण वो उसे ढूँढने की लगी। उसकी माँ ने उसके साथ गई दो ओर लड़कियों से भी पुछा के वीना कहाँ हैं। उन दोनों से बात करने के बाद उसकी माँ ओर उसके घर वाले उसे ढूँढने सेन्टर पर गये और एक कमरे के बाहर बच्ची की चप्पलें मिली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खोलने पर वीना कमरे में मृत पाई गई। राहुल शर्मा, वीना के साथ बलात्कार करने के बाद उसे मार कर, कमरा बंद करके भाग गया। वीना की माँ और उसके परिजनों ने उसी दिन वीना की मृत्यु की पुलिस थाने सौंडवा में रिपोर्ट करवा दी लेकिन आजतक राहुल फरार है।

अभी तक मामले में कोई गिरफतारी नहीं की गई है और मामले भी इन्दौर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता के परिवार से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया है। खेडुत मज़दूर चेतना संग द्वारा इस पूरे मामले में परिवार का सहयोग किया है और जन–आंदोलन के द्वारा पूरी कोषिष भी कर रही है कि वीना और उसके परिवार को इन्साफ मिले और फरार अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाये।

dl v/;;u&25

¼Xokfy;j e ukokfyx d lkFk lkefgd cykRdkj d ckn vkRenkg½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

मीतु (परिवर्तित नाम), 14 वर्षीय बच्ची है और नवीं कक्षा में पढ़ती है। पिता पूर्ण जाटव पी.डब्लु.डी. में काम करते हैं और माँ अनीता जाटव घर पर रहती हैं। मीतु की तीन छोटी बहिने और दो भाई हैं। मीतु का परिवार ग्वालियर जिले के बंधोली गाँव में रहते हैं। मीतु के परिजन उनके घर के समीप ही रहते हैं।

वारदात की विस्तृत जानकारी–

9 अक्टूबर 2012 की शाम को 7 बजे मीतु शौच के लिए जंगल गई थी परन्तु बहुत देर होने का कारण अनीता जाटव ने अपनी बेटी को आसपास ढूँढना शुरू कर दिया। बच्ची फिर भी मिल नहीं पाई और माता–पिता ने समाज के डर से पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझा और सुबह का इन्तज़ार करने लगे। सुबह होते ही मीतु का भाई उसे ढूँढने के लिए जंगल में गया। वहाँ जंगल में मंदिर के पास उसे अपनी बहिन बैठे हुए मिली और वो रो रही थी। भाई ने उसे घर चलने को कहा परन्तु मीतु ने घर चलने से मना कर दिया और रोने लगी। भाई ने किसी तरह से उसे समझा कर घर लेकर आया और घर पहुँचकर उसने रात की सारी घटना अपनी माता को बताई।

मीतु ने बताया के गाँव में रहने वाला मनीष उसे शौच के समय जाते हुए रास्ते में मिला था। मनीष, ओमकार और टिल्लू को पहले से मीतु जानती थी। ओमकार राजस्थान से हाल ही में लौटा था और मीतु के घर के सामने वाले घर में रहता है। ओमकार के चाचा का बेटा मनीष है। मनीष की उम्र 20 वर्ष का है और बाकि ओमकार और टिल्लू दोनों नाबालिक हैं। मीतु ने अपनी माँ को बताया के रात को मनीष उसे जंगल में लेकर गया था और उसने वहाँ फोन करके टिल्लू को बुलाया था। टिल्लू अकेले आने की जगह ओमकार को भी अपने साथ लेकर जंगल पहुँच गया। ओमकार ने मनीष और टिल्लू को मीतु छोड़ने का बोला था परन्तु वह नहीं माने और ओमकार वहाँ से चला गया। वहाँ जंगल में अब सिर्फ मनीष और टिल्लू ही थे और उन्होंने मीतु के साथ दुष्कृत्य किया और सुबह उसे वहीं जंगल में छोड़कर भाग गये। यही कारण था के वो घर आने से डर रही थी परन्तु भाई के समझाने पर वो हिम्मत करके घर आ गई।

माँ ने उस दिन (10 अक्टूबर 2012) को पिता को सब बात बताई परन्तु अपनी ओर बच्चियों एवं समाज के डर से पुलिस में कोई खबर नहीं दी। माँ ने बताया के की 11 अक्टूबर 2012 को 8:30 बजे को मीतु ने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। उस समय घर पर सभी उपस्थित थे लेकिन सब अपने काम में व्यस्त थे। मीतु ज़ोर ज़ोर से

चिलाने लगी तब गाँव के सभी लोग एकत्र हो गये और खिड़की तोड़कर ओमकार के भाई ने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे बचाने की भी कोषिष की थी लेकिन मीतु आधे से अधिक जल चुकी थी।

इस पूरी प्रक्रिया में मीतु के परिवार ने कोई प्रयत्न नहीं किया ऐसा गाँव के लोगों का कहना है। गाँव के लोगों ने यह भी बताया की मीतु बहुत जल चुकी थी और यह भी बताया की उसका सिर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि उसका सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटका गया हो और जिस कमरे से मीतु को निकाला गया था वहाँ खून जैसा पदार्थ जली स्थिती में पड़ा था और पूरा कमरा काला हो चुका था।

ओमकार (16 वर्षीय लड़का) ने टीम को बातचीत में यह बताया कि मीतु को उसके परिवार वालों ने जंगल से आने के बाद से काफी बुरा भला कहने लगे थे और ओमकार का घर मीतु के घर के सामने होने का कारण उसे सब सुनाई देता था।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

11 अक्टूबर 2012 को मीतु के जलने पर गाँव के लोगों ने ही 108 की सुविधा से मीतु को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल द्वारा ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली थी और पुलिस के पहुँचने पर मीतु से बयान लेना असंभव था क्योंकि पुलिस के अनुसार मीतु 90 प्रतिषत जल चुकी थी और बोल पाने की स्थिती में नहीं थी। अस्पताल में ही मीतु ने दम तोड़ दिया था और मीतु के पिता ने ही पुलिस को बयान दिया। थाना प्रभारी (हरवीर सिंह भदौरिया) से किसी कारण वष मिल नहीं पाये इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट, एफ.एस.एल (थ्वतमदेपब ैबपमदबम स्ंइवतंजवतल त्मचवतज) और पंचनामे की जानकारी नहीं मिल पाई।

मीतु के पिता द्वारा 11 अक्टूबर 2012 को एफ.आई.आर दर्ज़ करवायी गयी थी और अपराध क्रमांक–77/12 आरोपियों पर 363, 366, 376 (2जी) 342, 306, 34 (प्च्छ) की धारायें लगाईं गई हैं। आरोपी ओमकार और टिल्लू को संप्रेक्षण गृह में दो महीने के लिए रखा गया और वो अब आज़ाद हैं और आरोपी मनीष अभी जेल में है। चालान पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है और अभी केस चल रहा है।

d।l v/;;u&26

¼Xokfy;j e। ukckfyd fodykx d। lkFk lkefgd cykRdkj½

पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी–

कीष्ना (परिवर्तित नाम), 14 वर्षीय सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है और उसके पिता का नाम सुरेष मालविया है। यह पीछड़े वर्ग के हैं और पिता मज़दूरी करते हैं। परिवार में कुल 9 लोग (नाना–नानी, मामा, माता–पिता, कीष्ना और कीष्ना की दो छोटी बहिने और सबसे छोटा भाई) रहते हैं। यह परिवार बहुत गरीब है और कीष्ना पिता की मजदूरी पर ही निर्भर करता है।

वारदात की विस्तृत जानकारी– 22 दिसम्बर 2012 की रात्री 12:30 बजे गाँव के दो लोग (इक्कालोधी और कल्लूलोधी) कीष्ना के कमरे में घूसे और कीष्ना का मुंह दबाकर उसे कंधे पर उठाकर गाँव के एक खाली पुराना कच्चे घर में ले गये। उस घर में उस समय कोई नहीं था। उसे वहाँ ले जाकर ज़मीन पर पटक दिया और इक्कालोधी ने उसका मुंह और कल्लूलोधी ने पैर बांध दिये। इसके बाद दोनों ने कीष्ना के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने उनका नाम किसी को बताया तो वो उसके परिवार वालों को मार देंगे। यह कह कर उन दोनों ने कीष्ना को घर के पीछे वाले नाले में हाथ और मुंह बांधे हुए ही फेंक कर चले गये। इस घटना के बारे में कीष्ना ने हमारी टीम को खुद जानकारी देते हुए यह भी बताया कि घटना स्थल वाले घर के पीछे वाले नाले में फेंके जाने के बाद उसे बिल्कुल होष नहीं था।

रात के 3 बजे के आस–पास कीष्ना के नाना की निंद खुली तो कीष्ना का कमरा खुला देखकर और उसे कमरे में न पाकर उन्होंने घर के सभी लोगों को जगाया। परिवार के सभी लोग उसे आस–पास ढूँढने लग गये। नाना को कीष्ना नाले में 5:30 बजे सुबह बिल्कुल ठण्ड में अकड़ी हुई स्थिती में मिली और वो ही उसे उठाकर घर लाये। घर पर उसकी माँ ने उसके कपड़े बदले और उसे होष में लाने की कोषिष करने लगे। कीष्ना ने होष में आते ही चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगें लेकिन माता और नाना को देखकर सारी बात उन्हें बताई।

<u>राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–</u>

अगले दिन 22 दिसम्बर 2012 को सुबह ग्राम अहमदपुर पुलिस थाने में कीष्ना के पिता और नाना ने जाकर सिर्फ षिकायत के रूप में आवेदन दर्ज़ करवा दिया था और 456/363/34/354 की धाराये लगाईं गईं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी और न ही पुलिस वालों ने कोई जानकारी उन्हें प्राप्त करवाई गई और कहा के दुष्कर्म की एफ.आई.आर के लिए बच्ची को साथ में लेकर आयें। परिवार में किसी को भी इस विष्य में जानकारी न होने के कारण, परिवार अगले दिन 23 दिसम्बर 2012 को कीष्ना के संग माँ, पिता और नाना गये और एफ.आई.आर– अपराध क्रंमाक 631/12, धारा 376/506/450 को भी जोड़ा गया। पुलिस ने कीष्ना को मेडिकल के लिये भेजा गया परन्तु जाँच में दुष्कर्म की पुष्टी नहीं की गई।

दोनों आरोपी पुलिस के अनुसार नाबालिक होने के कारण बाल न्यायलय में प्रस्तुत किया गया और दोनों को जमानत पर आराम से घूम रहे हैं

<u>वारदात के बाद अत्याचार–</u>

दोनों आरोपी लोधी परिवार के होने के कारण गाँव में उनके पिता का काफी दबदबा है और राजनीतिज्ञों के साथ भी उठना बैठना है। टीम द्वारा प्रस्तुत मेडिकल एवं पुलिस जाँच में संदेह की आषंका लग रही है क्योंकि आरोपी देखने में अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हैं। बच्ची द्वारा दी गई जानकारी और उसकी माँ का बयान ये सिद्व करता है कि उसके साथ दुष्कृत्य किया गया और आरोपियों को सज़ा से बचाने के लिये राजनीतिक दबाव का सहारा लिया गया है।

पूरे गांव में धोबी परिवार के तीन ही घर हैं और वारदात के बाद से उनके साथ कोई भी बात नहीं करता क्योंकि गांव में लोधी परिवार की दबंगई कारण सभी डरे हुए हैं।

<u>d:l v/; ;u & 27</u>

¼f'koi:jh e: vkfnoklh cPph d: lkFk cykRdkj e: lkr lky i:jkuk ekeyk½

<u>पीड़िता और पीड़िता के परिवार की जानकारी</u>–

भाटी सहराना पंचायत भाटी मे आता हैं । यह कोलारस ब्लॉक से 28 किमी दूर पष्चिम दिषा में स्थित हैं । इस गाँव में 45 परिवार सहरिया समुदाय के निवास करते हैं। इस गाँव में एक विधवा महिला भुरियाबाई पति स्वर्गीय श्री बाबूलाल आदिवासी कि लड़की जिसका नाम वाणी (परिवर्तित नाम), है। ये घटना जब घटी तब रचना की उर्म 7 वर्ष थी और लड़की की माँ स्कूल खाना बनाने जाती थी ।

<u>वारदात की विस्तृत जानकारी –</u>

एक दिन जब रचना की माँ स्कूल में खाना बनाने गई थी और रचना बकरी चराने गई थी तभी गाँव के ही लडके जिसका नाम हल्के आदिवासी पिता ज्ञानी आदिवासी उर्म 17 वर्ष ने लड़की को अकेला देख कर बोला, रचना चलो बेर खाने चलते हैं। लड़की न समझ थी और उसके साथ चली गई । और हल्के ने उसे अकेला समझ कर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और तभी लड़की रोती और चिल्लाती रही लेकिन वह न माना उसने लड़की को अपने हवस का शिकार बना लिया और भाग गया तब

लड़की रोती हुई घर आई और तभी उसकी मॉ ने पूछा बेटी क्या हुआ और तुम्हारे कपड़े खून से केसे लिपटे हुए है कहाँ गिरपड़ी कैसे लग गई तो लड़की ने रोते हुए बताया कि मुझे हल्के भैया बेर खाने का कहकर अकेले मे ले गये और मेरे कपड़े निकाल मेरे साथ हरकते करने लगे तभी मैं रोती अेर चिल्लाती रही और तब उन्होंने मुझे मारा भी। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लड़की मुष्किल से जान बची।

राज्य/सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया–

भुरियाबाई दौड़ी –दौड़ी चौकीदार के पास आकर कहा कि मेरी लड़की के साथ षर्मिन्दा पूर्ण हरकत की गई है इसलिए वो उसके साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए कोलारस थाने चलो तो चौकीदार ने उसके साथ रिपोर्ट लिखाने के लिये कोलारस आने को मना कर दिया। तब भुरिया और उसका लड़का सुरेंष लड़की को लेकर कोलारस थाने मे गए तो थाने मे रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा की आपसी मामला है राजीनामा करलो और थाने में बैठा कर चले गए। उसके बाद भुरियाबाई , लड़की और सुरेष को लेकर करीब शाम 6–7 बजे भाटी पहुचें तो हल्के का परिवार भाग गए था। भुरियाबाई अगले दिन कोलारस आई और सी आई डी संस्था के कार्यकर्ता सहित थाने रिपोर्ट लिखाने गए। तो थाने में पुलिस इन्चार्ज दरोगा साहब नहीं मिले फोन लगाया और घटना सुनाई तो दरोगा साहब ने कहा की आप लोग लड़की को षिवपुरी मेडीकल चेकअप कराने के लिए ले आइए। जब षिवपुरी पहुचे तो लड़की का मैडीकल चेक हुआ और कपड़ों का भी मेडीकल रिपोर्ट मे बलात्कार पाया गया। उसके बाद हल्के को पुलिस ने पकड़ा थाने मे बंद किया लेकिन 1 माह बाद उसे छोड़ दिया गया उसके बाद आज तक हल्के पर कोई भी कार्यवाही नही हुई है आज घटना को 7 वर्ष हो चुके है कोई इन्साफ नही मिला है ऐसे में विधवा महिला परेषान है।

वारदात के बाद अत्याचार

पीड़िता वारदात के बाद से बहुत डरी हुई है और उसे अकेले आने जाने में डर लगता है। उसे कहीं न कहीं यह डर लगा रहता है कि कहीं फिर से कोई उससे जबरदस्ती न करे। वो अब भी मानसिक तनाव में है। पीड़िता के परिवार से आस–पास के किसी भी परिवारों ने इस वारदात के बाद कोई बातचीत नहीं की और न ही उनका हालचाल लिया। पीड़िता के परिवार की कोई मदद् नहीं करना चाहता और न ही किसी प्रकार की सहानुभूति रखते हैं। पीड़िता की यही मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये जिससे वे फिर किसी भी लड़की के साथ ऐसा दोबारा न करें।

lyxud 2 o"k 2011 e efgykvk ij vijk/k d ekey
(सम्पूर्ण भारत 228650)

INCIDENCE OF CRIME AGAINST WOMEN DURING 2011
(All India 228650)

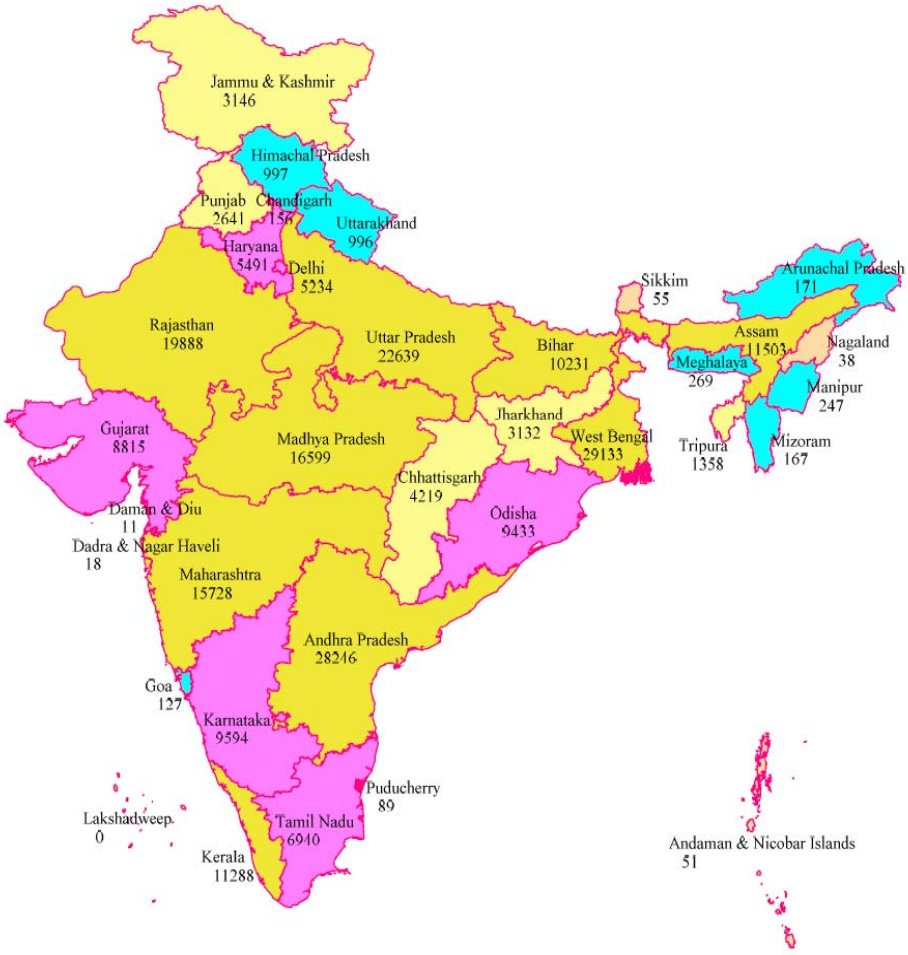

lyXud 3

lyXud 3 efgykvk d: fo:) vijk/k – वर्ष 2011 में प्रतिषत के अनुसार विवरण

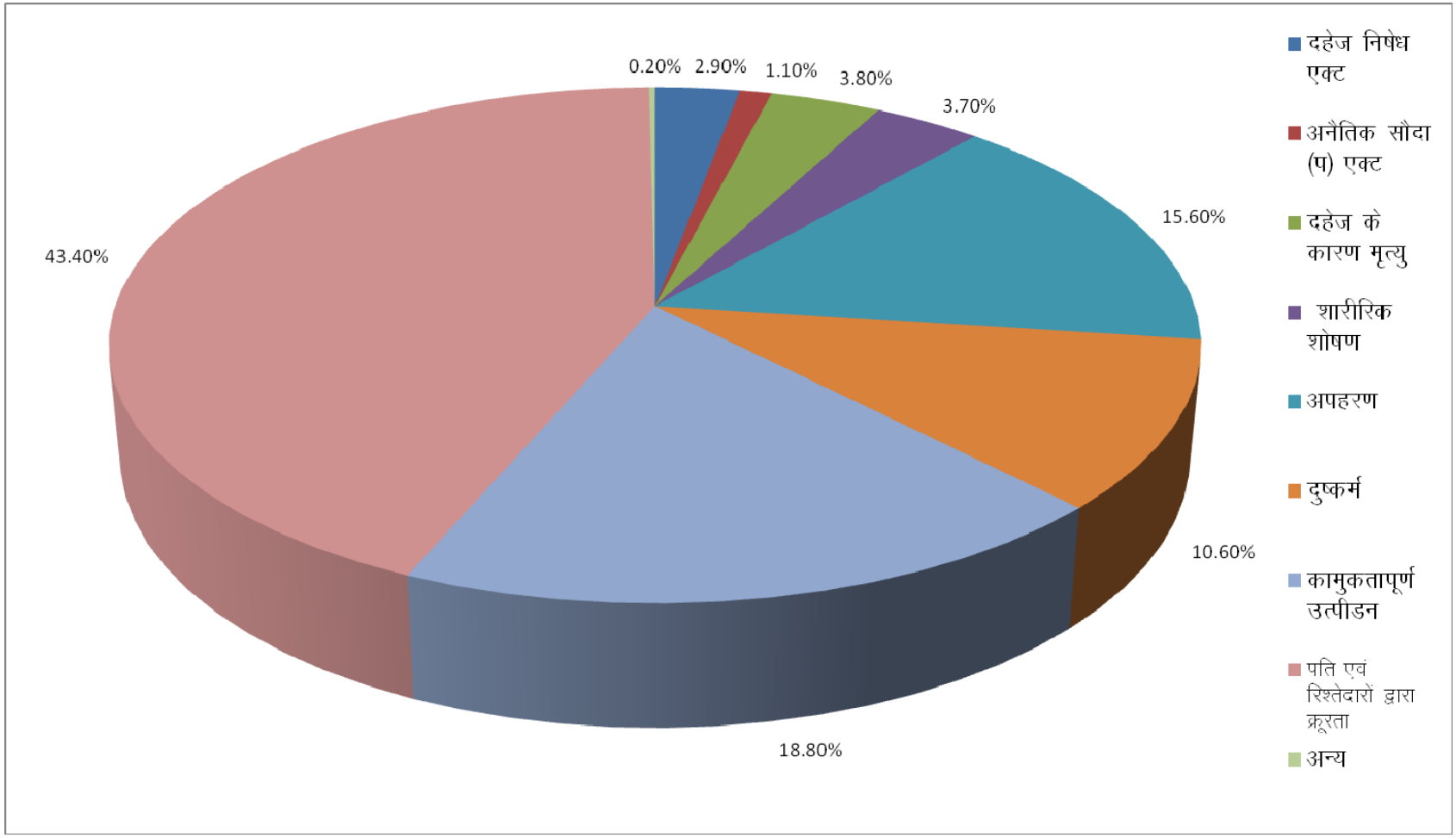

`

बोल के लब आज़ाद है तेरे ...

''मध्यप्रदेश में हो रहे बलात्कारों की परिस्थिति पर एक विश्लेषण''

इसलिए राह संघर्ष की हम चुनें

जनपहल

मध्यप्रदेश